कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वार्षिक मूल्य : 70 रुपये

वर्ष 53 अंक : 5 मार्च 2007 मूल्य : 7 रुपये

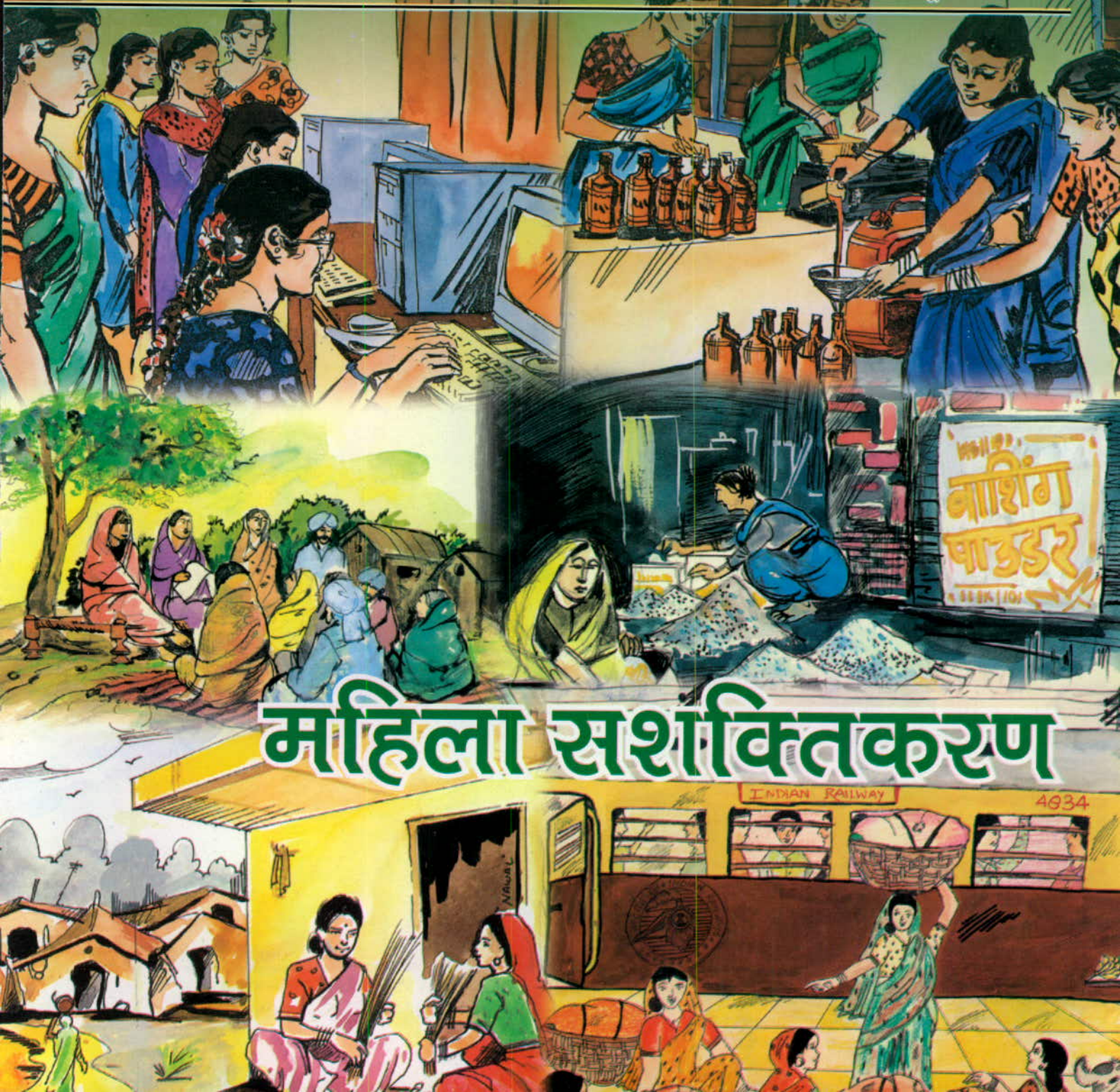

महिला सशक्तिकरण

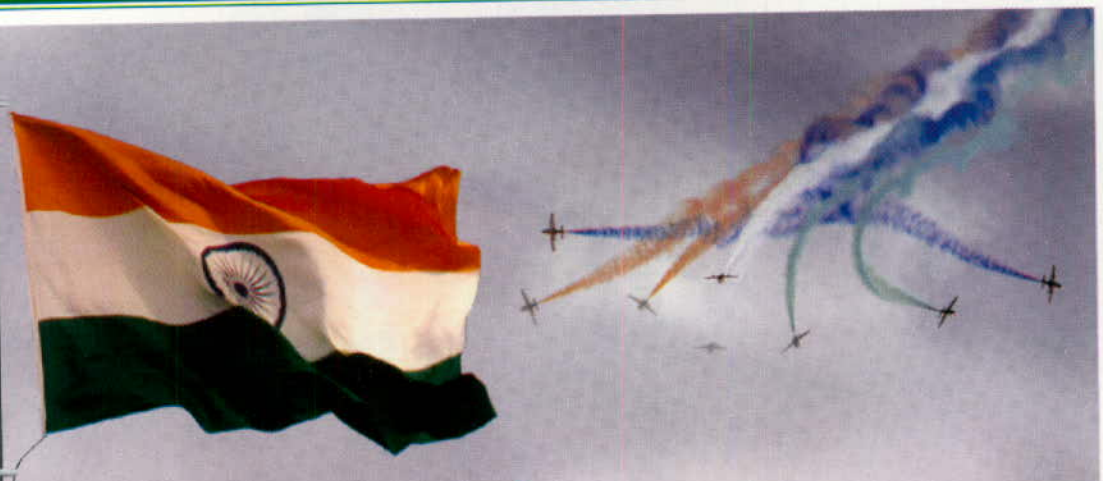

अतुल्य! भारतवर्ष

धर्मनिरपेक्ष गतिशील

वंदनीय

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

davp 2006/1095

KH-03/07/03

वर्ष : 53 ★ मासिक अंक ★ पृष्ठ : 48

फाल्गुन–चैत्र 1928–29, मार्च 2007

संपादक

स्नेह राय

संपादकीय पत्र–व्यवहार

संपादक, कुरुक्षेत्र

कमरा नं. 655/661, 'ए' विंग,

गेट नं. 5, निर्माण भवन

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली–110011

दूरभाष : 23061014, 23061952

फैक्स : 011–23061014, तार : ग्राम विकास

वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in

ई–मेल : dpd@sh.nic.in dpd@hub.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)

एन.सी. मजुमदार

व्यापार प्रबंधक

जगदीश प्रसाद

दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

आवरण एवं सज्जा

संजीव सिंह और रजनी दवे

मूल्य एक प्रति	:	सात रुपये
वार्षिक शुल्क	:	70 रुपये
द्विवार्षिक	:	135 रुपये
त्रिवार्षिक	:	190 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)

पड़ोसी देशों में	:	500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	700 रुपये (वार्षिक)

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

कुरुक्षेत्र

इस अंक में

- आधी दुनिया : विकास की राह पर — अरविन्द कुमार शुक्ल
- महिला सशक्तिकरण की कुछ कोशिशें — नीरज कुमार
- महिलाएं: दशा और दिशा — कुसुम त्रिपाठी
- महिला सशक्तिकरण और वर्तमान कानून — पूनम द्विवेदी
- राष्ट्रीय आय के अग्रिम अनुमान वर्ष 2006–07 — –
- भारत की जनजातीय महिलायें — कमलेश कुमार
- राजनीतिक सहभागिता एवं महिला सशक्तिकरण — इन्दु पाठक
- भारत में महिलाओं की प्रस्थिति — ऋतु सारस्वत
- राष्ट्रीय महिला आयोग — सुरेश लाल श्रीवास्तव
  महिला डेयरी परियोजना
- ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण — गिरधारी लाल मीणा और डी. के. जैन
- महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ — प्रियंका द्विवेदी
- सुरक्षित मातृत्व : महिलाओं का अधिकार — हेना नकवी
- आदिवासियों का फाग उत्सव – भगोरिया — सुनील कुमार शर्मा और महेश कुमार परदेशी
- सूरजकुंड मेला — जिल्ले रहमान
- पुस्तक समीक्षा
  आधी आदिवासी दुनिया की पूरी हकीकत — प्रांजल धर

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

मत-सम्मत

कुरुक्षेत्र का मानवाधिकार पर केंद्रित दिसंबर 2006 अंक एक सराहनीय प्रयास है क्योंकि मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता एवं शिक्षा के अभाव में सर्वाधिक अनभिज्ञता ग्रामीण क्षेत्रों में ही पायी जाती है। इसके परिणामस्वरूप मानवाधिकारों का सर्वाधिक उल्लंघन भी वहीं होता है जहां लोग इसे अपने भाग्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र ने अपने इस अंक में मानवाधिकार, एड्स और ग्रामीण क्षेत्रों में मीडिया की भूमिका के बारे में अपने लेखों के माध्यम से जानकारी देने का बेहतर प्रयास किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रांजल धरजी का लेख "मानवाधिकार और वर्तमान समय" अत्यन्त महत्वपूर्ण है जोकि मानवाधिकारों के बारे में वर्तमान समय की वास्तविकताओं को प्रभावी तरीके से रेखांकित करता है। तब जबकि आधे से अधिक एचआईवी पाजिटिव लोग गांवों में रहते हैं वहां एड्स की रोकथाम का सबसे बेहतर तरीका जागरूकता फैलाने का हो सकता है। इस संदर्भ में एड्स के बारे में जानकारी देने वाले सभी लेख अच्छे हैं। वास्तव में, ग्रामीण क्षेत्रों में मीडिया द्वारा जागरूकता फैलाने वाली मुहिम को और धारदार बनाये जाने की जरूरत है ताकि लोग अपने मानवाधिकारों के प्रति सजग हो सकें तथा एड्स जैसे दानव का मुकाबला कर सकें।

आलोक कुमार तिवारी, इलाहाबाद

नए वर्ष के कलेवर के रूप में ग्रामीण विकास को समर्पित 'कुरुक्षेत्र' का जनवरी 2007 अंक पठनीयता की दृष्टि से उत्कृष्ट साबित हुआ। इस अंक में प्रकाशित अत्यंत रोचक विश्व व्यापार संगठन के लेखों ने हमारा अधिकाधिक ज्ञानार्जन किया। अत्यधिक ज्ञानवर्धक व शिक्षाप्रद लेखों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कुरुक्षेत्र के सभी लेखक परिवार को बहुत-बहुत धन्यवाद।

रुद्र प्रताप सिंह, बलिया

मैं विगत तीन वर्ष से 'कुरुक्षेत्र' पत्रिका का नियमित पाठक हूं। जनवरी 2007 के अंक में आर्थिक क्षेत्र से सम्बधित ज्वलुन्त मुद्दों पर व्यापक जानकारी देने के लिए आपको धन्यवाद। विश्व व्यापार संगठन के सम्बन्ध मे पुष्पेश पंत और अशोक कुमार के लेख ज्ञानवर्धक व विचारोत्तेजक लगे। विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) पर अरविन्द कुमार मिश्र का लेख मौलिक लेखन सामग्री प्रदान करने वाला रहा। ऐसे आलेखों के प्रकाशन के लिए हार्दिक बधाई।

रविकान्त यादव, इलाहाबाद

कुरुक्षेत्र का नियमित पाठक हूं। नये साल में पत्रिका का नया रूप अच्छा लगा। पत्रिका की गुणवत्ता में उतरोत्तर सुधार हो रहा है। पत्रिका के जनवरी अंक के सभी लेख अत्यंत ज्ञानवर्धक लगे। विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित लेखों ने उसके गुण-दोषों से बखूबी परिचित कराया। विश्व व्यापार संगठन से जुड़े लेखों ने वर्तमान समय में संगठन की प्रासंगिकता और उपयोगिता को समझाने का बेहतर प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त पत्रिका में कृषकों की मार्मिक दशा का वर्णन करते विभिन्न लेख बहुत कुछ सोचने पर विवश कर देते हैं कि आज हमारा अन्नदाता किस दशा में जीवन-यापन कर रहा है? कृषकों की दशा सुधारने हेतु दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ प्रभावी उपाय किये जाने की महती आवश्यकता है, ताकि भविष्य में पुन: कृषकों के समक्ष ऐसी समस्यायें उत्पन्न न हों।

उमेश कुमार ओझा, इलाहाबाद

मैं 'कुरुक्षेत्र' पत्रिका का पिछले तीन वर्षों से नियमित पाठक हूं। जनवरी 2007 का अंक मुझे हस्तगत हुआ, जिसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र एवं विश्व व्यापार संगठन से संबंधित विषय पर गहन विश्लेषण किया गया था। इसमें आर्थिक मुद्दों के अवधारणात्मक पक्षों के साथ उनकी वर्तमान प्रासंगिकता पर जो विशद विश्लेषण मिला वह दुरूह था। बाजार में मिलने वाली अन्य पत्रिकाओं में एक तो लेखक अर्थशास्त्र से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर लिखने से कतराते हैं या फिर समस्याओं का विश्लेषण ठीक से नहीं कर पाते। 'कुरुक्षेत्र' अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए निश्चित ही ऐसे समय में रामबाण औषधि सिद्ध होगी।

दिग्विजय सिंह, इलाहाबाद

वैसे मैं इस पत्रिका का पाठक तो नहीं था लेकिन जब से इसका नियमित अध्ययन करना शुरू किया तब से 'कुरुक्षेत्र' मेरे गले की हड्डी बन गयी। जनवरी 2007 का अंक पढ़ा, वह चाहे 'विशेष आर्थिक क्षेत्र', 'विश्व व्यापार संगठन' और 'किसानों की आत्महत्याओं' से संबंधित जो भी लेख या इसमें प्रकाशित हुए हैं वे अपने आप में अद्वितीय हैं। विशेष रूप से जनवरी 2007 का अंक तो अपने आप में सबसे अलग है।

'विश्व व्यापार संगठन: सहमतियां और मतभेद' नामक विषय से तो उन समस्त बातों की जानकारी प्राप्त हुई वो पहले मेरे लिए कल्पना मात्र रहती थी। वैसे इसी लेख में जहां एक ओर विकसित और

विकासशील देशों से संबंधित कृषि पर सब्सिडी को लेकर मतभेद दिखाया गया और वहीं दूसरी ओर सर्वाधिक विवादित मुद्दा 'बौद्धिक सम्पदा अधिकार (पेटेंट) के बारे में पूर्ण जानकारियों से अवगत कराने का प्रयास किया गया है।

अखिलेश्वरानंद मिश्र, इलाहाबाद

मैंने जनवरी 2007 के अंक का अध्ययन किया। सभी लेख अच्छे लगे। जिसमें कृषि ऋण और मार्गदर्शिका पुस्तक पर आधारित कमलेश कुमारजी का लेख अत्यंत उपयोगी प्रतीत हुआ। उन्होंने आज की कृषि की दुर्दशा और उससे उत्पन्न किसानों की समस्याओं के जिस प्रकार क्रमशः लेखांकित कर सरकारी स्तर पर समाधान खोजने का प्रयास किया है उसका अध्ययन कर हमारे किसान लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

मनोज कुमार दूबे, कुशीनगर

ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर आधारित 'कुरुक्षेत्र' का फरवरी अंक पढ़ा। सचमुच आज पूर्वोत्तर सहित ऊर्जा के उर्जित आयामों का विस्तार करना जरूरी हो गया है। ऊर्जा सारे संसार के लिए आज चिंता का विषय है। पश्चिमी देश और अमेरिका अपनी विकसित अर्थव्यवस्था को गतिशील रखने तथा चीन और भारत जैसी तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था अपने विकास की गति को बनाए रखने के लिए अपनी ऊर्जा जरूरतों के प्रति सतर्क हैं।

पश्चिमी यूरोप की रूस पर बढ़ती निर्भरता अमेरिका को आज एशिया में अति सक्रियता, चीन का लगभग समूचे विश्व में जहां कहीं से भी संभव हो अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का आक्रामक प्रयास को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। हमारा देश भी इसी कड़ी में है। भारत, ईरान गैस पाईपलाइन हो या सरवालिंग में हिस्सेदारी खरीदना या भारत-अमेरिका, परमाणु समझौता हम भी अपनी ऊर्जा सुरक्षा के प्रति सतर्क हैं।

दिल्ली में हुए सोशल फोरम और दिल्ली हाट के बारे में ही गई जानकारियों ने मेरी प्रिय पत्रिका में चार चांद लगा दिए हैं। लघु और ग्रामीण उद्योगों के साथ-साथ विज्ञान जिस के संदर्भ में वैज्ञानिक प्रजातियों और उपलब्धियों का कुरुक्षेत्र द्वारा दी गई जानकारी बहुत ही उपयोगी है। सारे लेख गुणवत्ता और प्रमाणिकता की कसौटी पर निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं जो की खुशी की बात है। यह दुआ करता हूं कि कुरुक्षेत्र नई ऊचाईयां लगातार हासिल करती रहे।

ब्रजेश कुमार, बिहार

अपनी प्रिय पत्रिका कुरुक्षेत्र का पाठक आज से नहीं, वर्षों से हूं। तब से, जब ये पत्रिका 2 रुपये में आया करती थी। मैंने फरवरी अंक पढ़ा। अंक के सभी लेख गुणवत्तापूर्ण, प्रभावशाली और ज्ञानवर्द्धक हैं। खासकर पिछले एक साल से पत्रिका ने उत्कृष्टता के पैमाने पर नयी कसौटियां गढ़ी हैं। 'प्राजंलधर' का लेख तो इतना उत्कृष्ट था, कि उसका बखान करने को शब्द नहीं है। मुझे इस अंक के पहले लेख पर आपत्ति है। आपत्ति की वजह साफ है। 'विकास दिव्यकीर्ति' जो उन अजीबो गरीब धन लोलुप 'विद्वानों' में हैं, जो दूर दराज के ग्रामीण इलाकों के भोले-भाले विद्यार्थियों को आईएएस यानि भारतीय प्रशासनिक सेवा का लुभावना सपना बेचकर निकृष्ट किस्म का शैक्षिक व्यापार चलाते हैं। कुरुक्षेत्र एक मानक, आदर्श और मर्यादित पत्रिका है। जाहिर है यह गरिमा या मानकता कुरुक्षेत्र ने एक दिन में नहीं अर्जित की है। कृपया दिव्यकीर्ति जैसे 'समृद्ध शैक्षिक व्यापारियों' का इसमें लेख न प्रकाशित करें। बीस शब्द रटकर विद्वान बनने का नाटक करना निहायत ही लज्जापूर्ण है। मेरी गुजारिश पर ध्यान दें और ये पत्र जरूर प्रकाशित करें। पत्रिका के हाथ में आते ही समय निकालकर मैंने ये पत्र लिखा है। पाठकों का इससे कल्याण तो होगा ही कुरुक्षेत्र का आधी सदी से अर्जित सम्मान भी पूर्णवत् कायम रहेगा और मुझ समेत ग्रामीण आबादी आपकी आभारी रहेगी।

सुरेश कुमार यादव, रामपुर, उत्तर प्रदेश

ग्रामीण विकास का समर्पित कुरुक्षेत्र पत्रिका का फरवरी 2007 अंक बेहद ज्ञानवर्धक लेखों सहित पठनीयता की दृष्टि से उत्कृष्ट साबित हुआ। लेख 'नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत: विकास के मोती' 'ऊर्जा के ऊर्जित आयाम', 'ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत: नई उपलब्धियाँ', 'ग्रामीण ऊर्जा : आत्म निर्भरता की ओर', 'भारत की वैज्ञानिक प्रगति 'लघु उद्योग और उनका महत्व', 'एक खूबसूरत और अनूठा बाजार: दिल्ली हाट' आदि ज्ञानवर्धक जानकारियों से परिपूर्ण लगे। सबसे अलग लेख 'बायोगैस संयंत्र: ग्रामीण विकास का मंत्र' था। बायोगैस ग्रामीण जनता के लिए आशीर्वाद सिद्ध हो रहा है।

सेज पर आधारित जनवरी 07 का अंक बहुत ही रोचक व ज्ञानवर्द्धक लगा। सेज से संबंधित समग्र एवं पूर्ण जानकारी के जिए पूरी कुरुक्षेत्र टीम को बधाई। मैं पिछले 3 वर्षो से कुरुक्षेत्र का पाठक हूं पर यह कहने में हिचक नही है कि बेशक जनवरी 07 का अंक अब तक मुझे सबसे अच्छी लगी। प्रो. पुष्पेश पंत व अन्य सभी लखकों के लेख उत्कृष्ट रहे। 'दम तोडती जिदंगी का सच' शीर्षक बहुत कुछ बयां करता है। वैसे सेज की समग्र जानकारी सरकार व जनता के सबंधों को बयां करती है। कुरुक्षेत्र को बेशक ग्रामीण विकास का पर्याय कहने में अतिशयोक्ति नही होगी। मैं इसकी इस बात का कायल हूं कि इसके लेखों की समग्रता जिसमें सकारात्मक वह नकारात्मक मुद्दों पर आधृत होने से जीवंतता बनाये रखती है। विश्वास है कि आगे के अंकों में भी यह हमारी उत्कृष्टता की कसौटी पर खरा उतरेगी।

रविशंकर सिंह, बिहार

नारी शक्ति

आधी दुनिया : विकास की राह पर

अरविन्द कुमार शुक्ल

आधी दुनिया यानि भारतीय महिलाओं के विकास की ओर बढ़ते कदम आज पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन चुके हैं। आज भारतीय नारियों ने देश-दुनिया के हर क्षेत्र में अपना सम्मानित स्थान बनाया है और इनके हौसले को बढ़ाने के लिए सरकार पूरी सक्षमता से इनके साथ खड़ी है। इसके लिए सरकार की देश-विदेश में प्रशंसा भी हुई है। हाल ही में यू. एन. डी. पी. द्वारा श्रीलंका में आयोजित क्षेत्रीय महिलोन्मुख बजट आयोजना सम्मेलन में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 16 देशों की सरकारों की प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें सरकारों के शैक्षणिक संस्थाओं, नागरिक समाज और अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों के प्रतिनिधियों समेत मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इनमें भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने विचार-विमर्श में अग्रणी भूमिका निभाई और कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। महिलोन्मुख बजट आयोजना पर दिये गए भारतीय प्रतिनिधि के सुझावों की सभी सदस्यों ने सराहना भी की। अगर देखा जाए तो सरकार का यह प्रयास नि:सन्देह महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

आज सरकार महिलाओं के उत्थान, विकास और उन्हें सशक्त बनाने वाले सारे प्रयासों पर जोर दे रही है। सरकार गांव व जंगल में अपना पहचान खोई महिलाओं से लेकर आधुनिकता से कदमताल मिलाती महिलाओं के साथ है वह आज उन्हें विकास के वह सारे मानक देने को तैयार है जो उन्हें सशक्त बनने के लिए जरूरी है। सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य, खाद्य, पोषण सुरक्षा, न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं और सुविधाओं समेत शिक्षा, रोजगार और न्याय जैसे उपक्रमों के माध्यम से अपना हाथ उन तक बढ़ा रही है। इसके अलावा सरकार विपदाग्रस्त, कामकाजी, कठिन परिस्थितियों में जीवनयापन करने वाली, सुनामी व भूकम्प से प्रभावित, अवैध देह व्यापार और वेश्यावृत्ति से जुड़ी, एवं बलात्कार की शिकार महिलाओं के लिए भी प्रयास कर रही है। अब सरकार महिलाओं के लिए कल्याणोन्मुखी, विकासपरक और सशक्तीकरण तक के रास्ते खोलने का प्रयास कर रही है।

कानूनी दृष्टि से सरकार संविधान और संशोधन दोनों माध्यमों से महिलाओं के साथ है। वह महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए वर्तमान कानूनों में समीक्षा आधारित संशोधन भी कर रही है। इसमें सतीप्रथा (निवारण) अधिनियम 1987, स्त्री अशिष्ट रूप (निषेध) अधिनियम 1986, दहेज निषेध अधिनियम 1961, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 और यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण विधेयक 2005 शामिल है। इसी क्रम में महिला आयोग को महिलाओं पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाले 42 कानूनों की समीक्षा करने और उनकी व्यवहारिकता के बारे में संस्तुतियां देने का कार्य भी सौंपा गया था। जिसमें आयोग ने 32 ऐसे कानूनों की समीक्षा की है।

इसी तरह महिलाओं से सम्बन्धित कम से कम 42 महिला-विशिष्ट अधिनियम हैं, जिनमे अन्तर्गत महिलाओं को विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न से कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाती है। इन कानूनों को और अधिक कारगर बनाने के लिए इनमें संशोधन करने के लिए इनकी राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा समीक्षा की जा रही है। इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी नये कानून ला रहा है और वर्तमान कानूनों में संशोधन कर रहा है ताकि महिलाओं के संरक्षण के लिए उन्हें और अधिक सक्षम बनाया जा

देश के संविधान में कमजोर वर्गों के लिए आयोगों के गठन का प्रावधान है। महिलाओं के लिए भी राष्ट्रीय महिला आयोग उनके हितों के संरक्षण, संवर्धन और कानूनी अधिकारों की रक्षा का एक संवैधानिक निकाय है। यह महिलाओं से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कानूनों की कार्यकुशलता में सुधार की संस्तुतियां करने के लिए उनकी समीक्षा करता है। जिससे महिलाओं को उत्पीड़न से बचाया जा सके। जिन महत्त्वपूर्ण अधिनियमों की समीक्षा की गई उनमें सती प्रथा (निवारण) अधिनियम, स्त्री अशिष्ट रूपण विधेयक अधिनियम, दहेज (निषेध) अधिनियम, अनैतिक व्यापार (निवारण अधिनियम) शामिल है। इसके अलावा महिलाओं का यौन उत्पीड़न संरक्षण विधयेक 2005 का प्रारूप तैयार किया जा रहा है।

सके। इसके अन्तर्गत सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास तथा रोजगार समेत राहत संरक्षण और कानूनी सुरक्षा जैसे विषय शामिल हैं। इन महिला विशिष्ट कानूनों का मकसद महिलाओं को सही मायनों में सशक्त बनाने की दृष्टि से अन्य बातों के साथ-साथ महिलाओं को सामाजिक भेदभाव से संरक्षण प्रदान करने के अलावा समान अवसर प्रदान करना भी हैं।

इस सन्दर्भ में राष्ट्रीय महिला आयोग ने बलात्कार और यौन प्रहार से संबंधित कानूनों की समीक्षा के लिए एक कार्यशाला आयोजित की। इसमें कई महत्त्वपूर्ण सुझाव भी सामने आये। इनमें यौन प्रहार, बलात्कार और छेड़छाड़ से संबंधित कानूनों के संदर्भ में राष्ट्रीय महिला आयोग ने कई परिवर्तन के सुझावों की वकालत की है। इनके अनुसार बलात्कार की परिभाषा को व्यापक बनाया जाय। इसे योनिभेदन तक ही सीमित न रखा जाय। यौन प्रहार के लिए न्यूनतम दण्ड दस वर्ष का कारावास और अधिकतम आजीवन कारावास होना चाहिए। अपहरण-सह बलात्कार के मामलों में आयु आयुकारक की और अधिक सावधानी से जांच की जानी चाहिए, क्योंकि बलात्कारियों द्वारा अक्सर मौजूदा कानून का दुरुपयोग किया जाता हैं यौन कर्मियों को पैसा देकर उनसे यौन सुख प्राप्त करने को प्रहार माना जाना चाहिए। यह तो सिर्फ अपराध के सन्दर्भ में सुधार सुझाये गये हैं। इसके अलावा कानूनी प्रक्रिया के सन्दर्भ में भी सुझाव दिये गये हैं। इनके अनुसार बचाव पक्ष के वकीलों के असहज सवालों से पीड़िता को बचाने के लिए, उसके बयान की वीडियो और ऑडियो रिकार्डिंग को न्यायालय में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। पीड़िता के मामले की जांच करना और मुकदमा चलाना एक समयबद्ध कार्य होना चाहिए और ऐसे मामले में किसी प्रकार की चूक के लिए सरकारी कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया जाय। इसके अलावा उक्त अधिनियम और शिकायत दर्ज कराने की कार्यविधि जनता और पीड़ितों के लिए सरल बनायी जानी चाहिए।

इसी तरह सरकार ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 और इससे संबंधित कानूनों में संशोधन पर भी जोर दे रही है। इसके अन्तर्गत नियुक्त दहेज प्रतिषेध अधिकारियों को केवल दहेज प्रतिषेध से संबंधित मामलों को निपटाने के कार्य सौंपे जाने चाहिए। वर्तमान सरकारी अधिकारियों को केवल अतिरिक्त और गौण उत्तरदायित्व के रूप में इस कार्य को नहीं सौंपा जाना चाहिए। दहेज प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना का व्यापक प्रचार कर उसे आम जनता की जानकारी में लाया जाना चाहिए। इसके अलावा विधान मंडलों के सदस्यों और सरकारी कर्मचारियों से इस आशय की एक अनिवार्य घोषणा पर हस्ताक्षर करवाया जाना चाहिए कि उन्होंने अपने बच्चों की शादी के समय दहेज की मांग नहीं की। इसके साथ ही आयोग ने सरकारी पद पर कार्यरत महिलाओं एवं पुरूषों को सादगी के साथ विवाह सम्पन्न कराने और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली को उस न्यायालय में जाने की अनुमति की सलाह दी, जिसके अधिकार क्षेत्र में उसके माता-पिता रहते हैं।

इस तरह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार महिलाओं के लिए सामाजिक और कानूनी दृष्टि से वह सारे कार्यक्रम लागू कर रही है। या करने की प्रक्रिया में है जो उनके स्वतन्त्र व्यक्तित्व को उभारने में कारगर हो सकते है। इसी के साथ सरकार इन कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता के लिए भी कृत संकल्प है। इसी क्रम में 'यौन हिंसा', आपराधिक अपहरण, उत्पीड़न जैसी घटनाओं के बारे में स्कूल के छात्र-छात्राओं में महिलोन्मुख जागरूकता का विकास करने के लिए नजफगढ़, नई दिल्ली में स्कूल के छात्र-छात्राओं के लिए महिलोन्मुख जागरूकता कार्यक्रम पर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसके कई चरणों में छात्र-छात्राओं की भागीदारी का कार्यक्रम रैली जैसी प्रचार विधाओं के रूप में किया गया।

लेकिन इन सबके बावजूद सरकारी प्रयास अपनी जगह तो महिलाओं की समस्यायें अपनी जगह साफ दिखाई देती हैं। आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की विवाहित महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा, अवैध व्यापार की शिकार महिलाओं के मानवाधिकार हनन, मणिपुर राज्य में महिला बाजारों में महिला फेरी वालों की दशा जैसी समस्यायें यहां आम हैं।

यह तो सामान्य समस्यायें हैं जो पूरे देश में हैं। इसके अलावा अलग-अलग क्षेत्र विशेष में इनकी समस्याएं भी विशेष हैं। जैसे मणिपुर जनजातीय (कौम) महिलाओं का विद्रोह और जातीय संघर्ष के कारण उत्पन्न समस्या, मणिपुर, आन्ध्रप्रदेश समेत कई राज्यों की मुस्लिम महिलाओं की समस्यायें, उत्तरप्रदेश में महिला कैदियों की दशा, उत्तरांचल में शराबी पतियों से परेशान महिलाओं की समस्या, पंजाब के कृषकों की विधवाओं की समस्या, त्रिपुरा में महिलाओं की भूमि पर अधिकार, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्यप्रदेश

आन्ध्र प्रदेश की पी. चेंगम्मा और उनका पति निकटवर्ती जंगल से लकड़ी इकट्ठा कर, उसे पास के गांव में बेचकर अपनी आजीविका चलाते थे। इस कार्य से अपने चार बच्चों का पालन-पोषण करना तो दूर दो वक्त की रोटी जुटाना भी दूभर था। अपने गांव के लगभग 50 परिवारों की न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने के लिए एक छोटी सी दुकान खोलने का उनका सपना था। लेकिन इस कार्य के लिए धन जुटाना एक जटिल समस्या थी।

इस स्थिति में चेंगम्मा राष्ट्रीय सेवा समिति द्वारा गठित और राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा समर्थित स्व-सहायता दल से जुड़ीं। तीस रुपये प्रतिमाह के अंशदान से उन्होंने इस दल से 500 रुपये चक्रीपन ऋण प्राप्त किया और गाँव की गलियों में सब्जियाँ एवं फल बेचना शुरू किया। कम समय में ही, उन्हें 6000 रुपये का कर्ज मिल गया, जिससे उन्होंने अपनी दुकान शुरू कर दी। इस प्रकार इसने न सिर्फ अपना ऋण चुकता किया बल्कि अपने परिवार को एक सम्मानजनक जीवन भी प्रदान किया।

जैसे देश के तमाम राज्यों में अलग-अलग समस्याओं से बेघर महिलाओं के पुनर्वास की समस्या। समस्याओं की यह कभी न खत्म होने वाली अन्तहीन सिलसिला है। जिस पर सरकार और समाज दोनों को अभी काम करना शेष है। लेकिन सुखद है कि ये समस्यायें काफी हद तक लोगों के संज्ञान में है। अफसोस तो इस बात का है कि अभी तक महिलाओं की बहुत सी ऐसी समस्यायें है जिन पर सरकार और लोगों का ध्यान पहुंचना बहुत जरूरी है।

ये समस्याएं अपने समाधान के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और वैयक्तिक सभी प्रकार की दृढ़इच्छाशक्ति की मांग करती है। योजनाओं में सरकार महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए कई कार्यक्रम चला रही है। जिसमें उसका जोर महिलाओं को आर्थिक स्वतन्त्रता दिलाने से लेकर स्वतन्त्र व्यक्तित्व निर्माण तक का सफर शामिल हैं। इसके लिए वह खाद्य, पोषण, हेल्पलाइन समेत आर्थिक ऋण तक का प्रावधान कर रही है।

आज इन प्रयासों का प्रभाव हम समाज में देख भी रहे हैं खासकर शहरी मध्यवर्ग में। जहां अब बच्चे के पालन का जिम्मा मां के साथ-साथ पिता भी उठा रहा है। आज बच्चे के लिए मां के साथ पिता का चिन्तित होना, पिता का एक नया चेहरा हैं। यह शहरी मध्यवर्ग का पिता है, जो इस बात को जानता है कि वे दिन और विचार अब चले गए हैं, जब पिता कमाता था और मां घरेलू जिम्मेदारियां उठाती थी। अब कामकाजी महिलाओं का एक नया चेहरा उभरकर सामने आया है। जो एक मां होने के साथ जिम्मेदार नागरिक भी हैं। आज उसके कन्धों पर सरकार, संगठन और परिवार तीनों की जिम्मेदारियां हैं। जिसे वह बखूबी निभा रही है। दिल्ली की सड़कों पर कार चलाती महिला और बच्चे को दूध पिलाते अक्सर पिता का दृश्य अक्सर दिख जाता करता है। जो कभी असामान्य बात थी और आज भी है। लेकिन यदि इन युवाओं का अध्ययन करें तो कम से कम महानगरों में इसे सहज मान लिया गया है।

इसी प्रकार सरकार आम महिलाओं को भी बेहतरीन दशा और दिशा देने की फिराक में है। क्योंकि समाज और पुरुषों के नजरिये में बदलाव लाने के साथ महिलाओं में आर्थिक सम्पन्नता का आना बहुत आवश्यक है। यह आर्थिक सम्पन्नता ही उनके सामाजिक और राजनैतिक व्यक्तित्व का निर्धारण करेगी। क्योंकि अब धीरे-धीरे यह मिथक भी टूटने लगा है कि कामकाजी महिलाएं अपने बच्चों को कम समय दे पाती हैं।

इस तस्वीर को अगर आंकड़ों के आईने में देखें तो स्थिति बिल्कुल साफ हो जायेगी। जहां 1965 में माता-पिता अपने बच्चों के साथ साढ़े दस घंटे बिताते थे। वहीं 2000 में औसतन कामकाजी माता-पिता एक हफ्ते में तेरह घंटे अपने बच्चे के साथ बिताते थे। इस अध्ययन में कामकाजी मां-बाप ने बच्चों के साथ अपना समय बिताने को अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी माना। मेरीलैण्ड विश्वविद्यालय, अमेरिका में हुए शोध में इस मिथक को गलत पाया गया कि कामकाजी महिलायें बच्चों को कम समय देती हैं। बल्कि आंकड़े इसके उलट हैं। अब वह ज्यादा समय देती है। क्योंकि इसमें जहां तकनीकी विकास ने उनकी मदद की

वहीं यह भेद भी धीरे-धीरे खत्म होने लगा कि अमुक काम पुरुषों का और अमुक महिलाओं का है।

ठीक इसी प्रकार का माहौल भारत में भी एक वर्ग के बीच बन रहा है जिसे पूरे देश तक ले जाने की जरूरत है। जब तक काम के बंटवारे और हमारे नजरिये में परिवर्तन नहीं आयेगा विकास के सारे कार्यक्रम बेमानी नजर आयेंगें। सरकार के सारे प्रयास सिर्फ उसके आंकड़े बनकर रह जायेंगे। क्योंकि सरकार या उसके साधन तो बताने के लिए तैयार हैं कि दो और दो चार होता है। लेकिन जब समाज मानने के लिए तैयार ही नहीं है तो कोई क्या कर सकता है। इसका सबसे बेहतर उदाहरण आन्ध्र प्रदेश में देखा जा सकता है। जहां वेन्डिग मशीन का उपयोग धार्मिक और अन्धविश्वासी प्रवृत्तियों के चलते लोग नहीं कर रहे हैं। तो वहां एड्स और जनसंख्या प्रसार पर नियंत्रण कैसे किया जाय? क्या यह महज सरकार की जिम्मेदारी है?

अगर सरकार की महिलाओं पर आर्थिक दृष्टि देखनी हो तो इसे राष्ट्रीय महिला कोष के तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से देखा जा सकता है। जिसमें ऋण संवर्धन योजना, मुख्य ऋण योजना, चक्रीपन निधि योजना, फ्रेन्चाइजी योजना, गोल्ड क्रेडिट पास बुक योजना, आवासीय ऋण योजना, परिवार ऋण योजना, पुनर्वित्तपोषण योजना और पुनः ऋण उपलब्ध कराना जैसी योजनायें शामिल हैं।

राष्ट्रीय महिला कोष के पास एक अद्वितीय सफल ऋण प्रदायगी मॉडल यानि 'राष्ट्रीय महिला कोष-गैर सरकारी संगठन स्वसहायता दल लाभार्थी मॉडल' है। राष्ट्रीय महिला कोष सरकारी और गैर सरकारी संगठनों, सिविल सोसाइटी संगठनों, लघु वित्त संस्थाओं जैसे मध्यस्थ संगठनों के जरिए बचत एवं ऋण कार्यकलाप चलाकर महिला स्व सहायता दलों को सहायता ऋण प्रदान करता है। इसके अन्तर्गत वह विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गैरसरकारी संगठनों को ऋण अथवा किसी अन्य सुविधा को मंजूरी प्रदान करने से पूर्व, राष्ट्रीय महिला कोष कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने के लिए उस संगठन के पास उपलब्ध अनुभव विश्वसनीयता और अवसंरचनात्मक सुविधाओं के बारे में स्वंय को संतुष्ट करता है। यह कार्य राष्ट्रीय महिला कोष के अधिकारियों अथवा उनके स्थान पर नियुक्त संस्थागत प्रबोधकों द्वारा

जनगणना वर्ष	व्यक्ति दर में अन्तर			
	पुरुष	महिला	पुरुष-महिला	साक्षरता
1951	18.33	27.16	8.86	18.30
1961	28.30	40.40	15035	25.05
1971	34.45	45.96	21.97	23.98
1981	43.57	56.38	29.76	26.62
1991	52.21	64.13	39.29	24.84
2001	64.84	75.26	53.67	21.59

स्वीकृति से पूर्व जांचा जाता है। स्वीकृत के बाद प्रयोग हो रही राशि का अध्ययन भी सरकार अपने अधीनस्थ कर्मचारियों और संगठनों के माध्यम से समय-समय पर कराती रहती है।

राष्ट्रीय महिला कोष अपने कार्यक्रम को पूरे देश में फैलाने के लिए और आधिकारिक तौर पर निर्धन महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से सशक्त बनाने के लिए देशभर में अपने कार्यक्रम का एक समान विस्तार करने की रणनीति बना रहा है। जिसके अन्तर्गत निर्धन महिलाओं की अल्प-ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए एक शीर्षस्थ अल्प-ऋण संस्था के रूप में अपनी पहचान बनाना, अपनी वर्तमान ऋण प्रचालन राशि को 20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40 करोड़ रुपये करना, विभिन्न ग्राहकों को लक्षित करते हुए अपने ऋणों की संख्या बढ़ाना, ग्राहक अनुकूल ऋण प्रदान करने वाले नये तंत्र की शुरूआत करना, जीविका के लिए वित्त-पोषण से लघु उद्यम एवं लघु बीमा के ऋण उपलब्ध कराना, निर्धन महिलाओं के बीच उद्यम कौशल विकसित करना, और ऋण प्रदानकर्त्ता के रूप में कार्य करते रहना और अपनी छोटी-मोटी ऋण की जरूरतों के लिए स्वैच्छिक संगठनों इत्यादि को प्रोत्साहित करना जैसे कार्यक्रम शामिल है।

आज अगर हम नजर दौड़ायें तो महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए किए जा रहे यह प्रयास बेकार नहीं जा रहे हैं। हां, हम इन्हें कम या वांछित सफलता से दूर मान सकते हैं। लेकिन जब हम अपने दिमाग में यह रखेंगे की समाज कोई जादू की पुड़िया नहीं है जो छूमन्तर में बदल जाये तो एक नई तस्वीर हमारे सामने होगी। इसे 1954-2001 के बीच महिलाओं में बढ़ते साक्षरता के आंकड़ों से समझा जा सकता है।

इसमें जो सबसे महत्त्वपूर्ण बात है कि वह 1991-2001 के दौरान जहां महिलाओं के साक्षरता दर में 14.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहीं पुरुषों में यह दर 11.13 प्रतिशत रही। यह साक्षरता तो एक नमूना है। वह भी ऐसा जो सारी सफलताओं की कुंजी है। अब वह दिन भी सामने आयेगा जब महिलाएं पुरुषों से आगे होगीं। लेकिन सदियों से दबी और दबाई गयी इस बड़ी आबादी का सफर बहुत लम्बा है। जिसे आत्मविश्वास के साथ इसके बढ़ते कदमों ने सिद्ध कर दिया है कि वह अपेक्षा लक्ष्य पाने में सक्षम हैं। फिलहाल हमारे सामने जो सशक्त नारी का व्यक्त समाज है उसे मुखर होने की जरूरत है। यही विश्वग्राम के इस दौर में भारत समेत तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ होगी। आधी दुनिया को विकास की राह पर लाकर ही पूरी प्रगति की जा सकती है। ●

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

भारत और अफगानिस्तान के बीच ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सहयोग के बारे द्विपक्षीय समझौते पर पहली संयुक्त बैठक काबुल में आयोजित

भारत सरकार और अफगानिस्तान इस्लामिक गणतंत्र सरकार के बीच ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को कार्यान्वित करने के उद्देश्य के पहली संयुक्त बैठक 4 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच काबुल में आयोजित की गई। संयुक्त बैठक में जिन प्रमुख मुद्दों पर सहमति कायम हुई उनमें प्रमुख हैं- भारत के लघु-पनबिजली पवन ऊर्जा और जल संभरण परियोजनाओं की जानकारी तथा प्रशिक्षण, भारत की स्थानीय जल शोधन और जल परीक्षण प्रणालियों के लिए तकनीकी सहायता देना, ग्रामीण महिला उद्यमियों सहित ग्रामीण उद्यमिता विकास, कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण पाठयक्रम प्रारूपों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास करना, ग्रामीण सड़कों का प्रबंधन और रख-रखाव तथा भारत की पंचायती राज संस्थाओं की जानकारी तथा प्रशिक्षण के लिए दौरों का आयोजन। इस संयुक्त बैठक में भारत में हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और अफगानिस्तान में काबुल स्थित अफगान ग्रामीण विकास संस्थान के बीच संस्थागत संबंध स्थापित करने और एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की संभावनाओं का पता लगाने के उद्देश्य से कार्य योजना तैयार करने का निर्णय लिया गया और इसके तहत ग्रामीण विकास के लिए संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों, सम्मेलनों, अनुसंधान परियोजनाओं, आईसीटी, जीसआईएस और दूर संवेदी क्षेत्रों का शामिल किया गया है।

दोनों शिष्टमंडलों ने अफगानिस्तान के ग्रामीण पुनर्वास और विकास मंत्री श्री मोहम्मद एहसान जिया के साथ विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किए और शाकर दारा सड़क परियोजना, रायसिन ड्राइंग फेसिलिटी प्रोजेक्ट, माइक्रो-हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जैसी विभिन्न परियोजनाओं, का स्थल पर जाकर देखा ताकि उन्हें सही रूप में प्रणालियों का अनुभव हो सके।

इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉ. अमर सिंह भारतीय पक्ष का नेतृत्व कर रहे थे और अफगानिस्तान के ग्रामीण पुनर्वास और विकास उप मंत्री, श्री मोहम्मद आसिफ रहीमी अफगानिस्तानी पक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्रामीण विकास के क्षेत्र मे सहयोग पर आधारित समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में 10 अप्रैल, 2006 को हस्ताक्षर किए गए थे।

महिला सशक्तिकरण की कुछ कोशिशें

नीरज कुमार

पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं ने ज्ञान-विज्ञान के हर क्षेत्र में अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं। आज देश व दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, जहां महिलाओं ने अपनी उपस्थिति न दर्ज करायी हो। आज उसी का परिणाम है कि अब सरकार अन्तिम पायदान पर खड़ी महिलाओं के लिए भी अपने विकास के मानदण्डों में बदलाव ला रही है। पहले महिलाओं के लिए सरकार के पास केवल कल्याणोन्मुखी योजनायें थी। बाद में विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया। लेकिन आज महिलाओं के सशक्तीकरण की बात हो रही है। आज उन्हें दया का पात्र समझने की बजाय प्रगति के मार्ग में समान भागीदार माना जाने लगा है।

इसके लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर उन योजनाओं को अमलीजामा पहनाने की फिराक में है, जिससे महिलायें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में विकसित हो सकें। अन्य प्रयास भी जारी हैं।

इस विषय पर सरकार की गम्भीरता का अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 'राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम' के छह मूल उद्देश्यों में एक उद्देश्य 'महिलाओं को राजनैतिक, शैक्षणिक, आर्थिक और कानूनी दृष्टि से सशक्त बनाना' रखा गया है। सरकार की इस मामले में महिलाओं को पुनर्वास से लेकर आत्मनिर्भर बनाने तक की पहल है। इसके लिए सरकार सरकारी तंत्र के अलावा गैर सरकारी संगठनों और स्वंयसेवी संस्थाओं से भी हाथ मिला रही है।

इसमें अब सरकार की नजर में वे राज्य प्राथमिकता पर होंगे जो अब तक अलग-थलग पड़े थे। जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में पिछले वर्ष की शुरूआत में 60 कामकाजी महिला हॉस्टलों की स्थापना की गई। इनमें 3087 महिलाओं को लाभ मिलेगा। इसके अलावा आईसीडीएस, राष्ट्रीय महिला कोष (आर. एम. के.) स्वंयसिद्धा, स्वावलम्बन, स्वाधार, निपसिड, सेप और स्वशक्ति जैसे सरकारी व गैर सरकारी तन्त्रों के माध्यम से सरकार पूर्वोत्तर को 'चिड़ियाघर' की तस्वीर से निकालने की पूरी कोशिश कर रही है। जिसके लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की विभिन्न स्कीमो और कार्यक्रमों के लिए दसवीं योजना (2002-07) का कुल परिव्यय 13,780 करोड़ रूपये था। इस पर 2003-04 से 2005-06 तक के वार्षिक योजना आबंटन और वास्तविक व्यय का वर्ष-वार विवरण के लिए एक नजर :-

वर्ष	आबंटन	व्यय	व्यय/आबंटन का प्रतिशत
2003-04	2600.00	2051.99	78.92
2004-05	2400.00	2399.78	99.99
2005-06	3875.2	3790.72	97.82

मंत्रालय के बजट परिव्यय में लगातार सुधार चित्र से साफ है कि वर्ष 2006-07 का अनुमोदित परिव्यय 4795.85 करोड़ रूपये है, जो कि वर्ष 2005-06 के परिव्यय में 24 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। शायद आंकड़ों के आइने में आप सन्देह भी पालने लगे हों। लेकिन सरकार भी इन संदेहों से अछूती नहीं है। इसके तहत सरकार आईसीडीएस समेत अपनी तमाम योजनाओं का मूल्यांकन और जांच समय-समय पर अपनी समितियों के माध्यम से करवाती रहती है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम और मेघालय जैसे राज्यों में आईसीडीएस कार्यक्रम के आकलन और प्रभाव मूल्यांकन के लिए अनेक अनुसंधान अध्ययन प्रायोजित किए गए। उड़ीसा में भी कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन कराया जाने वाला है। इसी प्रकार भारतीय आदिम जाति सेवक

महिलाओं के विकास के आधारभूत मानदंडों में अब सरकारी दृष्टिकोणों में भी काफी बदलाव आया है। जहां स्वतंत्रता प्राप्ति से वह कल्याण और विकास के सवालों में उलझी थी। आज वहीं महिलाओं के सशक्तीकरण के प्रयासों को तेजी देने के लिए तैयार हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना विकास प्रक्रिया में समान साझेदार एवं प्रतिभागी के रूप में महिलाओं पर विशेष बल देते हुए महिला सशक्तिकरण की दिशा में और आगे बढ़ी है। संविधान के 74वे संशोधन के साथ-साथ इन सभी प्रयत्नों के कई परिणाम सामने आये हैं। जैसे -स्थानीय शासन संस्थाओं और निर्णय निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता में वृद्धि, गरीबी उपशमन कार्यक्रमों का महिलाओं पर अधिक केन्द्रित होना, भोजन एवं स्वास्थ्य शिक्षा मामले में बालिकाओं एवं किशोरियों के प्रति भेदभाव समाप्त करने के लिए अधिदेश, बालश्रम कम करने व मिटाने के उपाय समेत महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर अधिकारी वर्ग और विधायकों, कानून प्रवर्तन अभिकरणों तथा संबंधित मंत्रालयों के सभी स्तरों पर संचेतना पैदा करने की आवश्यकता पर बल देने का प्रयास किया गया। और ये प्रयास काफी हद तक फलीभूत भी हुए हैं। इसी क्रम में नौवीं योजना दस्तावेज (1997-2002) में योजना प्रक्रिया और स्व-सहायता दलों को बढ़ावा देने में लोगों की सहभागिता पर बल दिया गया।

छतरपुर जिले में हाकिमपुर दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों का गांव है। पहले इस क्षेत्र में कोई अस्पताल नहीं था। इस कार्य को स्व सहायता दलों के सदस्यों ने अपने हाथ में लिया और डी.पी.आई.यू. के सहयोग से उन्होंने गांव में अस्पताल भवन का निर्माण शुरू किया। इसके लिए ग्राम पंचायत ने उन्हें भूमि दी। इसमें प्रसव कक्ष के निर्माण के लिए आई.डी.पी. परियोजना के साथ संकेन्द्रण स्थापित किया गया और अस्पताल जाने वाले मार्ग का निर्माण डी.पी.आई.यू. के सहयोग से किया गया। शुरूआत में स्व सहायता दल ने एक डॉक्टर को सप्ताह में कम से कम दो बार निःशुल्क परामर्श के लिए तैयार किया। बाद में, जिला प्रशासन ने अस्पताल के संचालन में सहायता की और वहां नियमित आधार पर डॉक्टरों की नियुक्ति भी की। अब यह अस्पताल नियमित अपनी सेवाएं दे रहा है।

संघ के 12451 शिशुगृहों में से 412 का निरीक्षण किया गया। जिनमें 94 प्रतिशत शिशुगृहों का कार्यकरण संतोषजनक पाया गया।

मंत्रालय अपने कार्यक्रमों के प्रभाव, निष्कर्ष और लाभार्थियों का मूल्यांकन करने के बहुत से तरीके अपना रहा है। इनमें निरीक्षण, रिपोर्टें, सर्वेक्षण व मूल्यांकन अध्ययन, कार्यक्रमों का प्रभाव मूल्यांकन, 27 लाभार्थी उन्मुख कार्यक्रमों का समावेश है। महिलाओं और बच्चों के लिए बजट बनाने का एक तरीका यह भी है कि इस मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों के ऐसे कार्यक्रमों के निष्कर्षों और लाभार्थियों का आकलन किया जाये, जो महिला, बाल-विशिष्ट और बच्चों से सम्बन्धित हों।

यह तो बात हुई आर्थिक आत्मनिर्भर बनाने की। लेकिन आज भी भारत में आज भी अन्धविश्वास और सामाजिक जड़ता जैसी अवधारणायें बदस्तूर जारी है। इन्हें समाप्त किए बिना महिलाओं के विकास कार्यक्रमों को अन्जाम देना संभव नहीं है। ये भारतीय समाज के ऐसे ऊसर हैं जिनके खात्मे के बिना विकास की किसी पौध का पनपना संभव नहीं है। शिक्षा ज्ञान और विज्ञान की प्रगति के साथ उस पर सामाजिक सहमति बनाने का प्रयास भी किया जाना चाहिए। सरकार तो इस मामले में प्रयासरत है ही समाज भी अब आगे आ रहा है।

शायद बदलते हालात में अगर हमने कुछ किया है तो बहुत कुछ नया करने का अवसर भी हमारे सामने है। आज परम्परागत आपदाओं के अलावा सुनामी, भूकम्प, अवैध देह-व्यापार, वेश्यावृत्ति, एड्स समेत बलात्कार की शिकार महिलाओं और कामकाजी महिलाओं के प्रति हमारा नजरिया बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। आज सिर्फ गांवों में 'इमराना' ही नहीं शहरों के सभ्य समाज के 'आपराधिक' इतिहास में 'जेसिका लाल' भी जिन्दा है।

कहने का लब्बोलुआब है कि महिलाओं को आर्थिक आजादी और सामाजिक मान्यता दोनों जरूरी है। इसके लिए सुनामी के शिकार लोगों को राहत और सहायता प्रदान करने के लिए तमिलनाडु के नागपट्टीनम और कन्याकुमारी के सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में दो स्वाधार गृह स्थापित किये गये हैं। जिनमें सौ-सौ संवासिनियों के रहने की व्यवस्था है।

इसके अलावा कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं के लिए राहत संरक्षण और पुनर्वास जैसे प्रयास भी जारी हैं इसके अन्तर्गत प्राकृतिक विपदाओं जैसे भूकम्प, सुनामी और मानव-जनित विपदायें जैसे जातीय विवाद, आतंकवादी गतिविधियां या सामजिक समस्याएं जैसे वेश्यावृत्ति और अवैध व्यापार, वैवाहिक विवाद आदि से संरक्षण और राहत की आवश्यकता पड़ती है। इनके लिए अल्पावास गृह, परिवार, परामर्श केन्द्र के लिए स्वाधार जैसी योजनायें कार्यरत है।

अल्पावास गृहों के माध्यम से वैवाहिक विवाद, भावनात्मक उथल-पुथल और अपराध जैसी समस्याओं से ग्रस्त महिलाओं को आश्रय देना है। इसमें परामर्श, मार्ग-दर्शन, डाक्टरी उपचार, व्यावसायिक प्रशिक्षण, विशेष सेवाओं और अनुवर्ती सेवाओं जैसे कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। इस समय 342 अल्पवास गृह है। इसी प्रकार समाज कल्याण बोर्ड की मदद से स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित परामर्श केन्द्र, परामर्श विशेषज्ञ सेवायें और पुनर्वास जैसे कार्यक्रमों का संचालन करते है। इसके अलावा वह महिलाओं से जुड़े महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर जनमत तैयार करने का भी काम करते हैं।

मंत्रालय द्वारा स्वाधार की स्थापना 2001-2002 में की गई। इसके माध्यम से उन विधवाओं और परिपक्व महिलाओं की मदद की जाती है जिनके घरवालों द्वारा उन्हें वृन्दावन और काशी जैसी धार्मिक स्थलों पर छोड़ दिया गया है। इनमें वे महिलायें भी शामिल हैं जो जेल से रिहा और परिवारिक व सामाजिक, आर्थिक सहातया से वंचित है। जो महिलायें अवैध देहव्यापार, वेश्यावृत्ति जैसे पेशों से जुड़ी है उनकी भी इससे मदद हो रही है। स्वाधार ने संकटग्रस्त महिलाओं के लिए 24 घंटे दूरभाष सेवा हेल्पलाइन (1091-1092) शुरू की है। इसके अतिरिक्त भोजन, आश्रय, चिकित्सा सहायता, कानूनी और डाक्टरी परामर्श भी यह मुसीबत की मारी महिलाओं को उपलब्ध कराता है।

महिलाओं के साथ बलात्कार और अवैध देह व्यापार के मामले को सरकार के साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी गम्भीरता से लिया है। 19 अक्टूबर, 1994 के अपने फैसले में कोर्ट न बलात्कार की शिकार महिला की पीड़ा कम करने के लिए सरकारों को योजना बनाने का निर्देश दिया था।

साथ ही उन्हें क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए ''क्रिमिनल इन्जरीज कम्पनसेशन बोर्ड'' का भी निर्देश जारी किया। इसी संदर्भ में बलात्कार की शिकार महिलाओं के लिए नयी स्कीम तैयार की जा रही है। इसे राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा चलाये जाने का प्रस्ताव है। इसके दो घटक हैं:-

आर्थिक प्रयासों के अन्तर्गत महिलोन्मुखी बजट आयोजना में कतिपय आवश्यक कार्यकलापों के लिए एक योजना तैयार की गई, जिसका सभी राज्यों को पालन करना है। इसके तहत महिलोन्मुखी बजट की जनसाधारण के कल्याणार्थ रूपरेखा का निर्माण किया गया। साथ ही हर राज्य के लिए महिला संवेदी आबंटन का समग्र अलोकन सतत रोजगार एवं आर्थिक सुरक्षा। (इसमें आर्थिक परिसंपत्तियों का स्वामित्व भी निहित है) स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओं की उपलब्धता, जलापूर्ति, साफ-सफाई, ईंधन समेत हिंसा से संरक्षण आदि की वास्तविक तस्वीर को आंकड़ों में दर्शाना शामिल है।

इसके अलावा सरकार ने महिलाओं को सही मायने में सशक्त बनाने की दृष्टि से महिलाओं के लिए विशिष्ट कानून बनाये है, जिनका उद्देश्य तमाम बातों के साथ-साथ सामाजिक भेदभाव से उन्हें संरक्षण प्रदान करना और समान अवसर प्रदान कराना है। कुछ महिला-विशिष्ट कानूनों की राष्ट्रीय महिला द्वारा समीक्षा की जा रही है। समीक्षा में शामिल है: सती प्रथा (निवारण) अधिनियम 1987, जिसका उद्देश्य सती का प्रयास करने वाली महिलाओं पर मुकदमा चलाने से छूट देना, स्त्री अशिष्टरूपण (निषेध) अधिनियम, 1986, दहेज निषेध अधिनियम, 1961, अनैतिक व्यापार निवारण, 1956 आदि। नये कानूनों जैसे घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, 2005 जिसे 14.09.2005 अधिसूचित किया गया। यौन उत्पीड़न संरक्षण विधेयक, 2005 जैसे कानूनों का प्रारूप राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर पुनः तैयार किया जा रहा है।

- पहला घटक है पीड़ित महिलाओं को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए जिलेवार ''क्रिमिनल इन्जरीज रिलीफ एण्ड रिहैबीलिटेशन बोर्ड'' का गठन
- दूसरा पीड़ित महिलाओं को आश्रय, संरक्षण, कानूनी चिकित्सा सहायता समेत पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए जिला अनुवीक्षण समिति का गठन। अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयों के परामर्श से मंत्रालय द्वारा इसकी जांच की जा रही है।

अवैध देह-व्यापार महिलाओं और लड़कियों को यौन शोषण चिन्ता का विषय है। इसे अलग दृष्टि से देखने की जरूरत है।

अब इसे कोई नैतिक या विधि प्रवर्तन का मामला मानने की बजाय मानवाधिकार का उल्लंघन मानना ही ज्यादा समीचीन होगा। क्योंकि ये मामले संगठित अपराध के मामले न होकर ज्यादातर हालात की मजबूरी के मामले होते हैं। महिला-पुरूष भेदभाव, निर्धनता, शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल सुविधाओं की कमी और आजीविका के विकल्प न होना ही अवैध देह व्यापार के प्रमुख कारण है। हालांकि इसके कुछ ऐतिहासिक कारण भी हैं जैसे सांसी, बेड़िया जैसे कुछ समुदायों में वेश्यावृत्ति का प्रचलन या देवदासी तथा जोगिन प्रथाएं आदि। इन शोषित महिलाओं के प्रति मंत्रालय का दृष्टिकोण मानवीय उपायों द्वारा सुधारात्मक और पुनर्वासात्मक है ना कि दण्डात्मक।

एच. आई. वी. संक्रमण के भारत में 57 लाख मामले हैं। यह एशिया में सर्वाधिक हैं। एड्स के दर्ज मामलों में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को भी पीछे छोड़ दिया है जहाँ 55 लाख मामले दर्ज हैं। देश में महिलाओं में एच.आई.वी. एड्स का फैलना गहन चिन्ता का विषय है, विशेषकर तब जबकि समुदाय के सर्वाधिक कमजोर वर्गों की महिलाएं और बच्चे इस खतरनाक बीमारी के शिकार हों। संक्रमित पुरूष से महिला तक वायरस का फैलना अब सिर्फ व्यावसायिक यौन गतिविधियों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि विवाहित जीवन में भी इसका प्रवेश हो रहा है। एच.आई.वी. एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने (के लिए) कार्ययोजना तैयार की गई है। इस क्रम में व्यापक परामर्श बैठकें और प्रमुख मुद्दों को लागू करने के लिए कार्य बल का गठन किया गया है। मंत्रालय विभिन्न माध्यमों के जरिये महिलाएं और एच.आई.वी. पर जागरूकता पैदा करने का सक्रिय प्रयास कर रहा है।

इसी के साथ सरकार महिला पुरुष भेदभावों को समाप्त करने, महिलाओं को न्याय दिलाने और उनके लिए समान अवसरों के साथ एक सकारात्मक वातावरण तैयार करने के उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध है। इसका उद्देश्य कार्यक्रमों के माध्यमों से विद्यार्थी उपायों, राष्ट्रीय महिला आयोग जैसे संस्थागत तन्त्रों का समर्थन, जागरूकता और महिला मुद्दों के प्रति चेतना को प्रचारित करने का प्रस्ताव है।

महिलाओं के आगे चुनौतियों और विकल्पों का अध्ययन करते कराते अब हम उनके आधुनिक परिवेश का विश्लेषण करेंगे। आज महिलायें राजनीतिक दृष्टि से कितनी अहम है इसका अंदाजा महिलोन्मुखी बजट को देखकर लगाया जा सकता है। लेकिन इस बजट में भी नजर दौड़ाने पर समस्यायें और प्राथमिकताएं अलग-अलग हैं। जैसे महिला-पुरुष समानता के लिए की कार्ययोजना के लिए आयोजित कार्यशाला के निष्कर्षों पर ध्यान दे तो जहां दिल्ली का विशेष जोर आर्थिक सशक्तीकरण और स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं को घर-घर पहुंचाने का हैं वहीं लेखा शीर्ष पर विचार की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरीखे राज्य कर रहे हैं। यानि एक राज्य शुरू कर चुका है तो दूसरे सोचने की तैयारी कर रहे है। आम तौर पर महिलाओं के साथ भेदभाव की समस्या का कोई साक्ष्य पूर्वोत्तर के राज्यों में नहीं मिलता। यहां कार्यबल में महिलायें 50 प्रतिशत से अधिक है। इनके लिए उन्हीं प्रयासों की जरूरत है जिसकी हम एक राज्य सरकार से उम्मीद करते हैं।

पहली बार सातवीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं की समानता एवं सशक्तीकरण के लिए योजना आयोग की चिन्ता उजागर हुई। निःसन्देह सरकार ने अपने प्रयासों और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, समस्याओं

से जूझते हुए महिलाओं के लिए चौखट की दहलीज से अन्तरिक्ष तक का रास्ता बनाया है। आज घूंघट उठने पर बेशर्म, बेहया, बेअदब जैसे अपमानित शब्दों से दूर नारी समाज में एक स्थान बनाने में कामयाब हुई है। हालांकि सदियों से चली आ रही रूढ़ियों और परम्पराओं को टूटने में समय लगता है। ये न आज नारी के प्रति सोच में लोगों का नजरिया भी बदला है। अब जरूरत है कि समाज के लिए आदर्श बन चुकी कुछ नारियों को सामान्य जीवन का सामाजिक सच बनाया जाय। यही पूरे दश की भारतीय सन्दर्भों में विकास की परिभाषा होगी।

कभी गांधीजी ने नीतिनिर्माताओं को चेताया था कि जब हम कोई भी नियम बनाये तो दिमाग में आखिरी आदमी की तस्वीर जरूर होनी चाहिए। गांधी जी ने भारत की राजनीति और समाज के अपनी दृष्टि से समझा था। महिलाओं के सन्दर्भ में भी यही बात लागू होती है। 2001 की जनगणना के अनुसार उनकी आबादी लगभग 48 प्रतिशत है। जो लगभग आधी आबादी है। कार्यबल की दृष्टि से भी ये हमारे लिए महत्त्वपूर्ण है। सरकार इनके महत्त्व को समझ भी रही है। इसके पीछे अन्तर्राष्ट्रीय कारण भी हैं। 2020 आते-आते दुनिया के तमाम देशों में कार्यशील युवाओं की भारी कमी पड़ेगी। इससे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र चीन भी अछूता नहीं है। सुखद है कि हम इससे महफूज हैं।

तब ऐसे में महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सामाजिक जागरूकता के साथ सोच में बदलावों की जरूरत है। क्योंकि सरकार की अपनी सीमायें है। अपनी संभावनायें हैं। भारत एक बड़े भूभाग पर पसरा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। जिसे अपने विकास में अशिक्षा, अन्धविश्वास और सामाजिक कुरीतियों की खाई अभी पार करना बाकी है। इन सबके बावजूद सरकार ने अपने प्रयासों, स्वंयसेवी संस्थाओं के सहयोग और जनसहभागिता से काफी सराहनीय सफलता अर्जित की है। इसी का परिणाम है कि आज महिलाओं को सशक्त बनाने की बात हो रही है। हालांकि उसमें समय है लेकिन कल्याण से विकास और विकास से सशक्तीकरण की ओर बढ़ते हमारे कदमों ने साफ कर दिया है कि अब मंजिल दूर नहीं है। ●

(लेखक पत्राकार हैं)

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत राज्यों को केंद्रीय सहायता

हिमाचल प्रदेश को केन्द्रीय सहायता

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष (2006-07) के दौरान हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले को केन्द्रीय सहायता की दूसरी किस्त के रूप में 8.18 लाख रुपय मंजूर किए हैं।

जम्मू-कश्मीर को केन्द्रीय सहायता

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष (2006-07) के दौरान जम्मू-कश्मीर के बडगांम जिले को केन्द्रीय सहायता की दूसरी किस्त के रूप में 64.79 लाख रुपए मंजूर किए हैं। 118.53 लाख रुपए की प्रथम किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है।

छत्तीसगढ़ को केन्द्रीय सहायता

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष (2007-07) के दैरान छत्तीसगढ़ के जंजगीर-ख्पा जिले को केन्द्रीय सहायता की दूसरी किस्त के रूप में 34.82 लाख रुपए मंजूर किए हैं। 310.79 लाख रुपए की प्रथम किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है।

राजस्थान को केन्द्रीय सहायता

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष (2006-07) के दौरान राजस्थान की दो जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों नामत: सवाई माधोपुर और चुरु को केन्द्रीय सहायता की दूसरी किस्त के रूप में 3.79 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सवाई माधोपुर को 190.25 लाख रुपए और चुरु को 188.96 लाख रुपए दिए गए हैं।

यह सहायता अनुदान योजना खर्च के लिए है और इसका इस्तेमाल सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के दिशा- निर्देशों में निर्धारित शर्तों के अनुसार मंजूर कार्यों में किया जाएगा। केन्द्र और राज्य योजना खर्च को क्रमश: 75 तथा 25 के अनुपात में वहन किया जाता है।

वर्ष 2007-08 के दौरान पहली किस्त जिला तथा राज्य स्तर पर सतर्कता तथा निगरानी समिति द्वारा वर्ष 2006-07 में आयोजित बैठकों का ब्यौरा मिलने के बाद जारी की जाएगी।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम है और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अलावा खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, टिकाऊ सामुदायिक सम्पत्तियों तथा सामाजिक-आर्थिक बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करना है। स्कीम के तहत राज्य सरकारों तथा केन्द्र शसित प्रदेशों को हर वर्ष मुफ्त अनाज अपलब्ध कराया जाता है। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय सीधे भारतीय खाद्य निगम को अनाज की कीमत का भुगतान करता है।

महिलाएं: दशा और दिशा

कुसुम त्रिपाठी

किसी भी देश या समाज के विकास मापकों को महिलाओं और बच्चों की स्थिति ही स्पष्ट करती है। क्योंकि बच्चा जहां देश का भविष्य है वहीं स्त्री उसकी पहली शिक्षिका, पोषिका और दिग्दर्शिका है लेकिन वर्तमान समय में तमाम प्रयासों के बावजूद देश में महिलाओं और बच्चों की स्थिति बेहद चिन्ताजनक है। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनिसेफ जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जो आज भी अशिक्षा , निर्धनता और गरीबी के कारण कुपोषित जीवन जी रहे हैं बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा के महत्व पर भी अपनी चिंता जता चुके हैं।

भारत एक बड़ी आबादी वाला राष्ट्र है जहां 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या लगभग 13 करोड़ है। वहीं तमाम प्रयासों के बावजूद सेंकेडरी स्कूलों में बालिकाओं के दाखिले के मामले में हमारी स्थिति बेहद खराब है। हम इस मामले में केवल अफगानिस्तान और भूटान से ही बेहतर हैं। देश में अशिक्षा, निर्धनता, गरीबी के कारण जिस तरह की असमानता महिलाओं और पुरुषों में है, उसी तरह लड़के और लड़कियों में हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, कुपोषण के मामले में किशोरियों की स्थिति बेहद नाजुक है। जिसमें अभी लक्ष्य तो दूर हम अपेक्षित लक्ष्य को भी पाने में नाकाम हैं।

किसी भी देश में परिवर्तन या क्रांति में शिक्षा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं भारत में वह स्थिति आने में समय है। क्योंकि हम तो अभी बच्चों की सुरक्षा में ही मशगूल हैं। हमारे यहां आज भी असमय काल-कवलित होने वाले बच्चों की संख्या चिंताजनक स्तर से अधिक है। दुनिया में होने वाली बाल मृत्यु की कुल घटनाओं में से एक चौथाई सिर्फ भारत में होती है। हालांकि यूनिसेफ रिपोर्ट बताती है कि अपने प्रयासों, समुचित स्वास्थ्य अभिकरणों में सुधार कर भारत में प्रति वर्ष दस लाख से भी ज्यादा बच्चों को मरने से बचाया जा सकता है। विकसित राष्ट्र बनने के लिए हमें कुपोषण , अशिक्षा और बाल मृत्यु जैसी समस्याओं

से निजात पाना ही होगा। इसके लिए सिर्फ सरकारी प्रयास ही काफी नही हैं, हमें सामाजिक और मानसिक रूप से भी खुद को तैयार करना होगा। जिसके लिए हमें अपनी बात उन तक पहुंचाना जरूरी है जिनको उसकी जरूरत है।

वैसे सरकार का महिलाओं और बच्चों के विकास पर हमेशा से ही जोर रहा है। बच्चो के लिए बजट, बच्चों से सम्बन्धित कानून, समेत कामकाजी महिलाओं के ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु सदनों का निर्माण जैसे कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 0-14 वर्ष तक की आयु के लगभग 347.54 मिलियन बच्चे हैं जो कि देश की कुल जनसंख्या का 33.8 प्रतिशत है। देश के ये भावी संसाधन अपनी उत्तरजीविता और विकास के लिए ठोस प्रतिबद्धताओं के पात्र हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों एवं स्कीमों का लक्ष्य, बाल-बालिका अनुपात में गिरावट, शिशु मृत्यु दर, स्वास्थ्य, पोषण,

अत्यधिक शिशु, मृत्यु और मातृ मुत्यु दरों, कुपोषण और बहुत कम टीकाकरण वाले क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने बाल संजीवनी अभियान की शुरुआत की है। जो स्वास्थ्य स्थिति का आकलन कर कुपोषणग्रस्त बच्चों का निर्धारण करेंगें। इनके बच्चों को विटामिन 'ए' अनुपूरक टीकाकरण और जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं भी यह योजना प्रदान कर रही हैं। इसने इस क्षेत्र मे उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है। जहां 2001 में सभी आयुवर्ग के गम्भीर कुपोषणग्रस्त बच्चों का प्रतिशत 57.6 से घटकर वर्ष 2005 में 50 प्रतिशत रह गया था। इस दौरान कुल लाभार्थियों की संख्या भी 7.3 मिलियन से अधिक हो गयी थी। इसके लिए अभियान में सबसे पहले शारीरिक जांच के द्वारा गंभीर रुप से कुपोषित बच्चों का निर्धारण कर उनका वर्गीकरण किया गया। इसके बाद उनके लिए परिचय पत्र और अतिरिक्त पोषण की व्यवस्था की गयी। गम्भीर कुपोषित बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी के साथ माताओं को दी जाने वाली अस्पताल संबंधी सुविधाओं को बढ़ाया गया और उन्हें वित्तीय सहायता भी दी गयी। जिसका अच्छा परिणाम भी हमारे समक्ष है।

पश्चिम बंगाल के चयनित जिलों के 5241 आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख कार्यकलापों में सकारात्मक अभिनव दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसी प्रकार के सामाजिक, आर्थिक वातावरण के अभिनव उदाहरणों के जरिए समुदाय को सामान्य रूप से स्वच्छता पोषण और बाल देखरेख की सर्वोत्तम प्रथाओं से अवगत कराया जाता है। इससे लड़कियों में कुपोषण के मामलों में काफी कमी आयी है। जैसे दिनाजपुर जिले के 8 ब्लॉकों में सकारात्मक अभिनव दृष्टिकोण से पूर्व 0-3 वर्ष के आयु वर्ग की कुपोषित लड़कियों की संख्या 1070 थी। लगातार आयोजित इन कार्यक्रमों की वजह से यह घटकर 207 रह गयी है।

शिक्षा और उनके अधिकारों के सरंक्षण आदि के संदर्भ में बच्चों का सम्पूर्ण विकास करना है।

यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि पोषण की आवश्यकता बच्चों के साथ-साथ उनकी माताओं और उन सरीखी महिलाओं को भी हैं। कुपोषण की समस्या ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी मलिन बस्तियों में ज्यादा भंयकर है। इसलिए शहरी कुपोषण की समस्या को हल करने के लिए और अधिक कारगर उपाय किये जाने की आवश्यकता है।

इसके अलावा जनजातीय क्षेत्रों में कुपोषण की समस्या के समाधान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । इसके लिए नागरिक पंजीयन प्रणाली का उपयोग कर गुजरात सरकार ने उल्लेखनीय काम किया है। इस प्रणाली के जरिए महिला-पुरूष अनुपात, नवजात शिशुओं में अल्प वजनी जन्में बच्चो संबंधी बहुमूल्य सूचना उपलब्ध कराने के लिए नागरिक पंजीयन प्रणाली का सफलतापूर्वक उपयोग किये जाने की आवश्यकता हैं आज जिला स्तर पर भी कम्प्यूटरीकृत नागरिक पंजीयन केन्द्र स्थापित करने की जरूरत हैं । साथ ही इन केन्द्रों को राज्य स्तर पर जोड़कर सभी मौतों के कारणों की जांच शुरू करने की आवश्यकता है।

समेकित बाल विकास सेवा(आई.सी.डी.एस.) में पोषण एवं शिक्षा, तथा संचार के रूप में बदलाव अपेक्षित था। महिला सशक्तीकरण आई. सी.डी.एस. का एक प्रमुख उद्देश्य है, किन्तु सशक्तीकरण एवं व्यवहार परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा संचार, आई.सी. डी.एस. की सबसे बड़ी कमजोरी थी।

पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा और संचार में शिशुओं एवं छोटे बच्चों की आहार पद्धतियों समेत सेवाओं के उपयोगमें सुधार करने से महिलाओं और 3 साल से छोटे बच्चों में कुपोषण कम करने में काफी मदद मिलेगी। नियमित एवं सतत आधार पर पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा और संचार के पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन को सुदृढ़ करने के लिए आई.सी.डी.एस. में सुधार करने की आवश्यकता हैं। पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा संचारकी अच्छी सामग्री के विकास उत्पादन और प्रसार के लिए पर्याप्त बजट आबंटन अपेक्षित या संचार एवं परामर्श में प्रशिक्षण और घरेलू दौरे के माध्यम से सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भी सुधार करने की आवश्यकता थी इसके लिए पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा को व्यवहारात्मक परिवर्तन हेतु संचार पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। तब जरूरी है कि केवल महिलाओं पर ही नहीं बल्कि पूरे परिवार पर ध्यान देना चाहिए और इसमें महिलोन्मुख संवेदनशीलता होनी चाहिए।

आज हम 21वीं सदी के उन राष्ट्रों की जमात में शामिल होने की जद्दोजहद कर रहे हैं। जो विकसित है। ऐसे में कुपोषण से मुक्ति हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे में यदि लोगों को स्वस्थ रहना है, तो अच्छा पोषण एवं आहार पद्धतियां दैनिक जीवन का अभिन्न अंग होनी चाहिए। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि जो आहार एवं पोषण को अपना व्यवसाय नहीं बनाना चाहते हैं, उन्हे भी पोषण संबंधी जानकारी प्राप्त हो ताकि वे जन प्रचार माध्यमों के गलत विज्ञापनों का शिकार न बनें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सभी छात्रों के शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में 'पोषण संबंधी जानकारी' पर अनिवार्य पाठ्यक्रम जोड़े जाने की आवश्यकता है। देश में 'पोषण आन्दोलन' के लिए यह उचित समय है। इसे समझना और समझाना पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी समस्या के प्रति गम्भीर नहीं है तो उसका कारण उसकी नहीं बल्कि हमारी समझ है। हम उसे समस्या की गम्भीरता को उस हद तक समझाने में नाकाम रहे जिस हद तक हम समझते हैं।

कुपोषण अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचाने के साथ-साथ राष्ट्रीय विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। सरकार तो जिला, ब्लाक और गाँव स्तर पर संपुष्टिकृतपूरक आहारों के उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। जिसे अब आम जन के सहयोग और समझ की आवश्यकता है। आई.सी.डी.एस. के लाभार्थियों के लिए कम लागत से बनाये गये तथा संपुष्टिकृत मिश्रित आहारों के उत्पादन को स्वसहायता महिला दलों का उपयोग करते हुए सरकार जिला और ग्रामीण स्तर तक पहुंचने की फिराक में हैं। इसके लिए सरकार सत्तू जैसे शीघ्र तैयार होने वाले मिश्रणों को गाँवो की दुकानों पर उपलब्ध कराने के लिए सरकारी-निजी सहभागिता का भी पता लगाने की सोच रही है। अब सरकार के लक्ष्यों में जीवन चक्र दृष्टिकोण के मुताबिक विभिन्न चरणों के अनुरूप कार्यक्रम बनाने की जरूरत है। जिस पर अब अमल भी होने लगा है। इसके अनुसार तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती माताओं तथा किशोरियों हेतु परामर्श और प्रसवपूर्व देखभाल पर केन्द्रित करना जैसी योजनाओं समेत शीघ्र कार्यवाही एवं निवारण दृष्टिकोण पर बल देने जैसे कार्यक्रम शामिल हैं।

समय के साथ-साथ हम इन कार्यक्रमों का सकारात्मक प्रभाव भी देख रहे है। पिछले दशकों में शिशु मृत्यु दर में गिरावट आयी है। जहां 1951 में यह दर प्रति 1000 जिंदा जन्में बच्चों पर 146 थी। वहीं 2004 में घटकर प्रति 1000 बच्चों में 58 रह गई है। लेकिन एस.आर.एस.

2006 के मुताबिक पिछले दशक में शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक रही है। यहां संख्या जहाँ वर्ष 2004 में केरल में शिशु मृत्यु दर के रूप में 12 रहीं । वहीं मध्यप्रदेश में 790 थी। (एस.आर.एस.2004) । 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में भी सुधार हुआ है। यानि प्रति हजार जिन्दा जन्में शिशुओं पर 77 है। इससे निजात के लिए बहुउद्देश्यीय रणनीति बनाकर कुपोषण की समस्या से निपटा जा सकता है। क्योंकि 50 से 55 प्रतिशत मामलों में बच्चों की मौत के जिम्मेदार कारणों में कुपोषण सबसे प्रमुख है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठत की एक रिपोर्ट के अनुसार 55 प्रतिशत शिशुओं की मृत्यु का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कारण कुपोषण ही है।

चाहे कुपोषण हो या शिक्षा इन दोंनो ही मामलों में ग्रमीण क्षेत्र में महिला/बालिका की स्थिति खराब है। वैसे भी आज तक हम बालिकाओं को वह मान्यता देने में नाकाम रहे हैं जो बालकों को दिया करते हैं। यह स्थिति लड़कियों के स्वास्थ्य कुपोषण और स्कूल छोड़ने जैसे भी कारकों में मौजूद है।

हमारे निर्धनता, गरीबी समेत तमाम कारकों की वजह से शिक्षा प्राप्ति में लड़कों और लड़कियों दोनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिस तरह रजिया सुल्तान की असफलताओं के तमाम कारणों में से एक कारण उसका स्त्री होना भी कुछ लोग मानते हैं उसी तरह लड़कियों को शिक्षा से दूर करने में एक कारण उनका लड़की होना भी है। जिसे शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के प्रतिशत से समझा जा सकता है। आंकड़े वैसे ही तस्वीर साफ करने के लिए काफी हैं। फिर कुछ जनजातीय समूहों के अलावा लड़कियों की तुलना में लड़कों को वरीयता देना आम भारतीय सोच है।

सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और विकास के लिए कई संस्थाओं का गठन किया है। जिनमें राष्ट्रीय जनसहयोग एवं बाल विकास संस्थान भी एक है। 1966 में स्थापित यह संस्थान बाल विकास एवं कल्याण, महिलाओं के सशक्तीकरण और संबंधित मामलों के समग्र क्षेत्रों में स्वैच्छिक कार्य, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रलेषीकरण के उन्नयन में संलग्न एक शीर्षस्थ संस्थान है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसके दो संवैधानिक निकाय हैं जिन्हें सामान्य निकाय संस्थान और कार्यकारी परिषद् के रुप में जानते हैं जो संस्थान के प्रबन्धन और प्रशासन हेतु नीति तैयार करता है और शैक्षणिक कार्यक्रमों व प्रशासनिक मामलों को देखने के लिए समितियां बनी है। इस संस्थान का उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण विकास और महिला मुद्दों व महिलाओं के राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक अधिकारों के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए आवश्यकता आधारित कार्यक्रमों पर बल देते हुए सामाजिक विकास में स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देना है।

इन सबके अलावा महिलाओं में आत्मविश्वास बना रहे इसके लिए उन्हें आर्थिक और शैक्षिणिक दोनों रूपों में मजबूत होने व करने की जरुरत है। इसके क्रम में महिलाओं के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम जैसे प्रयास केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड 1958 से कर रहा है। इस योजना का लक्ष्य 15 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियों/महिलाओं को कौशल उन्नयन/व्यावसायिक प्रशिक्षण के अलावा शैक्षणिक अवसर प्रदान करना है। इस स्कीम में मुख्य रुप से यह सुनिश्चिन करने पर बल दिया गया कि पाठ्यक्रमों की विषय-वस्तु आवश्यकता आधारित हो। जिसका निर्धारण स्थानीय जरुरतों के अनुसार संशोधित हो और प्राथमिक / मिडिल / हाई स्कूल तथा मैट्रिक / माध्यामिक स्तर के पाठ्यक्रमों के शैक्षिणिक स्तरों के प्रति एक साथ लक्षित हो। इस संक्षिप्त पाठ्यक्रम कार्यक्रम ने अपने लचीले दृष्टिकोण, औपचारिक तथा अनौपचारिक संरचना के संयोजन के कारण अत्यधिक लोकप्रियता हासिल की। देश के प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक पाठ्यक्रम आवंटित करने के लिए राज्य बोर्डों और स्वैच्छिक संगठनों से लगातार मांग की जा रही हैं।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रौढ़ महिलाओं को शक्ति प्रदान करने के लिए उनमें आत्मविश्वास पैदा करने और सामाजिक, आर्थिक प्रक्रियाओं तक उनकी पहुंच को बढ़ावा भी है। यह कार्यक्रम महिला-पुरुष समानता व महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने वाला, परिवर्तन तथा विकास के अभिकर्त्ताओं के रूप में कार्य करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने वाला उपयोगी कार्यक्रम है। वर्ष 2004-2005 के दौरान 14625 महिलाओं के लिए 585 पाठ्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके लिए 58.127 लाख रुपये खर्च किये गये। जिसका 14625 लोगों ने भी लाभ उठाया। इस स्कीम की समीक्षा भी समय पर होती रहती है,

	प्राथमिक			माध्यमिक			माध्यमिक		
वर्ष	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
1960-61	61.7	70.9	64.9	75.0	85.0	78.3	-	-	-
1970-71	64.9	70.9	67.9	74.6	83.4	77.9	-	-	-
1980-81	56.2	62.5	58.7	68.0	79.4	72.7	79.8	86.6	82.5
1990-91	40.1	46.0	42.6	59.1	65.1	60.9	67.5	76.9	71.3
1992-93	43.8	46.7	45.0	58.1	65.2	61.1	70.0	77.3	72.3
1999-2000	38.7	42.3	40.3	52.0	58..0	54.5	66.6	70.6	68.3
2001-02	38.4	39.9	39.0	52.9	56.9	54.6	64.2	68.6	66.4

अमेरिका स्थिति बोस्टन कंसल्टिग ग्रुप (बीसीजी) की रिपोर्ट के अनुसार 2020 तक पूरी दुनिया में कार्यशील युवाओं की भारी कमी पड़ेगी। इसी कमी की चपेट में दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन भी शमिल है। एक ऑकड़े के मुताबिक सन् 2020 तक अमेरिका में सर्वाधिक (एक करोड़ सत्तर लाख) कार्यबल की कमी होगी। यह कमी क्रमशः चीन में एक करोड़, जापान में नब्बे लाख, रूस में साठ लाख, इटली मे 40 लाख, फ्रांस में तीस लाख, जर्मनी में तीस लाख, इंग्लैंड में बीस लाख कार्यशील युवाओं की होगी। बीसीजी की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 तक भारत में कार्यशील युवाओं की आबादी चार करोड़ सत्तर लाख पहुंच जायेगी। इससे भारत की यह कार्यशील युवा पीढ़ी न केवल देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत करेगी बल्कि कई देशों के विकास का आधार भी बनेगी। जिसे दुनिया समझ रही है, जरुरत हमें समझने की है।

जिसमें शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकताओं, शिक्षा के क्षेत्र के नीति निर्माताओं समेत समाज के अलग अलग हिस्सों के प्रबुद्ध नागारिकों ने भाग लिया। जिनके मंथन के बाद राष्ट्रीय/राज्य-स्तरीय, कार्यशालाओं की अनुशंसाओं के अनुसरण में, बदलते सामाजिक - आर्थिक एवं कार्य परिवेश में स्कीम के संशोधन/मूल्यांकन हेतु एक राष्ट्रीय कार्यकारी समूह का गठन किया गया है। कार्यकारी समूह की रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत की जायेगी।

इसी के साथ बाढ़, भूकम्प, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं दंगा, जातीय संघर्ष, आतंकवाद जैसी मानव जनित आपदाओं से भी महिलाओं की सुरक्षा जरी है। यह काम सिर्फ परिवार परामर्श केन्द्र, पुलिस मुख्यालयों में स्थापित परामर्श केन्द्र, महिला जेलों में परिवार परामर्श केन्द्र, बलात्कार के मामलों संबंधी अन्तःक्षेप केन्द्र, विवाह-पूर्व परामर्श केन्द्र, देशवासियों/वेश्यावृति वाले क्षेत्रों समेत अनेक सरकारी और गैर सरकारी केन्द्रों व संस्था का ही नहीं वरन् समाज का भी उत्तरदायित्व है।

हालांकि केरल, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, पांडिचेरी, असम, कर्नाटक, मणिपुर, महाराष्ट्र, पंजाब, नागालैण्ड, आन्ध्र प्रदेश, चण्डीगढ़, सिक्किम, तमिलनाडु, हरियाणा, त्रिपुरा एवं गोवा राज्यों के पुलिस मुख्यालय परिवार परामर्श केन्द्र के माध्यम से पारिवारिक अनबन के मामलों का न्यायालय से बाहर ही समाधान करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा महिला जेलों मे भी 23 परिवार परामर्श केन्द्र खोले गये हैं। इनका संचालन दिल्ली, कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल, गुजरात, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, पंजाब, चण्डीगढ़, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश जैसे राज्य सफलतापूर्वक कर रहे हैं। इस समय मुम्बई (महाराष्ट्र) और बेलगाम के परिवार केन्द्रों का संचालन कर रहे हैं। ये केन्द्र कानून सम्बन्धित मुद्दों पर जागरुकता समेत यौन रोगों एड्स, तथा स्वास्थ्य की जानकारी जैसे कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं। लेकिन सरकार सिर्फ कल्याण की दया पर ही सन्तोष नहीं कर रही है। हमें किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में इसकी उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए।

इसीलिए सरकार महिलाओं के आर्थिक दृष्टि से मजबूत और स्वावलम्बी बनाने पर जोर दे रही है। यह आज के बदलते वैश्विक परिवेश में देश समाज और दुनिया की जरूरत है। इसके लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की तर्ज पर राष्ट्रीय महिला कोष की व्यवस्था है। 1993 में स्थापित इस कोष का लक्ष्य गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतन्त्र बनाने के लिए आयोत्पादन, उत्पादन कौशल विकास और घरेलू कार्यकलापों के लिए ऋण सहायता अथवा लघु ऋण सहायता मुहैया कराना है। यह गैर सरकारी संगठनों, महिला विकास निगमों के माध्यम से अपने कार्यो को अंजाम देती है।

सरकार इन कार्यक्रमों को अंजाम देने के लिए इन गैर-सरकारी संगठनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन करती है। क्योकि समस्या, आवश्यकता और विकास के मानकों का अध्ययन किये बिना यह संभव नहीं है। जैसे आन्ध्र प्रदेश में सरकार से प्राप्त कृषि सहायता ऋणों को कहीं-कहीं किसानों ने धार्मिक अनुष्ठान, विवाह में दहेज जैसे कार्यक्रमों में प्रयोग किया जिससे सरकार उनके विकास का लक्ष्य पाने और आत्महत्या कम करने में नाकाम रही। हालांकि यह एक कारण है इसके अतिरिक्त आंध्रप्रदेश के किसानों की आत्महत्या के कई और कारण भी हैं। लेकिन महिला कोष अपने धन का सही उपयोग कर सके इसके लिए पहली बार 21-25 नवम्बर, 2005 को निपसिड के क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी में, पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। जिसमें असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, उड़ीसा, बिहार, झारखण्ड के गैर सरकारी संगठनों के 40 सदस्यों ने भाग लिया।

यह तो बात थी समस्याओं और जरुरतों की। देश में समस्याओं की इतनी लम्बी श्रृंखला है कि उसका मोटा-मोटा आकलन प्रस्तुत करना भी संभव नहीं है। इस विषय पर कोई निष्कर्ष देना तो और भी मूर्खता है। लेकिन सबमें जो बात मुख्य है वह यह है कि ये समस्यायें हैं और उनसे निजात के प्रयास भी जारी हैं।

लेकिन हम अभी वांछित सफलता से दूर हैं। सरकार की अपनी सीमायें और संभावनायें हैं। भारत एक बड़े भू-भाग पर पसरा एक सघन लोकतन्त्र है। जो इसकी विशेषता और विडम्बना दोनों है। इन सबके बावजूद अगर हमें अपने विजन 2020 को सफल देखना है तो आधी आबादी समेत स्वस्थ नयी पौध के विकास पर जोर देना होगा। क्योंकि दहलीज से निकलने का संघर्ष करती नारी और कुपोषित बच्चे जो कल के नागरिक है, इन्हें लेकर अगर हम दुनिया में महाशक्ति बनने की सोचते हैं तो सह सोच नहीं सपना है जिसके सच होने की संभावना शायद ही हो। ●

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार है)

चोला डाल लेने से कोई साधू नहीं बन जाता

ज्ञान चाहिए तो

अरिहन्त™

ज्ञानोत्कर्ष

ही पढ़िए

KG KNOWLEDGE GROUP की अद्वितीय भेंट

प्रतियोगी परीक्षाओं की सम्पूर्ण मासिक पत्रिका

कालिन्दी, ट्रान्सपोर्ट नगर, मेरठ-250001 (उ० प्र०) फोन- (0121) 2401479, 2512970, 2402029

Web: www.arihantbooks.com email:info@arihantbooks.com

KH-03/07/02

महिला सशक्तिकरण और वर्तमान कानून

पूनम द्विवेदी

किसी भी सभ्य समाज की स्थिति उस समाज में स्त्रियों की दशा देखकर ज्ञात की जा सकती है। स्त्रियों की स्थिति ही वह सपना है जो समाज की दशा और दिशा को स्पष्ट कर देता है। स्त्रियां ही संतति की परंपरा के निर्वाह में मुख्य भूमिका निभाती रही हैं। फिर भी प्राचीन समाज से लेकर आज के आधुनिक कहे जाने वाले समाज तक स्त्रियां उपेक्षित ही रही हैं। आखिर स्त्रियों की इस उपेक्षा के पीछे कौन-सी परिस्थितियां उत्तरदायी हैं? आखिर ऐसी कौन सी रूढ़ियां, मान्यताएं, आडंबर और बेड़ियां स्त्रियों को जकड़े हुए हैं कि वे समाज के दबे-कुचले वर्ग का एक बड़ा भाग होकर रह गयी हैं? आखिर कहीं इनके पीछे मानव जनित परिस्थितियों का एक भीषण समंदर तो नहीं हैं? सवाल बहुतेरे हैं और उनके जवाब भी। लेकिन जो बात छूट रही है वह है इन सवालों का समुचित निदान। इनका पूरा खात्मा और ऐसी समस्याओं को उपजने देने वाली परिस्थितियों से पूरी तरह निजात। आज के आधुनिक कहे जाने वाले समाज में स्त्रियों को बाजार की वस्तु बना दिया गया है। आज फिल्में बनती हैं तो उसमें भी जो दिखता है वही बिकता है का फार्मूला ही फिट होता है। समाज अपने नैतिक मूल्यों, गरिमा, भद्रता और शिष्टता से कोसों दूर चला गया है। अब इस समाज में मर्यादा और मर्यादित जीवन सिर्फ एक दु:खद स्वप्न बनकर रह गया है। बात विवाह, सती प्रथा, वेश्यावृत्ति, वधुओं को दहेज के लिए जलाकर मार देना और न जाने कितने अपराध सरकारी प्रयासों के बावजूद इस समाज की जड़ों में गहरे तक जम चुके हैं। आज के इस भूमंडलीकृत समाज में स्त्रियों का अवैध व्यापार बे-रोक-टोक जारी है। हालांकि इस व्यापार को रोकने के लिए कानून बने हैं और उन कानूनों का यथासंभव अनुपालन भी होता है लेकिन देह व्यापार के धंधे में लिप्त दलाल इनका भी तोड़ निकाल लेते हैं। उदाहरण के लिए, जब किसी लड़की को देह व्यापार में ढकेला जाता है तो उसे देश के साथ विदेश में भी भेजा जाता है जहां उसे बहुत मूल्य दिया जाता है। पुलिस चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि इन लड़कियों को पर्यटक वीजा देकर विदेश भेजा जाता है। इस प्रकार के अनेकों उपाय अपनाकर शोषण के नए-नए तरीके अपनाए जाते हैं और सरकारी प्रयास खुद में उलझकर रह जाते हैं। परंतु सच्चाई यह भी है कि केवल सरकारी प्रयासों या कानून से तब तक किसी समस्या का हल नहीं निकल सकता जब तक कि हम स्वयं सक्रिय और जागरूक न हों। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनेकों कानून बनाए, उन्हें लागू किया और नित नए-नए कानूनों का निर्माण भी कर रही है। दहेज हत्या, बलात्कार, सतीप्रथा, और घरेलू हिंसा जैसे विभिन्न प्रकार के कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए पारित किए गए।

फोटो: सर्वेश

हाल ही में घरेलू हिंसा से महिलाओं के निजात के लिए एक नया कानून लागू किया गया। 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005' नाम के अधिनियम को 14 सितंबर 2005 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। प्रारंभ में इस अधिनियम की प्रतियां राज्य के मुख्य सचिवों और पुलिस अधिकारियों के पास प्रचार-प्रसार के लिए भेजी गयीं। संसद के दोनों सदनों ने इस अधिनियम 2005 में ही स्वीकृति दे दी थी और 14 सितंबर 2005 को राष्ट्रपति की भी स्वीकृति इसे प्राप्त हुई और महामहिम ने इस पर हस्ताक्षर किए। कुछ कारणों से इसे लागू करने में विलंब हुआ यद्यपि 26 अक्टूबर 2006 से इसे लागू किया गया। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। प्रथम, इस कानून में घरेलू हिंसा की जो परिभाषा ही गयी है उसमें वास्तविक दुर्व्यवहार अथवा शारीरिक, यौन, शाब्दिक, आर्थिक दुर्व्यवहार की धमकी और भावनात्मक उत्पीड़न को शामिल किया गया है। महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना, बच्चे न होने अथवा पुत्र के जन्म न लेने पर ताने मारना और अपमानित करना भी इस कानून के प्रावधानों में शामिल है। द्वितीय, इसमें पीड़ित महिला के ससुराल अथवा संयुक्त परिवार में रहने के अधिकार का उपबंध भी किया गया है चाहे ऐसे घर या परिवार पर महिला का स्वामित्व हो अथवा न हो। यदि प्रतिवादी महिला नहीं है तो उसे वह घर छोड़ने के लिए जिसमें शिकायतकर्ता महिला के साथ रह रहा है अथवा उसके जैसा वैकल्पिक आवास महिला को देने या उसके लिए ऐसा घर किराए पर लेने का निर्देश इस अधिनियम के अंतर्गत दिया जा सकता है। इस प्रकार महिला को आवास की समस्या से दो-चार नहीं होना पड़ेगा क्योंकि

आवास मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। तृतीय, इस अधिनियम में दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति को घरेलू हिंसा या अन्य किसी विनिर्दिष्ट कार्य में सहायता करने अथवा ऐसा कोई कार्य करने, कार्य स्थल अथवा ऐसे किसी अन्य स्थान जहां सामान्यत: पीड़ित महिला का आना-जाना हो ऐसे स्थान पर प्रवेश करने, पीड़ित महिला से बात करने का प्रयास करने, दोनों पक्षों द्वारा प्रयुक्त की जा रही परिसंपत्तियों पर केवल अपना अधिकार स्थापित करने से भी रोकने का प्रावधान इस विधेयक में है। जैसा कि स्पष्ट है कि पीड़ित महिला को आने-जाने की स्वतंत्रता तथा परिसंपत्तियों पर अधिकार इस अधिनियम में देने का प्रयास किया गया है। वैसे भी आज घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर महिला को लगभग हर कार्य करना पड़ता है वह मां भी है, संरक्षक भी और घर की आय में उसका एक बड़ा हिस्सा और सहयोग है। चौथी बात जो इस कानून में है वह कि इसमें उन महिलाओं को भी शामिल किया गया है जिनका दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति से कोई संबंध है अथवा रहा है। उन मामलों को भी इस कानून में जगह मिली है जिनमें दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति तथा पीड़ित महिला, दोनों क्यों की बीच समरक्तता, विवाह जैसे प्रसंग अथवा दत्तकग्रहण पर आधारित कोई रिश्ता है तथा जो एक ही परिवार में साथ रह रहे हैं। इसके साथ ही संयुक्त परिवार में रहने वाले परिजनों के संबंधों को भी कानून के दायरे में लाया गया है। बहनें, विधवाएं, माताएं, एकल महिलाएं तथा दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के साथ रहने वाली महिलाएं भी कानूनी संरक्षण की हकदार होगीं। आज बड़े-बड़े महानगरों में पुरुष और स्त्री विवाह से पूर्व भी साथ-साथ रहते हैं इन महिलाओं और युवतियों को भी इस कानून के अंतर्गत संरक्षण प्रदान किया गया है। इस कानून के अंतर्गत पीड़ित महिला को राहत प्रदान करने के लिए जारी किए जाने वाले आदेशों में संरक्षण आदेश, आवास आदेश, आर्थिक राहत संबंधी आदेश, अभिरक्षा तथा क्षतिपूर्ति आदेश सम्मिलित हैं। महिलाओं को अन्य सुविधाएं जैसे चिकित्सा जांच, कानूनी सहायता, सुरक्षित आश्रय आदि प्राप्त कराने के लिए सेवा प्रदाताओं के रूप में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति का प्रबंध किया गया है साथ ही गैर-सरकारी संगठनों की सहायता एवं विशिष्ट सहयोग भी कानून को लागू करवाने में सहायक होंगे। कानून में एक वर्ष की कैद और 20 हजार रुपए जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। कानून इधर लागू नहीं हुआ कि उधर तमिलनाडु के एक जिले में इस कानून के तहत पहली गिरफ्तारी की गयी।

महिलाओं को विवाह पंजीकरण को अनिवार्य बनाए जाने से भी लाभ होगा। अभी तक विवाह पंजीकरण अनिवार्य न होकर वांछनीय है। विवाह को पंजीकृत कराने को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक प्रस्तावना सरकार के समक्ष रखी है। सरकार भी महिलाओं के अधिकारों को लेकर चिंतित है और जल्द ही कानून का निर्माण करेगी। भारत में वर्षों से व्याप्त सतीप्रथा के लिए भी कानून आजादी के बाद बनाया गया। सतीप्रथा (निवारण) अधिनियम 1987 में बना लेकिन अब उसमें भी संशोधन की बात चल रही है। पहली विचार यह है कि सही होने का प्रयास करने वाली महिला को 'सामाजिक परिस्थितियों से पीड़ित' माना जाय न कि- 'कानून का अपराधी'। अत: इस कानून से संबंधित धारा 3 पर संशोधन का विचार चल रहा है। पहले उपबंध में यह जोड़ा गया है कि सती होने का प्रयास दबाव या विवशता में किया। उसके परिवार सती होने से रोक सकते थे परंतु रोका नहीं। दूसरे उपबंध में यह प्रावधान है कि यदि पहले उपबंध का मत गलत सिद्ध होता है तो सती होने का प्रयास 'सामाजिक परिस्थितियों' के कारण किया। यह सुझाव भी है कि जो लोग सती प्रथा (निवारण) अधिनियम 1987 के अंतर्गत दोषी पाए गए हैं उन्हें जेल से रिहा होने पर भी संसद और राज्य सभाओं के साथ ही पंचायतों से भी 5 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने को आयोग्य घोषित किया जाए। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में संशोधन की सिफारिशें भी भारत में अनैतिक व्यापार निवारण के लिए ठोस विचार हैं। अधिनियम से 'वयस्क' और 'अवयस्क' शब्दों के लोप का प्रावधान है। व्यक्तियों के अवैध व्यापार से संलिप्त लोगों को सजा देना और पीड़ित

भारत में महिलाओं से संबंधित समस्याओं की देखरेख के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अंतर्गत किया गया। यह महिलाओं का शीर्षस्थ सांविधिक निकाय है। यहां महिलाओं की समस्या को सुना, समझा और सांवैधानिक तरीके से हल किया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनों की कार्यकुशलता में सुधार की संस्तुतियां सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उनकी समीक्षा कर रहा है। हाल ही में लागू किया गया घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम में राष्ट्रीय महिला आयोग की महती भूमिका रही है। अभी तक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियमों की समीक्षा भी आयोग द्वारा की गयी है। सतीप्रथा (निवारण) अधिनियम 1987, स्त्री अशिष्ट रूपण (निषेध) अधिनियम 1986, दहेज (निषेध) अधिनियम 1961 और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 समीक्षा सूची में प्रमुख रूप से शामिल है। महिलाओं का यौन उत्पीड़न से संरक्षण विधेयक 2005 को भी राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रशंसनीय कार्य ही माना जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग का एक अन्य प्रमुख कार्य अभिरक्षात्मक न्याय सुनिश्चित करना भी है। महिलाओं से संबंधित सभी विषयों का अध्ययन एवं प्रबोधन, मौजूदा कानूनों की समीक्षा, जहां भी आवश्यक हो संशोधनों की सिफारिश और न जाने कितने कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग ने विवाह पंजीकरण विधेयक को अनिवार्य किए जाने की भी पहल की। इस प्रकार राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य महिलाओं को सशक्त करना है ताकि महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान दर्जा प्राप्त करें तथा राष्ट्र के निर्माण में समुचित भागीदारी दे सकें क्योंकि तभी भारत तक मजबूत राष्ट्र बन सकेगा।

फोटो: सर्वेश

महिलाओं की रक्षा और गोपनीयता का प्रावधान भी इस संशोधन की मुख्य बात है। भारत के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इस प्रकार के व्यापार को रोकने के लिए कुछ विशेष कदम भी उठाए हैं जैसे पंचायत तथा स्थानीय सरकारों के प्रतिनिधियों को इस संबंध में सुग्राही बनाना ताकि अवैध व्यापार करने वाले आसानी से महिलाओं तथा बच्चों को अपना शिकार न बना सकें। अमेरिका ने भी इस दिशा में 'ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स रिपोर्ट' के माध्यम से अपना सहयोग दिया है। विभाग ने रोकथाम, बचाव तथा पुनर्वास के लिए धन की समुचित व्यवस्था की है और गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग भी लिया है।

महिलाओं को सशक्त करने के लिए महिला आरक्षण विधेयक पर विचार चल रहा है। यद्यपि भारत की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के मध्य सहमति नहीं बन पायी है लेकिन आज या कल में सहमति बन जाएगी। यह विधेयक पास हो जाएगा तो महिलाओं को संसद तथा विधान मंडलों में एक तिहाई आरक्षण मिल जाएगा। चूंकि विश्व के अनुपात में संसद में महिलाओं का अनुपात बहुत कम है। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की भी स्थिति इससे बेहतर है। न्यूजीलैंड में तो महिलाओं को अधिकार के बारे में सर्वप्रथम पहल हुई और अन्य पश्चिमी देश भी महिलाओं की स्थिति के मामले में भारत से उच्चतर स्थिति पर हैं। अत: इस विधेयक को भी जल्द से जल्द मंजूरी मिल जानी चाहिए। क्योंकि तब महिलाएं अपना कानून स्वयं बना सकेंगी और विश्व के सबसे बने लोकतंत्र में पूर्व योगदान दे सकेंगी। इन सभी कानूनों के लागू हो जाने पर भी महिलाओं के समक्ष कुछ मूलभूत चुनौतियां हैं। यद्यपि कानून ही वह आधार प्रदान करता है जिसके दम पर महिलाओं के हित के लिए काम किया जाता है। महिलाओं में दिनोंदिन बढ़ती गरीबी, निर्णय निर्माण में असमान सहभागिता, संसाधनों के प्रबंधन और पर्यावरण के संरक्षण में महिलाओं का अल्प योगदान विशेषकर ग्रामीण महिलाओं का, उत्पादन प्रक्रिया, नीतिनिर्माण और आधारभूत संरचना में महिलाओं की भागीदारी की असमानता, स्वास्थ्य की अपर्याप्त और असमान सुविधाएं आदि कुछ ऐसी मूलभूत समस्याएं है जिनके बिना महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य पूरा होने में संदेह है। निश्चित तौर पर यह समस्याएं हमारे समाज की रूढ़िवादी व्यवस्था की ही देन है। महिलाओं को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में संगठित कर, उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कर और सभी स्थानों पर उनके सहभागिता के स्तर को बढ़ाकर ही महिला सशक्तिकरण हो सकेगा और अपना देश तथा समाज भी सशक्त हो सकेगा। ✸

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं)

इंदिरा आवास योजना के तहत जम्मू कश्मीर को केन्द्रीय सहायता

जम्मू कश्मीर की बडगांम जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को वर्ष 2006-07में इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सहायता की दूसरी किश्त के रूप में 24.40 लाख रुपए दिए गए हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी यह अनुदान योजना खर्च के लिए है और इसका इस्तेमाल नये आवास बनाने, कच्चे मकानों में बदलने के लिए किया जाएगा। यह अनुदान समय-समय पर इंदिरा आवास योजना के तहत निर्धारित दिशा-निर्देशों की शर्तो पर निर्भर करेगा। कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर होने वाले खर्च को केन्द्र और राज्य सरकारें क्रमश: 75 तथा 25 के अनुपात में वहन करती हैं। राज्य सरकार को अपना हिस्सा केन्द्रीय सहायता प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के अंदर जारी कर देना होगा।

इंदिरा आवास योजना स्कीम 1985-86 में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के ग्रामीण परिवारों और मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को मकान बनाने तथा कच्चे मकानों को पक्का बनाने के लिए सहायता प्रदान करना था। 1993-94 से स्कीम के दायरे में विस्तार किया गया और इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे के अन्य परिवारों को भी शामिल कियाा गया। पर शर्त यह रखी गई थी कि इंदिरा आवास योजना के तहत कुल आबंटित धनराशि का 40 प्रतिशत तक ही इन परिवारों के लिए रखा जाएगा। स्कीम के फायदे भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों तथा अभियानों के दौरान मारे गए अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी उपलब्ध कराए गए हैं। 3 प्रतिशत आवास गांवों के शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग गरीबों के लिए रखे गए हैं।

भारत निर्माण कार्यक्रम के छह प्रमुख घटकों में यह आवास भी शामिल है। इस योजना का उद्देश्य देश के ग्रामीण ढांचे को मजबूत बनाना है। भारत निर्माण पैकेज के तहत देश में अगले चार वर्षों के दौरान 60 लाख मकान बनाने का प्रस्ताव है।

भागीदारी
नागरिक–सरकार साझेदारी
दिल्ली सरकार
टीम दिल्ली-सपने करे साकार
मेरी दिल्ली
मैं ही संवारूं

भारत तुझे सलाम !

DIP/1847/06-07

KH-03/07/04

राष्ट्रीय आय के अग्रिम अनुमान वर्ष 2006–07

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने वित्त वर्ष 2006-07 के लिए नियतांक (1999-2000) और वर्तमान मूल्यों के आधार पर राष्ट्रीय आय के अग्रिम अनुमान जारी किए हैं।

ये अग्रिम अनुमान कृर्षि और औद्योगिक उत्पादन के अनुमानित स्तर, सरकार के व्यय और मुख्य क्षेत्रों जैसे रेलवे, परिवहन, संचार, बैंकों और बीमा के कार्यनिष्पादन के बजट अनुमानों पर अब तक उपलब्ध विश्लेषणों पर आधारित हैं।

नियतांक मूल्यों (1999-2000) पर अनुमान

सकल घरेलू उत्पाद: वर्ष 2006-07 में नियतांक मूल्यों (1999-2000) के अनुसार कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद के 28,44,022 करोड़ रुपए का स्तर प्राप्त करने की संभावना है। जबकि वर्ष 2005-06 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के बारे में त्वरित अनुमान 26,04,532 करोड़ रुपये था। ये अनुमान 31 जनवरी 2007 का जारी किए गये थे। अनुमान है कि वर्ष 2006-07 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 9.2 प्रतिशत रहेगी, जबकि 2005-06 के दौरान विकास दर 9.2 प्रतिशत थी।

वर्ष 2006-07 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में 9.2 प्रतिशत की विकास दर मुख्यत: विनिर्माण विद्युत, गैस और जल आपूर्ति निमार्ण, व्यापार, होटल परिवहन और संचार, वित्तपोषण, बीमा, जमीन जायदाद और कारोबारी सेवाओं, सामुदायिक, सामाजिक और कार्मिक सेवाओं के क्षेत्र में 5 प्रतिशत से अधिक विकास दर के कारण रही है।

कृषि: कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन क्षेत्र द्वारा 2006-07 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में 2.7 प्रतिशत की विकास दर हासिल करने की संभावना है, जबकि पिछले वर्ष इस क्षेत्र की विकास दर 6.00 प्रतिशत रही थी।

उद्योग: औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक पर उपलब्ध ताजा अनुमानों के अनुसार अप्रैल से नवम्बर, 2006-07 के दौरान खनन, विनिर्माण और विद्युत क्षेत्र के सूचकांक में क्रमश: 3.8 प्रतिशत, 11.5 प्रतिशत और 7.3 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की गई, जबकि अप्रैल-नवम्बर, 2005-06 के दौरान इन क्षेत्रों में विकास दर क्रमश: 0.5 प्रतिशत, 9.4 प्रतिशत और 5.0 प्रतिशत रहीं थी। आशा है कि निर्माण क्षेत्र में 2006-07 के दौरान 9.4 प्रतिशत विकास दर रहेगी। इसका मुख्य कारण है, अप्रैल-नवम्बर, 2006-07 के दौरान सीमेंन्ट उत्पादन में 10.2 प्रतिशत और इस्पात उत्पादन में 8.6 प्रतिशत की वृद्धि।

सेवा क्षेत्र: वर्ष 2006-07 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद, होटल, परिवहन और संचार क्षेत्रों के लिए अनुमानित विकास दर 13.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसका मुख्य कारण अप्रैल-नवम्बर, 2006-07 के दौरान रेलवे की माल भाड़े से होने वाली आमदनी में 10.1 प्रतिशत की वृद्धि, प्रमुख बन्दरगाहों पर कार्गो हैडलिंग में 8.0 प्रतिशत की बढ़ोतरी, व्यावसायिक वाहनों के उत्पादन में 34.1 प्रतिशत की वृद्धि, नागर विमानन क्षेत्र में यात्रियों की 28.1 प्रतिशत वृद्धि विमान काग्रो में 10.5 प्रतिशत की वृद्धि, टेलीफोन कनेक्शनों में 52.व प्रतिशत की बढ़ोतरी रही है। वित्त पोषण, बीमा, जमीन जायदाद और कारोबारी सेवाओं के क्षेत्र द्वारा 2006-07 के दौरान 11.1 प्रतिशत विकास दर हासिल करने का अनुमान है। इसका कारण नवम्बर, 2004 से नवम्बर, 2005 के दौरान कुल जमा राशि में 25.4 प्रतिशत की वृद्धि और बैंक ऋणों में 34.1 प्रतिशत की वृद्धि रही है। सामुदायिक, सामाजिक और कार्मिक सेवाओं की 2006-07 के दौरान विकास दर 7.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

राष्ट्रीय आय: कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का राष्ट्रीय आमदनी के नाम से भी जाना जाता है। अनुमान है कि 1999-2000 के मूल्यों के आधार पर यह 2006-07 के दौरान 25,15,372 करोड़ रुपये रहेगी, जबकि पिछले वर्ष के त्वरित अनुमानों के अनुसार राष्ट्रीय आय 22,95,242 करोड़ रुपये थी। जहां तक विकास दर का संबंध है, राष्ट्रीय आय के 2006-07 के दौरान 9.6 प्रतिशत बढ़ने की आशा है, जबकि 2005-06 में विकास दर 9.1 प्रतिशत थी।

प्रति व्यक्ति आय: वर्ष 2006-07 के दौरान (1999-2000 मूल्यों पर आधारित) सही मायनों में प्रति व्यक्ति आय 22,379 रुपये होने का अनुमान है जबकि वर्ष 2005-06 के लिए त्वरित अनुमानों के अनुसार प्रति व्यक्ति आमदनी 20,734 रुपए थी। 2006-07 के दौरान प्रति व्यक्ति आमदानी की विकास दर 7.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष का अनुमान 7.4 प्रतिशत था।

वर्तमान मूल्यों पर अनुमान

सकल घरेलू उत्पाद: वर्ष 2006-07 में वर्तमान मूल्यों के अनुसार कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद के 37,17,465 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। वर्ष 2005-06 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के त्वरित अनुमन 32,50,932 करोड़ रुपये थे। इससे विकास दर में 14.4 प्रतिशत वृद्धि का पता चलता है।

राष्ट्रीय आय: अनुमान है कि 2006-07 के दौरान वर्तमान मूल्यों पर कारक लागत पर आधारित शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन 32,67,371 करोड़ रुपए रहेगा, जबकि 2005-06 के दौरान यह 28.46.773 करोड़ रुपए था। इससे राष्ट्रीय आय में 14.8 प्रतिशत वृद्धि का पता चलता है।

प्रति व्यक्ति आय: वर्ष 2006-07 के दौरान वर्तमान मूल्यों पर आधारित प्रति व्यक्ति आय 29,069 रुपए होने का अनुमान है, जबकि 2005-06 रुपए थी। इससे इसमें 13.0 प्रतिशत वृद्धि का पता चलता है।

भारत की जनजातीय महिलायें

कमलेश कुमार

किसी भी देश की वास्तविक प्रगति को जानने के लिए वहां की महिलाओं की स्थिति का आकलन अति आवश्यक है, क्योंकि महिलाओं के अधिकारों की उपेक्षा कर कोई भी समाज अपने को विकसित नहीं कह सकता है। आज भारतीय महिलाओं ने विश्व स्तर पर लगभग सभी क्षेत्रों में खुद को स्थापित किया है। किन्तु यदि जनजातीय समाज में महिलाओं की बात करें तो वे आज के प्रतिस्पर्धात्मक समाज की खुली दौड़ में काफी पीछे हैं। यद्यपि कुछ जनजातियों में आज भी महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा काफी अच्छी है। जैसे -खासी, गारो, लक्षद्वीपवासी, नायर आदि। यहां सत्ता महिलाओं के हाथ में होती है, अर्थात् वंश परम्परा, रहने का स्थान, सम्पत्ति आदि का निर्धारण मातृपक्ष से होता है। इनकी संस्कृति, कानून, व्यवहार का तरीका आदि अनोखापन लिये हुए है जो बहुतों की रुचि का विषय हो सकता है।

यदि जनजातीय समाज में मातृसत्तात्मकता की बात करें तो सर्वाधिक प्रांसगिक खासी जनजाति है। खासी नाम ही मां की महत्ता को दर्शाता है। 'खा' का अर्थ है, 'से जन्मा' तथा 'सी' का अर्थ, 'आदिम माता' अर्थात् खासी जनजाति एक आदिम माता से जन्मी है। सबसे बुजुर्ग महिला ही परिवार की मुखिया होती है। इनमें वंश का निर्धारण मातृपक्ष से तथा सम्पत्ति का अधिकार मां से केवल बेटी को ही प्राप्त होता है। पूजा-पाठ, धार्मिक उत्सव, त्योहारों का क्रियान्वयन भी महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। खासी में सबसे छोटी पुत्री को सम्पत्ति का ज्यादातर हिस्सा मिलता है, जिसे 'कनिष्ठाधिकार' कहते है तथा यही धार्मिक कार्यों को भी पूरा करती है।

गारो जनजाति की बात करें तो इसमें भी महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में श्रेष्ठ है। इसमें भी वंशनिर्धारण तथा उत्तराधिकार मातृपक्ष

फोटो: सर्वेश

फोटो: ओम मिश्रा

द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। केरल की नायर जनजाति भी मातृसत्तात्मक व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण उदाहरण है। यहां पुरुष परिवार में मां, बहनों तथा बहनों के बच्चों के साथ रहते हैं। इनके परिवारों को 'तारवाड' के नाम से जाना जाता है।

थारु जनजाति में महिलाओं की बात करें तो ये पुरुषों को अपने वश में रखती हैं। थारु स्त्रियां जादू-टोना और तंत्र-मंत्र में निपुण होती हैं तथा ये अपने समाज से अलग अन्य पुरुषों को अपनी सुन्दरता के कारण अपने जाल में फंसा लेने के लिए प्रसिद्ध हैं। बिन्दु और सिन्दूर इनके लिए अनिवार्य है, और ये कान में 'वारी' पहनती है। इनके नाक के आभूषण को 'निरपुतिया' कहते है। इनमें उच्च प्रस्थिति की कन्याएं 'सेकरी' (चांदी का हार) पहनती हैं।

यदि उत्तरांचल की भोटिया जनजाति में महिलाओं की बात करें तो स्त्रियों को यहां सम्मानित स्थान दिया जाता है। पति से असन्तुष्ट होने पर स्त्री उसे छोड़ भी सकती है। पति की मृत्यु होने पर स्त्रियां शुद्धीकरण की प्रक्रिया द्वारा, जिसे धर्मग्रहण कहते हैं, पुनर्विवाह कर सकती हैं। शुद्धीकरण की प्रक्रिया ऐसी विधवा जिसके पास सन्तान हो, के लिए ज्यादा आवश्यक समझी जाती है।

वैगा जनजाति की बात करें तो यहां की स्त्रियां अपने पूरे शरीर में गुदना के द्वारा आकृतियां बनवाती है। इनकी मान्यता है कि ऐसा नहीं करने पर मृत्यु के बाद ईश्वर शरीर को धारदार हथियार (सब्बल) से शरीर को गोदते हैं। यहां किसी बच्चे को जन्म देने पर स्त्री बारह दिनों तक गश्ह प्रवेश नहीं कर सकती है।

उत्तर पूर्व की नगा जनजाति की बात करें तो इनको कई वर्गों में बांटा जा सकता है। जैसे -अंगामी नगा, सेमा नगा, ओ नगा इत्यादि।

इसमें महिलाओं की स्थिति देखें तो इन्हें गहनों का बहुत शौक होता है तथा गहने व्यक्तिगत प्रतिष्ठा तथा पारिवारिक स्थिति का सूचक होता है। यहां महिलाओं द्वारा कान में पहनी जाने वाली पीतल की बलिया अत्याधिक पसन्द की जाती है। गोदना भी इसमें विशेष लोकप्रिय है, किन्तु इनके डिजाइन अलग-अलग समूहों में अलग-अलग होते हैं। लेकिन सामान्यत: ठोड़ी पर चार खड़ी रेखाएं होती है तथा गले से पेट तक पंतगनुमा आकृतियां बनी हुई होती है।

दक्षिण भारत की नीलगिरि पहाड़ियों पर पायी जाने वाली टोडा जनजाति में महिलाओं में गोदना तथा आभूषण बहुत लोकप्रिय हैं। महिलाएं अपने को कई प्रकार के आभूषणों जैसे कानों की बालियां, कंगन, गले का हार, कमरबंद से अपने आपको सजाती है जो सोने-चांदी और पीतल के बने होते हैं। चूंकि टोडा बहुपति जनजाति है, इसलिए इनमें पिता का निर्धारण गर्भ के सातवें महीने में स्त्री को एक 'तीर-धनुष' देकर पिता की औपचारिकता को पूरा किया जाता है। वह व्यक्ति जो तीर-धनुष देता है इस समय से लेकर जब तक कि कोई दूसरा तीर-धनुष स्त्री को भेंट न करे तब तक स्त्री से उत्पन्न सभी बच्चों का अधिमान्य पिता वही होता है।

जनजातियों में महिलाओं की स्थिति जानने के लिए इनकी विवाह पद्धति भी एक महत्त्वपूर्ण कारक है क्योंकि इन स्थितियों में महिला की अनदेखी किसी भी रूप में संभव नहीं है। खासी अपने गोत्र से बाहर विवाह करते हैं, किन्तु विवाह अपने ही जनजाति में करने की मजबूरी होती है। इस नियम को तोड़ने वाले सदस्यों को तुरन्त कुल से बाहर कर दिया जाता है। इसे विवाह के तुरन्त बाद वर अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए सास के घर चला जाता है। पुरुष अपनी पत्नी की मश्त्यु के एक साल बाद जुर्माना जिसे 'जिंग संग' कहते हैं, का भुगतान करने के बाद पत्नी की छोटी बहन से विवाह कर सकता है। विवाह-विच्छेद भी इसमें संभव है और विधवा पुनर्विवाह की भी अनुमति खासी समुदाय देती है।

हो जनजाति में प्रचलित तथा मान्य विवाह 'अंडी' कहलाता है, इनमें वधू या वर का चयन उनके पिताओं के द्वारा पूर्ण किया जाता है। इसमें गोत्र बहिर्विवाह का प्रचलन है। इसमें विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के का 24 वर्ष होना आवश्यक है। हो में वधू-मूल्य

सूची होने के कारण अपहरण विवाह का भी प्रचलन है, इस विवाह को 'उपरतिपि' कहते हैं। इसमें अपहरण विवाह में काफी वृद्धि हुई है। इनमें प्रेम तथा सहपलायन विवाह भी होता है, जिसे 'राजी-खुशी' विवाह कहते है। इनमें 'हठ' विवाह का भी प्रचलन है जिसमें युवती अपने पसंद के युवक के घर तमाम यातनाएं सहने के बावजूद भी रहती है और अपनी दृढ़ता के द्वारा ऐसी परिस्थिति बनाती है कि उसे पुत्रवधू स्वीकार कर लिया जाता है। वेगा जनजाति के लमसेना विवाह में व्यक्ति को स्त्री के घर में रहकर अपने कर्त्तव्यों को पूर्ण करने की क्षमता को दिखाना होता है, और यदि वह कर्त्तव्यों को सही तरीके से पूरा कर लेता है तो उसका विवाह उस स्त्री के साथ कर दिया जाता है।

उरांव जनजाति में वधू मूल्य का भी प्रचलन हैं। इसमें बाराती तीर-धनुष तथा दिखावटी हथियारों से सजे होते हैं। इसमें विधवा विवाह का भी प्रचलन है। इनके विवाह अभिभावकों द्वारा तय किये जाते है। संथाल जनजाति में भी विवाह के कई रूप पाये जाते हैं, जैसे-निरबोलोक, इतूट, सेवा, आदि। निबरलोक विवाह में स्त्री तथा पुरूष शादी के पहले किसी जंगल में भागकर चले जाते है, तथा कुछ दिन के बाद घर वापिस आते है तथा लौटने के उपरान्त इस अवसर पर चावल की शराब पिलायी जाती है जिसको 'हण्डिया' कहा जाता है। इसके बाद दोनों स्त्री-पुरुष, पति-पत्नी के रूप में जीवन जीते हैं। सेवा विवाह में विध वा स्त्री या विधुर पुरुष का विवाह होता है। बाप्ला विवाह में लड़की को खरीद कर विवाह किया जाता है।

कमार जनजाति आमतौर पर एकविवाही हैं किन्तु कभी-कभी बहुविवाह भी देखने को मिलता है। इनके विवाह में महत्त्वपूर्ण यह है कि प्रस्ताव पहले लड़के वालों की तरफ से आता है। इसमें सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि विवाह में लड़की वाले जो भी मांग करते है उसे लड़के वालों को देना जरूरी है अन्यथा विवाह टूट जाता है। विधवा विवाह को इस समाज में स्वीकृति प्राप्त है, इस विवाह में स्त्री को केवल चूड़ियां पहनायी जाती है तथा एक जोड़ी कपड़े के साथ विदा किया जाता है।

पूर्वोत्तर की टोडा जनजाति को ले तो यहां मुख्य रूप से भातृक बहुपति विवाह देखने को मिलता है किन्तु बहुपत्नी प्रथा भी देखने को मिलती है।

टोडाओं में बाल विवाह का भी प्रचलन है। कभी-कभी तो तीन-चार साल में ही विवाह कर दिया जाता है। विवाह संस्कार दुल्हन के घर पर सम्पन्न होता है। इसमें तलाक का बहुत विचित्र मानदंड देखने को मिलता है। पत्नी को तलाक बांझपन या चारित्रिक कारणों के आधार पर नहीं दिया जा सकता है बल्कि उसकी सुंदरता और बुद्धि के आधार पर दिया जाता है। टोडाओं में यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी को दूसरे पुरुष से मिलने से रोकता है तो इसे परम्परानुसार अनैतिकता की संज्ञा दी जाती है।

भारत की जनजातीय महिलाओं की बात करते समय खरिया जनजाति के विवाह की रोचकता पर प्रकाश डालना जरूरी है। यहां ममेरे-फुफेरे भाई-बहनों में विवाह की इजाजत है। और पिता पक्ष के लोगों के बीच विवाह वर्जित है। इसमें विवाह तभी होता है जब पुरुष अपनी गृहस्थी चलाने और स्त्री घर का काम वगैरह करने की उम्र को प्राप्त कर चुके होते हैं। दोनों पक्षों के बीच जो सम्पर्क का माध्यम होता है उसे 'डांडिया' कहा जाता है।

मध्यप्रदेश के गोंडों में विवाह की एक अनोखी विधि देखने को मिलती है। इसे 'दूध लौटवा विवाह' कहते हैं। इसमें एक पीढ़ी में जिस पक्ष की स्त्री होती है, उसके अगली पीढ़ी में उस पक्ष का पुरूष होगा तथा जिस पक्ष का पुरूष होता है उसके अगली पीढ़ी में उस पक्ष की स्त्री होगी। इसमें 'पठोनी' विवाह भी होता है, जिसमें लड़की लड़के के घर बारात लेकर आती है, मंडप लड़के के घर पर होते है और विवाह पश्चात लड़की को दूल्हे का विदा करा कर अपने साथ घर ले जाती है।

कुछ जनजातियों जैसे खासी, टोडा आदि में 'कूवेद' नामक अनोखी प्रथा पायी जाती है। इस प्रथा के अनुसार पत्नी जब गर्भावस्था में होती है और वह जिस प्रकार के कष्टों को झेलती है ठीक उसी प्रकार का कष्टमय जीवन जीना पति के लिये भी बाध्यकारी होता है। जैसे वह सामान्य जीवन का अंग नहीं बन सकता, पत्नी की तरह ही भोजन करना, कपड़े नहीं धो सकना तथा किसी नदी को पार न कर सकना आदि कष्ट साथ-साथ झेलने पड़ते है।

यदि 'टोटमवाद' की बात करें तो इसका सम्बन्ध पारलौकिकता से लिया जाता है। क्योंकि जनजातियां टोटम से ही अपनी उत्पत्ति मानती हैं। पारलौकिकता का अर्थ किसी पेड़-पौधे, पशु, प्राकृतिक पदार्थ आदि की पूजा करने से है। टोटम एक ऐसे प्रतीक के रूप में माना जाता है जो धार्मिक आस्था के रूप में व्यक्त होता है। टोटम के नष्ट होने पर विधि पूर्वक उसका दाह-संस्कार किया जाता है। टोटम प्रतीकों को ये तावीज रूप में पहनते हैं तथा शरीर पर भी गुदवाते हैं। एक टोटम को मानने वाले आपस में विवाह नहीं करते हैं।

'पत्नी प्रस्तुति आतिथ्य (वाइफ हॉस्पिटलिटी)' एक ऐसी प्राचीन परम्परा है जिसमें एक पुरूष कुछ विशेष समारोहों के अवसर पर अपनी पत्नी को किसी अन्य व्यक्ति के सामने खुशी-खुशी प्रस्तुत करता है। सामान्य रूप से किसी अतिथि के घर आने पर भी ऐसा व्यवहार किया जाता है, और उम्मीद की जाती है कि घर आये अतिथि के घर जाने पर भी इसी तरह का व्यवहार किया जायेगा। 'निषेध (टैबू)' एक ऐसी परम्परा है जिसमें अनेक प्रकार के कार्यों को करने पर रोक होती है। ऐसा माना जाता है कि इसके करने पर पूरे समाज को खतरा पैदा हो सकता है।

यदि अपेक्षाकृत विकसित समाज से इन जनजातीय महिलाओं की तुलना करें तो सानिया मिर्जा, ऐश्वर्या राय और कल्पना चावला जैसी हस्तियां यहां से आखिर क्यों नहीं निकल पाई? कुछ विशेष अवसरों पर इन समाजों की दो-चार बड़ी महिला हस्तियों की फोटो दिखाकर इनके भी विकास को प्रस्तुत किया जाता है। किन्तु सच्चाई इससे मीलों दूर है, जिससे हम सभी भली-भांति वाकिफ हैं। यदि सरकारी प्रयासों की बात करें ता इन समाजों के उत्थान के लिए योजनाओं की कोई कमी नहीं है, मसलन, संविधान की 5वीं तथा 6ठीं अनुसूची इन्हीं से संबंधित है। अनुच्छेद 14 संविधान के प्रति सभी को समान दर्शाता है। 89वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जनजाति आयोग का भी गठन किया गया है जो इनसे संबंधित समस्याओं को देखता है। कुछ अन्य प्रावधान जैसे-बाल विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, स्त्री अनैतिक व्यापार अधिनियम, दहेज विरोधी अधिनियम आदि प्रावधान भी जो महिलाओं को सभी क्षेत्रों में समान बनाने का प्रयास करते हैं। विडम्बना ही कहा जायेगा कि तमाम योजनाओं के बावजूद जनजाति महिलाओं की स्थिति में पहले की तुलना में केवल मात्रात्मक परिवर्तन ही आया है। जबकि परिवर्तन गुणात्मक होना चाहिए था। आखिर कमी किस बिन्दु पर है, इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है। यदि समस्याओं के मूल स्थान पर जायें तो कई महत्त्वपूर्ण तथ्य सामने आते हैं। जैसे कि महिलाओं में अशिक्षा, रूढ़िवादिता, प्राचीन परम्परा आदि के चलते खुद भी इन्हें अपने अधिकारों का पता नहीं है। आखिर इन्हें कैसे मालूम पड़ेगा कि इनका बाल विवाह नहीं किया जा सकता। इन्हें किसी के सामने अनैतिक कार्यों के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और इन्हें बेचा या खरीदा नहीं जा सकता।

इन महिलाओं तक योजनाएं पहुंचाने तथा क्रियान्वयन करवाने में सरकारी अधिकारी/कर्मचारी भी महत्त्वपूर्ण कड़ी के रूप में हैं और इनको बिना किसी पूर्वाग्रह के इनके उत्थान में यथासम्भव प्रयास करने चाहिए तथा सहयोगपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए। कुल मिलाकर वर्तमान समय में इन महिलाओं से संबंधित ढेरों योजनाएं केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से चलायी जा रही हैं। ●

(लेखक पत्रकार हैं)

राजनीतिक सहभागिता एवं महिला सशक्तिकरण

इन्दु पाठक

राजनीति सन्दर्भ में महिला सशक्तिकरण के स्तर का ज्ञान इस आधार पर हो सकता है कि सत्ता के स्वरूप निर्धारण और उसमें सहभागिता के मामले में उन्हें कितनी स्वतन्त्रता व समानता प्राप्त है तथा उनके योगदान को कितना महत्व दिया जाता है। राजनीतिक शक्ति संरचना व निर्णय प्रक्रिया से जुड़े कार्यकलापों में सशक्त व सुनिश्चित भागेदारी ही महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त कर सकती है। आज सम्पूर्ण विश्व की महिलाएं, समाज में शक्ति के असमान व एकपक्षीय वितरण को चुनौती देने हेतु निरन्तर प्रयास कर रही है। असमानता पर आधारित लैंगिक सम्बन्धों में परिवर्तन के लिए आवश्यक है कि वर्तमान वैश्विक सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में, सत्ता व शक्ति के मुख्य केन्द्र बिन्दुओं यथा-राज्य, बाजार व नागरिक समाज का नेतृत्व करने के लिए महिलाएं आगे आयें। स्वयं को प्रभावित कर सकने वाली योजनाओं व नीतियों को अपने अनुरूप निर्मित करवाने के लिए महिलाओं को सत्ता के गलियारों में अपनी पैठ बनानी होगी और ऐसी शक्ति अर्जित करनी होगी कि वे स्वयं के सन्दर्भ में लिए जाने वाले निर्णयों को प्रभावित कर सकें।

महिलाओं की उन्नति व विकास के लिए आवश्यक है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, विशेषकर राजनीति में उनका सशक्तिकरण हो, उनकी सहभागिता का स्तर उच्च हो। ऐसा होने पर ही लैंगिक आधार पर एक समानतापूर्ण समाज की स्थापना होगी। महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण हेतु तीन आधारभूत सिद्धान्तों को अनिवार्य माना जा सकता है:-

1. स्त्री-पुरुष के मध्य समानता। 2. स्वयं की क्षमताओं के पूर्ण विकास का महिलाओं का अधिकार। 3. स्वयं के प्रतिनिधित्व व स्वयं के सन्दर्भ में निर्णय लेने का महिलाओं का अधिकार।

वास्तविकता तो यह है कि राजनीतिक परिदृश्य में आज भी महिलाओं की भूमिका बहुत सार्थक नहीं मानी जा सकती। निर्णय प्रक्रिया में सशक्त भागेदारी के अभाव में प्राय: ही उन्हें संसाधनों के असमान वितरण, अपने हितों की उपेक्षा तथा अनेकों अन्य वंचनाओं का सामना भी करना पड़ता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि राजनीति में महिला सहभागिता के मुद्दे को अधिक सशक्त ढंग से उठाया जाए। यद्यपि पिछले कई दशकों से चले आ रहे महिला आन्दोलनों की प्रभावशाली उपलब्धियां रही हैं, परन्तु इसके पश्चात भी राजनीतिक शक्ति संरचना में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व देखने को नहीं मिलता। आज भी पूरे विश्व में औसतन 12-13 प्रतिशत महिलाएं ही विधायी संस्थाओं हेतु निर्वाचित हो रही हैं। भारत में भी कमोवेश यही स्थिति है।

प्रस्तुत प्रपत्र में भारत में महिला सशक्तिकरण के सन्दर्भ में उनकी राजनीतिक सहभागिता से सम्बन्धित निम्न बिन्दुओं की चर्चा की गयी है।

1. राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता हेतु किये गये प्रयास। 2. स्वतन्त्र भारत में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता सम्बन्धी प्रवृत्तियों का पुनरावलोकन। 3. महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता के समक्ष चुनौतियां। 4. राजनीतिक सहभागिता वृद्धि हेतु किये जा सकने वाले प्रयासों की चर्चा।

राष्ट्रीय स्तर पर किये गये प्रयास-राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता हेतु संवैधानिक स्तर पर सार्थक प्रयास किये गये हैं। भारतीय संविधान द्वारा स्त्रियों की राजनीतिक समता को मान्यता दिया जाना, न केवल परम्परागत भारतीय सामाजिक प्रतिमानों की तुलना में नया कदम था बल्कि तत्कालीन समय के उन्नत देशों के राजनीतिक आदर्शों से भी अधिक बढ़कर था।

स्वतन्त्रता से पूर्व भारत में महिलाओं की राजनीतिक समानता की प्राप्ति में प्रेरक का कार्य करने में, दो शक्तियां उल्लेखनीय मानी जा सकती हैं-

1. राष्ट्रीय आन्दोलन। 2. महात्मा गांधी का नेतृत्व।

महिलाओं से संबंधित सुधार आन्दोलनों का प्रारम्भिक रूप पारिवारिक ढांचे के अन्तर्गत ही उनकी स्थिति को सुधारने तक सीमित था। भारत में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता से सम्बन्धित मुद्दा पहले-पहल स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान चर्चित हुआ जिसमें स्वयं महिलाओं की सक्रिय सहभागिता थी। सर्वप्रथम 1917 में श्रीमती सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में भारतीय महिलाओं ने राजनीति में स्त्रियों के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाया और उस समय इस मांग का अर्थ 'सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार' से था। 1921 के सुधार अधिनियम ने महिलाओं को यह अधिकार प्रदान किया। परन्तु यह केवल उन गृहणियों तक सीमित था जो सम्पन्न व

शिक्षित थी। ब्रिटिश शासकों ने स्त्रियों को कभी भी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में नहीं देखा।

इससे भिन्न दृष्टिकोण रखने वाले गांधीजी का विश्वास था कि समाज के पुनर्निर्माण में स्त्रियों को एक सुनिश्चित भूमिका का निर्वाह करना होगा और इस हेतु तथा सामाजिक न्याय के लिए उनकी समानता के अधिकार को मान्यता दिया जाना एक अनिवार्य कदम है। महिलाओं की समानता व राजनीतिक अधिकारों सम्बन्धी उनकी आवश्यकता के महत्व को समझते हुए स्वतन्त्र भारत के संविधान निर्माताओं ने इस हेतु स्पष्ट प्रयास किया। भारतीय संविधान ने राष्ट्र को, समता के सिद्धातों का पालन करने और व्यक्ति की प्रतिष्ठा का आदर करने का वचन दिया तथा राजनीतिक व विधिक समता के बारे में महिलाओं के मौलिक अधिकारों की घोषणा की।

यद्यपि विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों की सहायता से स्वतन्त्र भारत में महिलाएं अनेकों क्षेत्रों में सफलतापूर्वक महत्त्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वाह कर रही हैं, परन्तु उनकी राजनीतिक भूमिका को आज तक भी बहुत अधिक निर्णायक नहीं माना जाता। यह सत्य है कि गैर परम्परागत राजनीतिक गतिविधियां जैसे-पर्यावरण सम्बन्धी आन्दोलन, मद्य निषेध आन्दोलन आदि के सन्दर्भ में महिलाओं ने न सिर्फ भूमिका का निर्वाह किया है बल्कि सत्ता व शक्ति के पदों पर बैठे लोगों को अपनी गतिविधियों से प्रभावित करते हुए उनके मध्य अपनी सशक्त उपस्थिति भी दर्ज कराई है। ऐसा करने वाली महिलाओं में सुदूर ग्रामीण अंचल की अशिक्षित व साधनहीन महिला से लेकर शिक्षित व सम्पन्नतम तबके की महिलाएं भी शामिल रही है। उत्तरांचल का चिपको आन्दोलन आंध्र प्रदेश का 'अरक' विरोधी आन्दोलन तथा आदिवासी पुनर्वास हेतु किया जाता रहा 'नर्मदा बचाओ आन्दोलन' आदि में महिलाओं की भागीदारी से सभी परिचित हैं। परन्तु सक्रिय, प्रत्यक्ष व चुनावी राजनीति मुख्यत: पुरुष प्रभुत्व का क्षेत्र ही रहा है जिसमें महिलाओं की सहभागिता, आनुपातिक रूप से हमेशा से ही बहुत कम है।

स्वतन्त्र भारत की प्रवृत्तियों का पुनरावलोकन-स्वतन्त्र भारत में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता सम्बन्धी प्रवृत्तियों की जांच, मुख्यत: चुनावों में मतदाताओं व उम्मीदवारों के रूप से राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के आधार पर की जा सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संसदीय चुनावों में उनके प्रतिनिधित्व के आधार पर भी जांच सम्भव है।

चुनाव सम्बन्धी आकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि विभिन्न लोकसभा चुनावों में महिला मतदाताओं की संख्या में क्रमश: वृद्धि की सामान्य प्रवृत्ति दिखाई दी है। प्रथम व द्वितीय लोकसभा चुनाव के मतदाताओं का लैंगिक विभाजन उपलब्ध नहीं है। तृतीय लोकसभा चुनाव में जहां महिला मतदाताओं का प्रतिशत 46.6 था वहीं 1967 में बढ़कर यह प्रतिशत 55.5 हो गया। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार महिला मतदाताओं का उच्चतम प्रतिशत (59.2) 1984 के चुनावों में रहा। आंकड़ों से स्पष्ट है कि लगभग सभी चुनावों में 50 प्रतिशत से अधिक महिलाओं ने

तालिका-1

विभिन्न चुनावों में मतदाताओं की संख्या व मतदान प्रतिशत का लैंगिक विभाजन

चुनाव वर्ष	मतदाताओं की कुल संख्या मिलियन में			मतदान प्रतिशत		
	महिला	पुरुष	कुल	महिला	पुरुष	कुल
1952	उ.न.	उ.न.	173.2	उ.न.	उ.न.	61.2
1957	उ.न.	उ.न.	193.7	उ.न.	उ.न.	62.2
1962	102.4	113.9	216.3	46.6	62.0	55.0
1967	119.4	129.6	249.0	55.5	66.7	61.3
1971	उ.न.	उ.न.	274.1	उ.न.	उ.न.	55.3
1977	154.2	167.0	321.2	54.9	65.6	60.5
1980	170.3	185.2	355.5	51.2	62.2	56.9
1984	192.3	208.0	400.3	59.2	68.4	64.0
1989	236.9	262.0	498.9	57.3	66.1	61.9
1991	234.5	261.8	498.3	51.4	61.6	56.7
1996	282.8	309.8	592.6	53.4	62.1	57.9
1998	289.2	316.7	605.9	57.9	65.7	61.9
1999	295.7	323.8	619.9	55.6	63.9	59.9
2004	321.9	349.5	671.4	53.3	61.7	57.6

स्रोत-निर्वाचन आयोग-भारत सरकार नई दिल्ली के आँकड़े।

मतदाता के रूप में सहभागिता की है तथा यह प्रतिशत 55, 57 व 59 तक भी रहा है। परन्तु यहां यह स्पष्ट करना भी उचित होगा कि इस रूप में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता हमेशा पुरुषों से कम रही है तथा सभी चुनावों में महिला व पुरुषों के मध्य यह अन्तर 8 से 16 प्रतिशत तक रहा है। (तालिका-1)

उम्मीदवारी के मामले में तो स्त्रियों व पुरुषों के मध्य यह अन्तर स्पष्टत: बहुत अधिक है। आंकड़ों से स्पष्ट है सभी चुनावों में पुरुष उम्मीदवारों की तुलना में महिला उम्मीदवारों की संख्या बहुत कम है तथा निर्वाचित महिलाओं का प्रतिशत भी कुल के अनुपात में बहुत कम है। इस प्रकार लगभग 50 प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले महिला समुदाय का राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्रमश: बढ़ने के पश्चात भी अनुपातिक रूप से बहुत कम है। महिला उम्मीदावारों की उच्चतम संख्या 1996 में 599 थी जबकि पुरुष उम्मीदवारों की संख्या प्रत्येक चुनाव में हजारों, में रही है। 1996 के चुनावों में तो यह कि कुल महिला उम्मीदवारों में से, निर्वाचित होने वाली महिलाओं का प्रतिशत, पुरुषों की तुलना में हमेशा से उच्च रहा है, जबकि प्राय: यह देखा जाता है कि सम्बन्धित राजनीतिक दल अपनी महिला प्रत्याशियों को 'जीते जा सकने' वाले क्षेत्रों से उम्मीदवार नहीं बनाते हैं। (तालिका-2)

केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व नगण्य ही रहा है। प्रतीकात्मक रूप से मंत्रिपरिषद में स्थान पाने वाली महिलाओं को अधिकाशत: कम महत्त्वपूर्ण विभागों का कार्य आवण्टित किया जाता है जिससे निर्णय प्रक्रिया को वे बहुत कम प्रभावित कर पाती हैं। दलगत स्तर पर सहभागिता के सन्दर्भ में भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही दिखाई देती है। राजनीतिक दलों की आन्तरिक दलीय संरचना में महिलाओं का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व देखा गया है। महत्वपूर्ण पार्टी पदों पर इक्की-दुक्की महिलाओं को ही स्थान मिल पाता है। दलों की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में भी लैंगिक समानता हेतु किसी भी प्रकार के प्रयास की प्रतिबद्धता नहीं दिखाई देती। यद्यपि लगभग सभी दलों ने अपने चुनावी घोषणापत्र में संसद व प्रान्तीय विधान सभाओं में महिलाओं हेतु 33 प्रतिशत आरक्षण का वायदा किया है, परन्तु विगत कुछ वर्षों से किसी एक या दूसरे कारण से इस 'प्रस्ताव' का संसद में पारित किया जाना बाधित रहा है एक दूसरे के धुर विरोधी राजनीतिक दलों में भी महिलाओं को आरक्षण देने के इस मुद्दे पर मौन व अप्रत्यक्ष साझेदारी बनी हुई है।

स्वतन्त्रता के पश्चात राजनीतिक जीवन में महिलाओं की धीमी परन्तु क्रमश: बढ़ती सहभागिता के बावजूद, राजनीतिक प्रक्रिया पर आज भी उनका प्रभाव बहुत अधिक नहीं है। महिलाओं की स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने के लिए आज आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें प्रदत्त संवैधानिक समानता को एक सशक्त साधन के रूप में उपयोग किया जाय। महिलाओं से संबंधित राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि 'संख्या की दृष्टि से महिलाएं अल्पसंख्यक नहीं मानी जा सकती, परन्तु स्थिति व राजनीतिक शक्ति में असमानता के कारण उनमें अल्पसंख्यकों के लक्षण बढ़ते जा रहे हैं। जहां तक स्त्रियों

तालिका-2

विभिन्न चुनावों में उम्मीदवारों व निर्वाचित व्यक्तियों का लैंगिक विभाजन

चुनाव वर्ष	उम्मीदवारों की कुल संख्या	महिला			पुरुष		
		कुल उम्मीदवार	निर्वाचित उम्मीदवार	निर्वाचित उम्मीदवारों का प्रतिशत	कुल उम्मीदवार	निर्वाचित उम्मीदवार	निर्वाचित उम्मीदवारो का प्रतिशत
1952	1874	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
1957	1518	45	27	60.0	1473	467	31.7
1962	1985	70	35	50.0	1915	469	24.0
1967	2369	67	30	44.8	2302	490	21.3
1971	2484	86	21	24.4	2698	499	18.5
1977	2439	70	19	27.1	2369	523	22.1
1980	4620	142	28	19.7	4478	514	11.5
1984	5574	164	42	25.6	5406	500	9.2
1989	6160	198	27	13.6	5962	502	8.4
1991	8699	325	37	11.4	8374	484	5.8
1996	13952	599	40	6.7	13353	503	3.8
1998	4750	274	43	15.7	4476	500	11.2
1999	4648	284	49	17.2	4364	494	11.3

स्रोत-निर्वाचन आयोग-भारत सरकार नई दिल्ली के आंकड़े। नोट-आंकड़ें लोकसभा चुनाव से सम्बन्धित है। उ.न. उपलब्ध नहीं

के अधिकारों का प्रश्न है, संविधान द्वारा घोषित नई सामाजिक व्यवस्था के मूल्यों और समकालीन भारतीय समाज की वास्तविकताओं के सामाजिक व्यवस्था के मूल्यों और समकालीन भारतीय समाज की वास्तकिताओं के मध्य जो खाई है, वह आज भी उतनी ही गहरी और चौडी है जितनी कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय थी।' गांधीजी का मत था कि 'राजनीतिक अधिकारों को साध्य नहीं बल्कि एक बड़े लक्ष्य की पूर्ति का साधनमात्र माना जाना चाहिए, परन्तु गांधीजी के इस संदेश को भूलते हुए आज राजनेता व राजनीतिक दल राजनीतिक शक्ति व अधिकारों को ही साध्य मान बैठे है। यही कारण है कि प्राय: राजनेता इस 'साध्य' का बंटवारा महिलाओं के साथ नहीं करना चाहते और इसी कारण जब कभी भी राजनीतिक शक्ति संरचना में महिलाओं को समान दर्जा देने की कोई चर्चा होती है, तो प्राय: तत्काल ही इस विचार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विरोध शुरू होता जाता है। इसी कारण आज तक भी भारतीय महिलाएं राजनीतिक प्रक्रिया में एक समान सहयोगी की भूमिका निभाने में असफल रही हैं।

इस सन्दर्भ में महिलाओं से सम्बन्धित राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट का यह सुझाव अत्यन्त सार्थक व उपयोगी माना जा सकता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता व उन्हें अधिक अवसर प्रदान करने के लिए स्थानीय शासन की प्रतिनिधि संस्थाओं में उनको सहभागिता के विशेष और अधिकाधिक अवसर दिये जाएं। रिपोर्ट में सिफारिश की गयी कि ग्राम स्तर पर सांविधिक पंचायतें स्थापित की जाएं तथा नगरपालिका स्तर पर उनके लिए स्थान आरक्षित हों। इस सुझाव के अनुरूप, स्वतन्त्रता के पश्चात किया जाने वाला सबसे सार्थक प्रयास, महिलाओं के लिए सबसे नीचे स्तर की प्रशासनिक इकाईयों-ग्राम पंचायत व नगरीय स्थानीय निकायों के 33 प्रतिशत स्थानों को आरक्षित करना माना जा सकता है। क्रान्तिकारी कहा जा सकने वाला 73 व 74 वां संविधान संशोधन एक ऐसा सकारात्मक कदम है जो कि महिलाओं के समान राजनीतिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजनीतिक शक्ति संरचना में उनकी भागीदारी में भी निश्चित रूप से वृद्धि कर रहा है। आज स्थानीय प्रशासन निकायों में प्रतीकात्मक रूप से अगूंठा लगाने या हस्ताक्षर मात्र करने से प्रारम्भ हुई यह सहभागिता अब धीरे-धीरे परिपक्व होकर प्रत्यक्ष रूप लेने लगी है तथा अधिक सकारात्मक तथ्य यह है कि इस सक्रियता को विस्तृत सामाजिक स्तर पर स्वीकार्यता भी प्राप्त हो रही है।

महिला सशक्तिकरण हेतु आवश्यक है कि वह स्वयं उन नीतियों व योजनाओं के निर्माण में सहभागी हो जो उनके लिये बनायी जा रही है। यह तभी सम्भव है जबकि वे स्वयं भी उस राजनीतिक व्यवस्था का अंग हो जो नीतिनिर्माण व क्रियान्वयन के लिये जिम्मेदार है। इसके लिये आवश्यक होगा कि निचले स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता हेतु किये गये प्रयोगों को विस्तृत राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया जाय। राजनीति शक्तिसंरचना व निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी से ही महिलायें समानता के अपने अधिकार को प्राप्त करने के साथ-साथ सशक्तिकरण की दिशा में भी आगे बढ़ेगी।

राजनीतिक सहभागिता में बाधक तत्व:- स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महिलाओं की असमान राजनीतिक भागीदारी से प्रदर्शित होता है कि आज भी सभी समाजों में संरचनात्मक, अभिवृत्यात्मक व सांस्कृतिक बाधायें तथा महिलाओं हेतु पूर्वनिर्धारित लैंगिक भूमिकायें उनके राजनीतिक सशक्तिकरण के मार्ग में प्रमुख रुकावट है। उन्हें नेतृत्व हेतु सक्षम नहीं माना जाता। राजनीतिक सहभागिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की बात जोर-शोर से उठाने वाले राजनीतिक दल स्वयं 'जीते जा सकने वाले' संसदीय क्षेत्रों से महिला उम्मीदवारों को खड़ा करने में एक स्पष्ट हिचकिचाहट दिखाते हैं। आज भी अधिकांश राजनीतिक दलों में महिला सहभागिता का प्रतीकात्मक महत्व ही अधिक है। सम्भवत: यही कारण है कि संसद व राज्य विधान सभाओं में महिला आरक्षण सम्बन्धी बिल अभी भी लम्बित हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के पुरुष सदस्य यह समझ व सहन करने में स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं कि सदन का एक तिहाई हिस्सा महिलाओं का हो। लम्बे समय से लगभग पुरुष एकाधिकार वाले इस क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी उनकी समझ से परे हैं जबकि वस्तुत: 50 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व 33 प्रतिशत के ही करने की बात है। एक मुद्दा और उठाना चाहूंगी। ग्रामपंचायतों व स्थानीय निकायों में महिलाओं को प्राप्त भागीदारी अब धीरे-धीरे प्रतीकात्मक से वास्तविक सहभागिता का रूप लेती जा रही है। स्थानीय प्रशासन में भागीदारी से इन महिलाओं में अब अधिकार चेतना व दायित्व बोध जाग्रत हो रहा है तथा इस विकेन्द्रित लोकतान्त्रिक व्यवस्था में वे अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। इस स्थिति को देखते हुये ही, शायद अपने एकाधिकार में खलल पड़ने डर से राजनीतिक दल, राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रयोग को करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं।

यह भी देखा जाता है कि बिना पारिवारिक व विशेष रूप से पति या पुरुष सदस्यों के सहयोग के महिलाओं के राजनीतिक जीवन में प्रवेश की सम्भावना लगभग शून्य होती है। राजनीति में उनका प्रवेश प्राय: पत्नी, बेटी या बहन के रूप में पारिवारिक विरासत को सम्भालने के लिये होता है। निचले स्तर के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुये अपनी राजनीतिक पहचान बनाने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम हैं। साथ ही राजनीति का अपराधीकरण, अराजक तत्वों का राजनीति में बढ़ना महत्व भी ऐसे कारक हैं जो महिलाओं को राजनीतिक सहभागिता से रोकते हैं। संक्षेप में, राजनीति के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाले बाधक तत्वों को दो भागों में वगीकृत किया जा सकता है।

सामाजिक बाधाएं

निम्नलिखित सामाजिक स्थितियां कुछ हद तक महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता को सीमित करती है:-

- घर के बाहर कार्य करने की स्थिति में घर-परिवार व कार्यक्षेत्र के दोहरे दायित्व का निर्वाह करने की बाध्यता, महिलाओं की राजनीतिक

गतिविधियों को सीमित कर देती है। यही कारण है कि राजनीतिक जीवन में उनकी संलग्नता उस प्रकार की नहीं हो पाती जैसी कि पुरुषों की होती है।

- निश्चित लैंगिक भूमिकाओं के निर्वाह हेतु महिलाओं का समाजीकरण होना।
- प्रजनन कार्य व शिशु पालन-पोषण का एकांगी दायित्व।
- अशिक्षा व तुलनांत्मक रूप से निम्न शैक्षिक स्तर।
- पारम्परिक श्रम विभाजन के अनुरूप निर्धारित प्रदत्त भूमिकाओं के निर्वाह में अधिक समय व श्रम का व्यय होना।

राजनीतिक बाधाएं

कुछ राजनीतिक बाधाएं भी ऐसी है जो कि स्त्री को राजनीतिक जीवन में प्रवेश करने व सक्रिय होने से रोकती हैं-

- अत्यधिक धन व शारीरिक बल पर आधारित निर्वाचन प्रणाली का वर्तमान स्वरूप महिलाओं के लिए राजनीतिक सहभागिता को कठिन बना देता हैं।
- राजनीतिक दलों की संरचना व एजैण्डा चूंकि मुख्यत: पुरुष-प्ररिप्रेक्ष्य में ही निर्धारित होता है, अत: स्वयं के बूते राजनीति में सफलता प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या नगण्य ही दिखाई देती है। हां, राजनीतिक-पारिवारिक पृष्ठिभूमि से जुड़ी कुछ महिलाएं राजनीतिक दलों में सक्रिय भूमिका का निर्वाह तो कर रही हैं, परन्तु उनमें से भी अधिकांश की भूमिका प्रतीकात्मक मात्र बन कर रह जाती है।
- सशक्त सम्प्रेष्ण सफल राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण उपकरण है। अपर्याप्त प्रशिक्षण व बाह्य जीवन में पर्याप्त अन्त: क्रिया के अभाव में महिलाओं की सम्प्रेषण क्षमता प्राय: पुरुषों के समान सशक्त नहीं होती है। यह कमी भी उनकी राजनीतिक सफलता में बाधक तत्व बनती है।

सहभागिता वृद्धि हेतु सम्भावित प्रयास

राजनीतिक रूप से महिलाओं को सशक्त व सक्षम बनाने, राजनीतिक जीवन में उनके प्रवेश को प्रोत्साहित करने तथा उनकी राजनीतिक भागेदारी में वृद्धि के सन्दर्भ में निम्न प्रयास महत्वपूर्ण हो सकते हैं-

- राज्य का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपने समस्त नागरिकों, जिसमें महिलाएं भी शामिल हों, की राजनीतिक प्रक्रिया में लोकतान्त्रिक उपस्थिति दर्ज कराये। राजनीति में महिलाओं की आवाज सुने जाने, उनके विचारों के सम्मान, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के असन्तुलन की समाप्ति व महिला नेतृत्व के पोषण का एकमात्र आधार उनकी अर्थपूर्ण सहभागिता ही हो सकती है। अत: सहभागिता करने व सहभागिता वृद्धि हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करना एक प्रमुख आवश्यकता हैं।
- निर्वाचन प्रणाली के वर्तमान स्वरूप के कारण भी लोकतान्त्रिक संस्थाओं में महिलाओं का कम संख्यात्मक प्रतिनिधित्व देखा जाता है। अत: निर्वाचन प्रणाली के वर्तमान स्वरूप पर पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता है।
- आज एक ऐसे 'मैकेनिज्म' के विकास की आवश्यकता है जिससे निर्णय प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं की भागेदारी हो तथा नीतिनिर्माण व क्रियान्वयन दोनों ही में उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो।
- सार्वजनिक जीवन से सम्बन्धित नीतियों के निर्माण में उनके सार्थक योगदान हेतु, स्थानीय से राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव प्रक्रिया में अधिकाधिक नामांकन हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- लैंगिक न्याय व समानता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए, राजनीतिक दलों को भी, दलीय संस्तरण के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना चाहिए।
- आज मजबूती से कहा जा सकता है कि 73 व 74 वें संविधान-संशोधन के पश्चात ग्राम पंचायतों व स्थानीय निकायों के लिए चुनी गयी महिलाओं की सहभागिता अब केवल प्रतीकात्मक नही रह गयी हैं। स्वयं की स्थिति, अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति, उनकी जागरूकता में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। आवश्यकता है राजनीतिक प्रक्रिया के इस निम्नतम स्तर पर निर्वाचित लाखों महिलाओं को एक दूसरे से जोड़ने की, जिससे स्थानीय से विस्तृत राष्ट्रीय स्तर तक वे अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा सकें और शायद यही देखकर, राष्ट्र के नीति नियन्ता, केंद्रीय संसद व राज्य विधान सभाओं में भी उनकी अनिवार्य सहभागिता हेतु, अधिक सकारात्मक प्रयास करें।

निष्कर्ष

वास्तविकता तो यह है कि जब तक निर्णय प्रक्रिया में सम्पूर्ण मानव आबादी के इस आधे भाग की आवाज नहीं सुनी जायेगी, हमारी निर्वाचित संस्थाओं व कार्यपालिका की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। वस्तुत: समाजीकरण की निश्चित प्रकार की प्रक्रिया तथा विविध सामाजिक दबावों के कारण औसत भारतीय महिला इन क्षेत्रों में स्थान प्राप्त करने में स्वयं को अक्षम महसूस करती है। महिला सशक्तिकरण हेतु अत्यन्त आवश्यक है कि प्रशासनिक संरचना के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं की गुणात्मक व साथ ही संख्यात्मक सहभागिता भी अनिवार्य रूप से हो। शक्ति संरचना में महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करना, उन्हें समानता दिलाने या उनके आनुपातिक व विस्तृत सामाजिक मुद्दों को, महिलाओं व समाज के सन्दर्भ में समझने का प्रयास भी होगा। एक न्यायोचित व मानवीय सामाजिक व्यवस्था के निर्माण हेतु हमें महिलाओं की सहभागिता के महत्व को समझना होगा। वस्तुत: महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण स्वयं में एक उदेश्य ही नहीं बल्कि असमानता पर आधरित व्यवस्था में प्रभावशाली परिवर्तन के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन भी माना जा सकता है। ❋

(लेखिका कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल में समाजशास्त्र विभाग में रीडर हैं)

भारत में महिलाओं की प्रस्थिति

ऋतु सारस्वत

अनेक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सामाजिक कारणों, से भारतीय समाज में महिलाओं की प्रस्थिति कमजोर वर्ग की बनी हुई है तथा शिक्षा, रोजगार स्वास्थ्य एवं आर्थिक भागीदारी आदि से संबंधित संकेतक में भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं की स्थिति निम्नतर बनी हुई है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला जनसंख्या 49 करोड़ 57 लाख 50 हजार होने का अनुमान है। यह देश की कुल आबादी का 48.3 प्रतिशत है यह एक दुखद पहलू है कि पिछले दो दशकों में हुए आर्थिक विकास के बावजूद महिलाओं के तुलनात्मक रूप से वंचित रहते जाने की समस्या का निदान नहीं हो पाया है।

मानव विकास सूची का सामाजिक-आर्थिक मानदंड, 'स्वास्थ्य' और 'शिक्षा' जिसका अंग है, महिलाओं के पक्ष में नहीं जाता है। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति संबंधी राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया है : महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से प्रभाव डालने वाले सांस्कृतिक मानदंड हैं- "विवाह के प्रति दृष्टिकोण, विवाह की आयु, जननक्षमता की दर और बच्चे का लिंग, पारिवारिक संगठन की अभिरचना, परिवार में महिला का स्थान और सामाजिक मान्यताओं के अनुसार महिला की अपेक्षित भूमिका।"

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भारतीय महिलाओं की स्थिति अभी भी चिंतनीय है। स्त्री चूंकि जन्मदात्री है इसलिए उसे ज्यादा एवं कुछ विशेष किस्म की बीमारियों का सामना पड़ता है। अच्छा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन घर की महिला, बच्चे व पूरे परिवार के लिए ही महत्त्वपूर्ण है। भारतीय समाज में लड़की के जन्म से ही भेदभाव बरता जाता है। यह तथ्य इससे स्पष्ट होता है कि पांच-छह साल के बीच मरने वाले बच्चों में लड़कियां ज्यादा होती है। 1998 में 0-4 के बीच मरने वाले बच्चों में लड़कों की मृत्युदर 21.1 थी जबकि लड़कियों को इसमें ज्यादा 24.4 थी। लड़कियों के प्रति निरन्तर भेदभाव का नतीजा है कि बहुत बड़ी संख्या में कन्या भ्रूण हत्या और कन्या शिशु हत्याएं हो रहीं है। भारतीय सामाजिक परिवेश स्त्री का स्वतन्त्र रहने योग्य नहीं समझता है और यह 'बाल-विवाह' का एक प्रमुख कारण भी है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन.एफ.एच.एस)-2 के अनुसार किशोरावस्था में विवाहित हो जाने वाली 1.9 प्रतिशत लड़कियां खून की जबरदस्त कमी और 45.9 प्रतिशत खून की सामान्य कमी का शिकार होती हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अगर यह कमी समय रहते पूरी न की जाये तो गर्भधारण करने के बाद महिला के स्वास्थ्य के बिगड़ने की संभावना भी प्रबल हो जाती हैं। सर्वेक्षण से यह बात भी उजागर हुई है कि 51.8 प्रतिशत महिलाएं (15.49 वर्ष की) पोषण संबंधी रक्तालपता ग्रस्त होती हैं। जिसे किशोरावस्था में अच्छा पोषाहार देकर दूर किया जा सकता था। भारतीय

फोटो: सर्वेश

समाज में पोषाहार के संदर्भ में बचपन से लेकर प्रौढावस्था तक स्त्री-पुरुष में भेदभाव किया जाता है। यही महत्त्वपूर्ण कारण है कि लड़कियाँ कुपोषित होती हैं। पंजाब राज्य के एक सर्वेक्षण के अनुसार एक युवा व प्रौढ़ महिला पुरुष के मुकाबले प्रतिदिन एक हजार कैलोरी कम खाती है। यह भेदभाव दक्षिण के मुकाबले उत्तरी राज्यों में ज्यादा है।

भारत में गांवों में माताओं की मृत्युदर विश्व में सबसे अधिक है। इसका मुख्य कारण गर्भकाल में डाक्टर को न दिखाना एवं आवश्यक पोषण नहीं लेना है। भारतीय परवेश में यह माना जाता है कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसके लिए डाक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार केवल 40-50 प्रतिशत महिलाओं को ही गर्भावस्था में चिकित्सकीय मदद मिल पाती है। यह अनुमान है कि 15 से 29 वर्ष की महिलाओं की एक चौथाई मौतें गर्भावस्था संबंधी किसी भी कारण से होती है। यह कारण मूलत: आघात, रक्तालपता, सेप्टिक, आब्स्ट्रक्टड लेबर एवं टेक्सिमिया आदि है।

स्वास्थ्य और शिक्षा एक दूसरे से अर्न्तसंबंधित हैं। शिक्षा के स्तर पर महिलाओं की स्थिति में शनै:-शनै: बढ़ोतरी हुई है एवं स्त्री व पुरुष के बीच काअंतर पहले से काफी कम हुआ है। 2001 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 74 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 54 प्रतिशत है। एन.एच.एस-2 के मुताबिक 6-11 वर्ष के लड़के-लड़कियां कभी स्कूल नहीं गए। इसका एक मुख्य कारण निम्न आर्थिक स्तर है। ऐसे लड़कों की संख्या सात फीसदी और लड़कियों की संख्या 14 फीसदी है।

सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों के परिणामस्वरूप पिछले दो दशकों में महिला साक्षरता दर 29.76 प्रतिशत (1981) से 54.16 प्रतिशत

(2001) हो गयी है। निरक्षर महिलाओं की संख्या 1991 में 20 करोड़ से ऊपर थी जो 2001 में 18 करोड़ 96 लाख पर आ गयी है।

स्कूल में लड़कियों के नामांकन की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आया है। प्राथमिक स्तर पर 1980-81 में 64.1 प्रतिशत के अपेक्षाकृत 1999-200 में यह 85.2 प्रतिशत हो गया है। माध्यमिक स्तर पर यह 28.6 प्रतिशत से 49.7 प्रतिशत पर आ गया है।

'श्रम' एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है जहां स्त्री और पुरुष के मध्य लगातार भेद किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा 'ग्रामीण भारत में मजदूरी' पर जारी की गयी रिपोर्ट में इस बात का स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया गया है। कि स्त्री-पुरुष की मजदूरी में अन्तर है। यह रिपोर्ट कृषि वर्ष 2004-2005 के लिए है। पुरुष प्रधान विस्तार सेवा प्रणाली कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को नजरअन्दाज करती है। भारत में 2001 में ग्रामीण क्षेत्र में 30.9 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 11.55 महिलाएं कार्यबल में थी जबकि पुरुषों का प्रतिशत गांवों में 52 और शहरों में 50.80 प्रतिशत था।

कृषि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जहां स्त्रियों को सबसे अधिक काम मिलता है। लेकिन कृषि में स्त्री श्रमिकों को पुरुषों की अपेक्षा मिलने वाली मजदूरी में अंतर बना हुआ है। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि कृषि क्षेत्र में स्त्री और पुरुषों को मिलने वाली मजदूरी में 27.6 प्रतिशत का अंतर है।

2001 में काम में महिलाओं की कुल भागीदारी 25.7 प्रतिशत, 1999 में संगठित क्षेत्र में उनकी उपस्थिति 17.2 प्रतिशत व सार्वजानिक क्षेत्र में मात्र 14.5 प्रतिशत, 1997 में सरकार में 14.6 प्रतिशत, 1999-2000 में 14 शिक्षित महिलाओं का बेरोजगार होना, इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है। महिलाओं के साथ बहुत ही सूक्ष्म पर नियोजित तरीके से भेदभाव किया जाता है।

श्रम के भेदभाव के साथ-साथ स्वतन्त्रता के पचास दशक बीत जाने के बाद नीति निर्माण के स्तर पर अभी तक भारत में महिलाओं की भूमिका काफी कम रही है।

नीति निर्माण के स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन वर्ष 1993 में संविधान में किए गए 73 वें व 74 वें संशोधन के फलस्वरूप हुआ, जिसमें एक निश्चित संख्या में महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं में आई। इससे लोकतंत्र के निचले स्तर पर उनकी नीति निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित हुई। स्वायत्तशासी निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित किये जाने से इस स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को 4-5 प्रतिशत से बढ़ाकर 25.40 प्रतिशत तक लेकर आना ही नहीं है बल्कि महिलाओं की प्रस्थिति को सुदृढ़ करने का एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

महिलाओं के मौजूदा भेदभाव को कम करने हेतु विभिन्न पंचवर्षीय योजना में 'महिला घटक योजना' को प्राथमिकताएँ दी गयी हैं। सातवीं योजना में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं हेतु 27 लाभार्थी-उन्मुख स्कीमों की संकल्पना शुरू हुई। आठवीं योजना में लैंगिक परिदृश्य और सामान्य विकासात्मक क्षेत्रों के द्वारा महिलाओं के लिए एक निश्चित निधि को सुनिश्चित करने का प्रावधान रखा गया। योजना के प्रारूप में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है- "विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लाभ से महिलाओं को वंचित न रखा जाए और सामान्य विकास कार्यक्रमों के साथ-साथ महिलाओं के लिये विशेष कार्यक्रम भी चलाए जाएं। सामान्य विकास कार्यक्रमों में अधिक जेंडर संवेदनशीलता परिलक्षित किया जाना चाहिए।"

दसवीं योजना में लैंगिक भेदभाव को दूर करने की प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से उजागर होती है। योजना के दस्तावेज में उल्लेखित है "दसवीं योजना के अंतर्गत महिला घटक योजना एवं जेंडर बजटिंग की इन प्रभावी संकल्पनाओं को एक साथ जोड़ने के लिए तत्काल कारवाई प्रारम्भ की जाएगी, ताकि वे एक-दूसरे के प्रति पूरक भूमिका अदा कर सकें तथा इस प्रकार निवारण एवं कार्योत्तर कारवाई को सुनिश्चित किया जा सके और इसके फलस्वरूप महिलाओं को महिला संबंधी सभी सामान्य विकासात्मक क्षेत्रों में अपना उचित हिस्सा प्राप्त हो सके।"

महिलाओं की प्रस्थिति को सुदृढ़ करने हेतु सरकारी और गैर-सरकारी स्तर पर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन खेद की बात है कि आज भी उन्हें वह स्थान प्राप्त हो सकता है जब शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं पर विशेषतौर पर ध्यान दिया जाये और इस हेतु भागीरथ प्रयास की आवश्यकता है। ●

तालिका

संकेतक	निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी					
	महिला	पुरुष	कुल	महिला	पुरुष	कुल
सरकारी (मिलियन में) 1981 व 1987	1.2 (11%)	9.7	10.9	1.6 (14.6%)	9.1	10.7
प्रशासन 1987 एवं 2000 आई.ए.एस, आई.पी.एस	360 (5.4%)	6262	6622	645 (7.6%)	7815	8460
पंचायत संस्थाओं में हजारों में 1998 व 2001	318 (33.5%)	630	948	725	1997	2722
संसद में 1998 व 2001	59	761	800	70 (8.5%)	750	820
मंत्री परिषद में 1985 व 2001 में संख्या	4 (10%)	36	40	8 (10.8%)	66	74

राष्ट्रीय महिला आयोग

सुरेश लाल श्रीवास्तव

लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अधीन भारत के संविधान में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का प्रत्यक्षण पग - पग पर होता है। मानवीय मूल्यों, संवेदनाओं का संरक्षण, संवर्द्धन संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों से पुष्ट होता है। इसी सर्वोच्च अधिकार के विषय में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति का कथन था कि "मैं यह धारित करने में असमर्थ हूं कि यह अधिकार नैसर्गिक या असंक्रमणीय नहीं है। वास्तव में भारत मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का पक्षकार था-- तथा उक्त घोषणा कुछ मौलिक अधिकारों का असंक्रमणीय वर्णित करती है।"

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, 23, 14, 15(1), 32, 22, 20(1) 19(1) (घ), 25(1) (ख), 16(1), 29(1), 19(1) (ग) तथा इसी तरह कुछ अन्य भारतीय जनों (महिला एवं पुरुष) को महत्वपूर्ण एवं सर्वोच्च मानवीय मूल्य संवर्द्धन के अधिकार प्रदान करते है, जिसने मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा की अवधारणा का अनुकूलन तथा अनुशीलन सार्थकता को प्राप्त होता है। व्यापक अधिकारों का समावेश भारतीय संविधान के अनु0 21 में है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने धारित किया है कि अनु0 21 की परिधि बड़ी ही व्यापक है तथा इन्हें निम्नलिखित क्षेत्रों में क्रियान्वित किया गया है।-1. दवायें (विशेषकर मादक) 2. पर्यावरण जोखिम वाले रसायन 3. अस्वस्थ चित्त के व्यक्ति 4. पासपोर्ट 5. परमाणु शक्ति सक्रिय धूल 6. वन 7. विदेशी महिलाओं के साथ बलात् कई लोगों द्वारा बलात्कार 8. गरीब किसानों को उनकी कृषि भूमि से वंचित करना 9. कार्य करने वाली महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक संताप 10. कार्य करने वाली महिलाओं के कार्य स्थल पर उनके साथ अभद्र व्यवहार। इसी तरह बहुत से अन्य आधिकाधिक क्षेत्र अनु0 21 के अन्तर्गत आते हैं।

महिलाओं के संदर्भ में विश्व मानव अधिकार घोषणापत्र (1984) तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार घोषणापत्र (1948) तथा राष्ट्रीय मानव कमीशन अधिनियम 1990 व्यवहार में लाया गया। चूंकि हर जाति संवर्ग में पुरुषवत् नारियों की भागीदारी है, ऐसे में मानव अधिकार के संरक्षण के निमित्त जो अन्य आयोग अधिनियमित हैं, वे भी भारतीय महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करते हैं। ये अधिनियम हैं - (1) नागरिक अधिकारों के संरक्षण का अधिनियम (1955) 2. अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचारों का निवारण) अधिनियम (1989) 3. अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय कमीशन अधिनियम (1990) 4. सफाई कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय कमीशन अधिनियम (1993) 5. आयोग्यताओं सहित व्यक्तियों का अधिनियम (1993) 6. पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय कमीशन अधिनियम (1993)।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के व्यवहार में आने से पूर्व ही महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं वैश्विक प्रस्थिति को बेहतर दिशा एवं दशा देने हेतु संसद ने 1990 में "महिलाओं के राष्ट्रीय कमीशन अधिनियम" पारित किया, इस अधिनियम को राष्ट्रपति की सम्मति 30 अगस्त 1990 को प्राप्त हुई थी। अधिनियम के प्रावधानों के तहत् जनवरी 1992 में महिलाओं कें लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई।

इस अधिनियम का प्रसार जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में है। महिलाओं के राष्ट्रीय कमीशन में अध्यक्ष (केन्द्र सरकार द्वारा नामांकित) तथा पांच सदस्य होंगे (इन्हें भी केन्द्र सरकार नामांकित करेगी)। इन पांच सदस्यों में कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति का व्यक्ति होगा। यह व्यवस्था एक्ट की धारा 3 में है। अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल केन्द्र सरकार निश्चित करेगी, जो पांच वर्षो से अधिक नहीं होगा। यह व्यवस्था अधिनियम की धारा 4 (1) में उपबन्धित है। धारा 8 (1) के अनुसार कमीशन विशेष मामलों में निपटारे के लिए समितियां नियुक्त कर सकती हैं।

अधिनियम के तहत् कमीशन के कार्यो का ब्यौरा निम्नवत् है-(1) संविधान तथा अन्य विधिक प्रक्रिया में महिला सुरक्षा सन्दर्भित सभी मामलों की खोजबीन एवं जांच। (2) सुरक्षा-विषयक् कामकाज की वार्षिक तथा अन्य रिपोर्टो, जिसे आयोग-सम्यक् समझे केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करे। (3) महिला दशा में सुधार हेतु उक्त रिपोर्टो में सुरक्षाओं के प्रभावों के कार्यान्वयन हेतु संस्तुतियां देना। (4) यथा समय सांविधिक एवं अन्य विधिक उपबन्धों का परीक्षण करना, साथ ही किसी विधायी उपाय में कमी या अनुपयुक्तता के बारे में संशोधनों को संस्तुति देना। (5) महिला सन्दर्भित संविधान तथा अन्य विधियों के उपबन्धों के उल्लंघनो को उपयुक्त प्राधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना। (6) निम्नलिखित शिकायतों का प्रत्यक्षण- (i) महिलाओं के अधिकारों का वंचितीकरण (ii) महिलाओं के संरक्षण हेतु निर्मित विधिओं का कार्यान्वयन न होना तथा समानता एवं विकास के उद्देश्य की प्राप्ति। (iii) महिलाओं के कल्याणार्थ तथा उन्हें अनुतोष प्रदानार्थ सम्बन्धित नीति निर्णय, मार्गदर्शन या निर्देशों का अनुपालन न होना तथा ऐसे मामलों को उपयुक्त प्राधिकारी

के पास ले जाना। (7) महिलाओं के साथ भेदभाव तथा अत्याचारों से उत्पन्न समस्याओं या स्थितियों पर विशेष अध्ययन या खोजबीन करना, जिससे उनके निवारणार्थ रणकौशल की संस्तुतियां दी जायें (8) महिलाओं के उचित प्रतिनिधित्व, उन्नति में बाधक तथ्यों या कारणों के पहचान हेतु प्रोन्नति एवं शिक्षा सम्बन्धी अनुसंधान कार्य (9) संघ तथा राज्य की महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन (10) सामाजिक, आर्थिक विकास बिन्दु पर योजना में भाग लेना एवं सलाह देना (11) जेल या प्रतिपेषण गृह की जांच करना या करवाना साथ ही महिलाओं की संस्था या हिरासत के अन्य स्थान जहां महिलाएं कैदी के रूप में या अन्यथा रखी जाती हैं, की जांच करना या करवाना तथा उपचारार्थ मामलों को संबंधित अधिकरियों के पास ले जाना (12) बड़ी संख्या में प्रभावित होने वाली मुकद्मेबाजी से सम्बन्धित किसी भी मामले की कठिनाईयों की आवधिक रिपोर्ट सरकार को देना ताकि उन्हें फंड करना (13) अन्य मामले जो धारा 10 (1) के तहत् केन्द्र सरकार आयोग को निर्देशित करे।

कमीशन अपने कार्यकलापों की रिपोर्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष में तैयार कर उसकी एक प्रतिलिपि अनु0 13 के अनुसार केन्द्र सरकार के भेजेगी, जबकि केंद्र सरकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा रिपोर्ट धारा 14 के प्रावधान अनुसार संसद के दोनों सदनों में रखवायेगी तथा धारा 16 के तहत् केन्द्रीय सरकार महिलाओं को प्रभावित करने वाली सभी प्रमुख नतियों के बारे में कमीशन से सलाह लेगी।

महिलाओं के राष्ट्रीय कमीशन गठन का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं के संवैधानिक एवं कानूनी संरक्षण में सुधार, कानूनी उपचार का प्रबंधन, कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान करना, महिलाओं को प्रभावित करने वाली सभी सरकारी नीतियों में सरकार को सुझाव देने को आधार रूप में लिया गया। घरेलू-हिंसा, दहेज-प्रतिषेध, बाल विवाह-निरोध, जैसे तमाम कानूनों को मजबूती प्रदान करना, उनके माध्यम से महिला उत्पीड़न रोकना, तद् विषयक् शिकायतें सुनना राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यक्रमों में आता है।

सम्प्रति राष्ट्रीय महिला आयोग की कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद पर परम् विदुषी डॉ0 गिरिजा व्यास पदासीन हैं। डॉ व्यास 16 फरवरी 2005 से एन. सी. डब्ल्यू के अध्यक्ष पद पर रहती हुई महिलाओं के कल्याण और विधिक संरक्षण के संदर्भ में अनेकश: सराहनीय कार्य कर रही है। आयोग के अन्य सदस्यों में मालिनी भट्टाचार्या, यासमीन अबरार, नीवा कोनवार निर्मला वेंकटेश हैं, जबकि एन. पी. गुप्त सदस्य सचिव पद नियुक्त हैं। आयोग के संयुक्त सचिव पद पर सतीश लाम्बा और उप सचिव पद पर गुरप्रीत देव को नियुक्त किया गया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं की आधिकारिक प्रस्थिति को बेहतर स्वरूप देने हेतु, उनकी जागरूकता को सशक्त बनाने के लिए अनेक प्रक्रियाओं, कार्य-योजनाओं को व्यावहारिक रूप प्रदान करता है। उनमे 'मीरा दीदी से पूछों', बी.पी.ओ. के लिए सुझाव 'चलो गांव की ओर', सूचना अधिकार अधिनियम, जांच समिति, पारिवारिक महिला लोक अदालत, सेमीनार, वर्कशाप कान्फ्रेंस,विशेष अध्ययन इत्यादि ऐसे महत्वपूर्ण कार्यकारी योजनाएं हैं, जो राष्ट्रीय महिला आयोग को मजबूती प्रदान करते हैं।

महिलाओं के जीवन मूल्य को संकटपूर्ण दशा में ले जाने वाले ऐसे सभी कारक जो मानवीय मूल्यों को महिलाओं के संदर्भ में चोट पहुंचाएं, की सुनवाई राष्ट्रीय महिला आयोग में की जाती है। महिलाओं के संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों से अपवंचना के दोषी व्यक्ति के विरुद्ध महिला उत्पीड़न के संदर्भ में शिकायतें निवारणार्थ राष्ट्रीय महिला आयोग में दर्ज की जाती हैं। यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर कार्य के बोझ को कम करने के लिए राज्य स्तर पर महिला आयोग का भी गठन अधिकांश राज्यों में किया गया है, फिर भी राष्ट्रीय स्तर पर शिकायतों की सुनवाई-"राष्ट्रीय महिला आयोग, 4 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली.110002 के पते पर होती है। इसका दूरभाषिक सम्पर्क सूत्र -91-11-23237166, 91-11-23236988 है। शिकायत प्रकोष्ठ की दूरभाष सं0 91-11-23219750 तथा तत्काल शिकायती पत्र -प्रेषण हेतु आयोग का फैक्स नं0 91-11-23236154 की व्यवस्था भी है।

भारतीय महिलाएं राष्ट्र -समाज के विकास की दिशा एवं दशा निर्धारण में अहम भूमिका निभाती हैं, इन्हीं के जीवन-बेहतरी में राष्ट्र की तरक्की सुनिश्चित है। अस्तु राष्ट्र के कर्णधारों को आदर्श व्यक्तित्व गुणों से पुष्ट करने वाली महिलाओं के प्रति सहयोगी एवं तादात्म्यपरक मान रखते हुए उन्हें विकास की दौड़ में बराबरी का हक देना, उनका सम्मान करना पुरुष समाज का परम कर्तव्य है। महिलाओं में अधिकारों एवं कर्तव्यों का अवबोधन भी वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जिससे वे संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों का सम्यक् रूप से उपभोग कर सकें। महिला उत्पीड़न को रोकने तथा उन्हें स्वस्थ मनोशारीरिक, सामाजिक, आर्थिक विकास का अवसर सुलभ कराने के संदर्भ महिलाओं के राष्ट्रीय आयोग की व्यवस्था निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है। ●

(लेखक रा.बा. इंटर कालेज, जलालपुर, अम्बेडकर नगर से संबद्ध हैं)

कुरुक्षेत्र मंगाने का पता

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग
पूर्वी खंड-4, तल-7
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

मूल्य एक प्रति	:	सात रुपये
वार्षिक शुल्क	:	70 रुपये
द्विवार्षिक	:	135 रुपये
त्रिवार्षिक	:	190 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
पड़ोसी देशों में	:	500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	700 रुपये (वार्षिक)

महिला डेयरी परियोजना

ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण

गिरधारी लाल मीणा और डी. के. जैन

महिला सशक्तिकरण का नाम कर्णपटल पर सुनाई देते ही एक बात जेहन में बिजली की तरह कौंध जाती हैं और मानस पटल पर उभरा प्रश्नवाचक चिन्ह मस्तिष्क से यह प्रश्न करने लगता हैं कि आखिर यह ''महिला सशक्तिकरण'' हैं क्या ?

महिला सशक्तिकरण की पहल 1985 में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन नैरोबी में की गई थी। वास्तव में यदि विचार किया जाए तो महिला सशक्तिकरण का सामान्य सा अर्थ निकलता हैं कि महिला को शक्ति सम्पन्न बनाना। परन्तु व्यापकता में इसका अर्थ बड़ा ही गूढ़ हैं। सशक्तिकरण का अभिप्राय सत्ता प्रतिष्ठानों में महिलाओं की साझेदारी से हैं। निर्णय लेने की क्षमता सशक्तिकरण का एक बड़ा मानक हैं। महिला सशक्तिकरण उन्हें नये क्षितिज दिखाने का प्रयास हैं जिसमें ये नई क्षमताओं को प्राप्त कर स्वयं को नये तरीके से देखेंगी, घरेलू शक्ति सम्बन्धों का बेहतर समायोजन करेंगी और घर एवं बाह्य परिवेश में स्वायत्तता की अनुभूति करेंगी। सशक्तिकरण का अर्थ हैं कि किसी कार्य को करने या रोकने की क्षमता। महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं को पुरुषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्तता से हैं। भारत में महिला सशक्तिकरण का प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक दशा को सुधारना है।

महिलायें सदैव हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पारिवारिक व्यवस्थाओं का आधार रही हैं। आज की परिस्थितियों में जीवन के हर

क्षेत्र में उनका योगदान बढ़ रहा हैं। सभी महिलायें कर्मशील होती है, परन्तु उनके द्वारा किये गये कार्य को मुद्रा में नही मापा जाता। यही कारण है, कि किसी भी प्रदेश की कुल आय में महिलाओं की आय नगण्य हैं। इसका दूसरा कारण यह भी है कि अधिकतर महिलायें असंगठित क्षेत्रों में कार्य करती हैं। परिणामस्वरूप उनके द्वारा अर्जित आय कुल सकल आय में दिख नहीं पाती। इसलिए यह आवश्यक हैं कि महिलाओं के कार्यक्षेत्र को संगठित किया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये की उनके द्वारा अर्जित आय उन्हें ही प्राप्त हो। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के दायित्व और जीवन सन्दर्भ भी बदले हैं, ऐसे में आज महिला-पुरुष के बीच की असमानता को मिटाकर उन्हें आगे लाने की जिम्मेदारी हम सबकी है।

महिला डेयरी परियोजना

महिला डेयरी परियोजना के आरम्भ होने से पहले महिलायें घर में दुग्ध उत्पादन का उपयोग अधिकतर घी इत्यादि बनाने में, पशु-आहार तैयार करने में एवं पशुधन के रखरखाव में अपना अधिकतम समय एवं परिश्रम लगा देती थी जिससे उन्हें अपने लिये समय नहीं मिलता था। पूर्व में महिलायें दूधवालों को दूध देती थी, समिति की सदस्य नहीं थी । पूर्व में महिलाओं में नेतृत्व, आत्मविश्वास, संगठन एवं सहकारिता की भावना का अभाव था। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं के जीवन को सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से ऊंचा उठाने हेतू महिला डेयरी परियोजना प्रारम्भ की गई। जिसके अन्तर्गत देश में महिला दुग्ध सहकारी समितियों का गठन कर उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित की गई। आज इन समितियों को पूर्णरूप से महिलाओं द्वारा संचालित किया जा रहा हैं। इन

समितियों के गठन से महिलाओं में आत्मविश्वास एवं नेतृत्व क्षमता के विकास की भावना जागृत हुई हैं। महिला डेयरी परियोजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को पशुपालन व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ावा देना हैं।

भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित कार्यक्रम एस.टी.ई.पी. (Support to Training and Employment Programme) के अन्तर्गत वर्ष 2004 में लगभग 9000 महिला दुग्ध समितियों के माध्यम से 3.6 लाख महिला सदस्य लाभान्वित हो रही थी। एस.टी.ई.पी. के अन्तर्गत देश के विभिन्न राज्यों जैसे आन्ध्रप्रदेश, बिहार, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उडीसा, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरांचल, उत्तरप्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में राज्य स्तरीय डेयरी संघों द्वारा महिला डेयरी सहकारी समितियां चल रही हैं। महिलाओं में चेतना जागृत कर उनका आर्थिक-सामाजिक एवं राजनीतिक सशक्तिकरण करने के लिए सभी स्तरों पर प्रयास निरन्तर जारी हैं। महिला दुग्ध समितियों को महिला सशक्तीकरण के विभिन्न कार्यक्रमों से जोड़ा जा रहा है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं में सदस्य शिक्षा, सहकारी शिक्षा, प्रबन्धकारिणी प्रशिक्षण, अध्यक्ष प्रशिक्षण, सचिव प्रशिक्षण, पशुओं की बीमारियों की रोकथाम के लिए प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण एवं सदस्यों को अपनी समिति में भागीदारी का रोचक रूप से प्रशिक्षण देकर जानकारी दी जाती है । इसके अलावा दुग्ध समिति के सदस्यों को डेयरी संयन्त्र, पशु आहार संयन्त्र तथा आनन्द डेयरी का भ्रमण भी करवाया जाता हैं जिससे महिलाओं में डेयरी उद्योग के प्रति जागरूकता पैदा हुई है।

महिला सशक्तिकरण में उनके आर्थिक स्वावलम्बन की मुख्य भूमिका है। महिला सहकारिता इस दिशा में एक सराहनीय कदम है। वर्तमान समय में सहकारिता के माध्यम से चलाई जा रही डेयरी परियोजना के परिणामस्वरूप महिलाओं की स्थिति में अभूतपूर्व बदलाव आये हैं जैसे कि आज महिलायें समिति की सदस्य बनकर समिति को अपनाने लगी तथा डेयरी समिति को दूध देने का महत्व समझ में आया जिसके फलस्वरूप महिलाओं ने स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, विपणन, पशुओं की बीमारियों की रोकथाम व दुग्ध की पौष्टिकता की जानकारी प्राप्त की हैं । साथ ही उन्होंने महिला डेयरी समिति का गठन व सफल संचालन करना एवं स्वयं की स्वच्छता व अपने पशुओं की स्वच्छता पर ध्यान देना सीखा हैं। आज महिलायें डेयरी समिति के माध्यम से तैयार सन्तुलित पशु-आहार किफायती दर प्राप्त कर रही हैं। अब महिलायें अधिक से अधिक पशुधन रखने में विश्वास कर रही हैं क्योंकि ये दुग्ध समिति पर सीधा अच्छी गुणवत्ता वाला दुग्ध देकर उच्च कीमत प्राप्त कर रही हैं जिससे महिलाओं में डेयरी उद्योग के प्रति विश्वास, उत्साह व आत्मविश्वास बढ़ा है। आज महिलायें घर की चारदिवारी से बाहर निकल कर सफलतापूर्वक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का संचालन कर रही है, जो अत्यन्त सराहनीय कदम है। इलेक्ट्रॉनिक मशीनों एवं कम्प्यूटर के माध्यम से दुग्ध परीक्षण एवं संकलन होने से महिलाओं में आधुनिक तकनीकी के उपयोग करने में जागरूकता एवं रुचि बढ़ी है जिससे महिलाओं की भागीदारी दुग्ध समितियों में निरन्तर बढ़ रही है। महिलायें डेयरी व्यवसाय के माध्यम से अर्जित धन का बेहतर उपयोग कर अपने एवं अपने परिवार के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सक्षम सिद्ध हुई हैं। अत: इस परियोजना के परिणामस्वरूप महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में काफी हद तक महत्वपूर्ण सुधार आये हैं।

महिलाओं द्वारा संचालित कुछ सफलतम सहकारी समितियों के उदाहरण

क्र. सं.	संस्था	राज्य
1	उत्तराचंल महिला डेयरी विकास निगम, अल्मोड़ा	उत्तराचंल
2	ईचामती सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, बारासत	पश्चिम बंगाल
3	गुजरात राज्य सेवा महिला सहकारी संघ, अहमदाबाद	गुजरात
4	कियोंनझर जिला सहकारी उत्पादक संघ लिमिटेड, कियोनंझर	उड़ीसा
5	मुल्कानूर महिला डेयरी सहकारी समिति, करीमनगर	आन्ध्रप्रदेश
6	हेबाली महिला डेयरी सहकारी समिति, धारवाड़	कर्नाटक
7	कल्पने महिला डेयरी सहकारी समिति, दक्षिण कन्नड़	कर्नाटक
8	मुलकनूर महिला सहकारी डेयरी, वारांगल	आन्ध्रप्रदेश

निष्कर्ष

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि महिला डेयरी परियोजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण तथा सराहनीय कदम साबित हुआ हैं। जिसके तहत ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण का प्रयास निरन्तर जारी हैं। इस परियोजना के माध्यम से हमारी सोच व आर्थिक-सामाजिक परिवेश में महत्वपूर्ण परिर्वतन आये हैं और हमारे समाज एवं समुदाय ने अब महिलाओं की कार्य करने की क्षमता को पहचानना आरम्भ किया हैं। महिलायें अब परिवार की देखभाल के साथ-साथ कई उत्पादक कार्यो जैसे महिला डेयरी समिति का गठन एवं सफल संचालन, पशुओं की बीमारियों की रोकथाम, आधुनिक तकनीकी जैसे इलेक्ट्रॉनिक मशीनों एवं कम्प्यूटर के माध्यम से दुग्ध परीक्षण एवं संकलन, कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों का सफलतापूर्वक संचालन इत्यादि करने लगी हैं। इस परियोजना के परिणामस्वरूप महिलाओं में डेयरी व्यवसाय के प्रति उत्साह, आत्मविश्वास व नेतृत्व की भावना विकसित हुई हैं । इससे यह सिद्ध हो चुका हैं, कि पुरुषों के साथ-साथ महिलायें एक महत्वपूर्ण स्तम्भ की तरह कार्य करती हैं और वह किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नही हैं। अत: यह अत्यन्त आवश्यक है कि ग्रामीण महिलाओं की कार्य करने की क्षमता को और अधिक सशक्त किया जाए। जिससे ग्रामीण विकास में महिलायें अपनी भागीदारी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा सके तथा उनके द्वारा किये गये कार्य को मुद्रा में मापा जा सके। महिलाओं का सशक्तिकरण एक अनवरत और गतिशील प्रक्रिया है। ✹

(लेखक द्वय क्रमश: राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल में शोधार्थी तथा प्रधान वैज्ञानिक हैं)

महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ

प्रियंका द्विवेदी

आज विश्व की आबादी 6 अरब से भी अधिक है जाहिर सी बात है कि इस आबादी में आधा हिस्सा महिलाओं का भी है। आधी दुनिया का बोझ अपने सिर पर उठाये इतनी बड़ी आबादी आज विकास की दौड़ में बहुत पीछे ढकेल दी गयी है। आज विकसित से लेकर विकासशील और गरीब लगभग सभी राष्ट्रों में महिलाओं की दशा दयनीय है। हो भी क्यों ना? आदिम समाज से लेकर औद्योगिक समाज तक में महिलाओं को उचित सम्मान और स्थान आखिर दिया ही कहां गया। आज का इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लगभग हर काम की एक कीमत देखी जाती है। आज विकसित राष्ट्रों मं वेश्यावृप्ति को एक सामाजिक बुराई न मानकर कानूनी वैधता प्रदान कर दी गयी है और वेश्यावृप्ति को जीवनयापन का एक धंधा मात्र माना जाता है। इस वेश्यावृप्ति से स्त्री को कितनी पीड़ा और यातना झेलनी पड़ती है शायद विकास को आंधी में ऐसी समस्याएं इन राष्ट्रों को नजर ही नहीं आती। आज के आधुनिक और विकसित कहे जाने वाले समाज में अश्लीलता और भौंड़ापन ही प्रगति की पहचान बन चुका है। तीसरे विश्व के राष्ट्रों में महिलाओं की दशा और दीन-हीन है। महिलाओं के लिए समाज में रोज नए-नए फतवे जारी कर दिए जाते हैं। उठना-बैठना, खाना-पीना लगभग सभी बातों पर पाबंदी है। गुलामी की जिंदगी इनके भाग्य में लिखी है जो बदलते-बदलते शायद ही बदल पाए। अभी हाल ही में दिल्ली में 'इंडिया सोशल फोरम का आयोजन किया गया। आयोजन की खास बात यह रही कि इस आयोजन का उद्घाटन महिलाओं ने किया। मनोरमा देवी से लेकर इरोम शर्मिला तक सबकी चर्चा चली। लोगों ने अपनी ढपली अपना राग कह सुनाया। 'एक और दुनिया मुमकिन है' के नारे के साथ महिलाओं ने जोर-शोर से इस आधी दुनिया की समस्याओं को उठाया। दहेज प्रथा और घरेलू-हिस्सा जैसे मुद्दे भी उठे। बलात्कार से लेकर यौन उत्पीड़न तक लगभग सभी बातें उठी। प्रयास सराहनीय रहा। आदिवासी और जनजातीय महिलाओं ने भी भारत सामाजिक मंच में शिरकत की। भारत सरकार ने भी विश्व स्तर पर महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं चलायी और इन योजनाओं के बेहतर परिणाम भी प्राप्त हुए।

आज महिलाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या उनके स्वास्थ्य को लेकर है चाहे एड्स हो या कालाजार, मलेरिया और प्रसूति संबंधी बीमारियां महिलाएं सबसे अधिक पीड़ित है। आज भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। अशिक्षा, गरीबी और अज्ञानता कहीं न कहीं इसके पीछे खड़ी है। सरकार ने महिलाओं को प्रसूति लाभ संबंधी विभिन्न सहयोग कार्यक्रमों के माध्यम से इन गरीब महिलाओं अर्थात जननियों को सुरक्षा प्रदान करने

का प्रयास किया है। पहले से चल रही राष्ट्रीय प्रसूति लाभ योजना को जननी सुरक्षा योजना नामक नई योजना के नाम पर नया रूप दिया गया है। मई 2005 से प्रांरभ इस योजना के माध्यम से स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसव सुविधा प्रदान कर मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को संस्थागत प्रसव हेतु प्रोत्साहन तथा आपाती प्रसूति सेवा उपलब्ध कराने का सरकार का प्रयास है। जननी सुरक्षा योजना में कुछ खास बाते हैं प्रथम, इस योजना के लिए पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। द्वितीय, यह लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की 19 वर्ष या इससे अधिक आयु की सभी गर्भवती महिलाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। तृतीय, इस योजना के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को पूरा करने में सहयोग मिलेगा। जननी सुरक्षा योजना में प्रसव के दौरान संस्थागत परिचर्या सहित प्रसव पूर्व परिचर्या से पहले और प्रसवोत्तर परिचर्या के तत्काल बाद की परिचर्या सहित नकद सहायता के लाभ को सम्मिलित कर दिया गया है। यह योजना पहले दो जीवित बच्चों तक ही मिलेगी। सेवाओं के लिए 600 रुपये का पैकेज प्रदान किया जाएगा। इस योजना में यह मानते हुए कि सार्वजनिक क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं, जननी सुरक्षा योजना के तहत राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में विधिवत मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र के अस्पतालों, नर्सिंग होमों, क्लीनिक आदि में महिलाओं को प्रसव संबंधी लाभ मिलेगें तथा सरकार इसके लिए उपयुक्त धनराशि निजी क्षेत्रों को उपलब्ध कराएगी। जननी सुरक्षा योजना बड़े जोर-शोर से चलायी जा रही है। सरकार की नीति के तहत इस योजना में

राज्य सरकारों की भी महती भूमिका होगी। राज्य और संघ शासित प्रदेश इस योजना के कार्यान्वयन और देखभाल के लिए राज्य, जिला और नगर स्तरीय समितियों का गठन करेंगे। इस योजना के कार्यान्वयन का दायित्व राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य मिशन तथा जिला स्तर पर जिला स्वास्थ्य मिशन संभालेगें। नगरीय स्तर पर भी बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी।

भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्र में मातृ मृत्युदर के अनेकों कारण हैं। सबसे बड़ा कारण रक्तस्राव है जो प्रसव के दौरान होता है रक्तस्राव के कारण एक तिहाई मातृ मृत्यु होती है। इसके बाद नबंर आता है प्यूरपेरल और बाधित प्रसव का जिसके कारण समस्त मातृ मृत्यु का एक चौथाई भाग काल के ग्रास में समा जाता है। रक्तालपता के कारण 19 प्रतिशत मौतें होती हैं। गर्भपात और विषाक्तता से क्रमश: 9 प्रतिशत और 8 प्रतिशत महिलाओं का जीवन स्वाहा हो जाता है। भारत में मातृ मृत्यु दर का राष्ट्रीय औसत प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 407 है जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बिखरे विभिन्न राष्ट्रों से बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए स्वीडन में जहां यह एक लाख पर 8 है वही इंग्लैंड में 10, ग्रीस में 2 श्रीलंका में 60, चीन जैसे विशाल आबादी वाले राज्य में 6 और थाइलैंड में 54 है। भारत के राज्यों की भी स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है उत्तर प्रदेश में 407, राजस्थान में 670, मध्य प्रदेश में 498, बिहार में 451 और असम में 409 है। यहां तक कि भारत के कई संघ शासित क्षेत्रों में तो अनुमान तक नहीं लगा मिलता कि मातृ मृत्यु दर कितनी है। सरकार भी आखिर क्या करे इतनी बड़ी जनसंख्या को रोजगार और सही शिक्षा के अभाव में जागरूक किया भी नहीं जा सकता। ऊपर से विभिन्न रूढ़ियां तथा परंपराएं भी आड़े आती है जो सरकार के काम को और कठिन बना देती है। ऐसे बहुत जो इलाके हैं जहां लोगों की सहभागिता नाममात्र की रहती है अथवा नहीं रहती है।

भारत में कुष्ठ और चर्म रोग एक ऐसी बीमारी रही है जिससे महिलाओं को समाज में बहिष्कृत तक कर दिया जाता है। भारत में कुष्ठ रोग पर धीरे-धीरे नियत्रंण पाया जा रहा है। वर्ष 2004-2005 के दौरान कुष्ठ रोग के कुल 2.60 लाख मिलियन नए मामले प्रकाश में आए जिनमें 13.3 प्रतिशत बच्चे थे अर्थात वे नन्हें मासूम लड़के तथा लड़कियां जिनके सामने अभी पहाड़ जैसा जीवन खड़ा है। 35.8 प्रतिशत रोगी महिलाएं थी। महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या का कुष्ठ रोगी होना यह बताता है कि कुष्ठ रोग को ठीक करने वाली एम डीटी दवाएं महिलाओं को उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। इसके पीछे सामाजिक रूढ़ियां और आंडबर ज्यादा उत्तरदायी हैं मसलन, जब किसी बच्ची या महिला को कुष्ठ रोग होने की खबर अन्य लोगों को मिलती है तो उस महिला या बच्ची से संबंध समाप्त कर देते हैं। 'कोढ़' का नाम देकर लोग अपने बच्चों को कुष्ठ रोगी बच्चे से न तो मिलने देते है और न ही साथ में खेलने देते हैं। ऐसी युवतियों के विवाह में भी मुश्किलें खड़ी होती हैं जिनको कुष्ठ रोग होता है अत: परिवार कुष्ठ रोग का दुराव-छिपाव करने लगता है जिससे कि बाहर वालों को पता न चले लेकिन दवाईयां न खिलाने पर यह रोग बढ़ता जाता है और धीरे-धीरे ल्यूकोडरमा (सफेद दाग) आदि जैसे रोग पूरे शरीर पर फैल जाता है। 'दाग,चकरता, सुन्न निशान, कुष्ठ रोग की है पहचान' जैसे .... सिर्फ नारे ही बनकर रह जाते हैं। अत: सरकार की नीतियां तभी सफल होगी जब लोग स्वयं आगे बढ़गें और महिलाओं की हीनता को दूर करेगें।

भारत में क्षय रोग एक बड़ी समस्या के रूप में हमेशा उपस्थित रहा है। भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों तथा प्रचार-प्रसार के बावजूद भारत में विश्व के क्षय रोगियों का 1/5 भाग मौजूद है। जो विश्व के कुलज क्षय रोगियों का 20 प्रतिशत है। यह संख्या विश्व में सर्वाधिक है वैश्विक स्तर पर बात करें तो चीन में 17 प्रतिशत, इंडोनेशिया में 8 प्रतिशत, नाइजीरिया में 4 प्रतिशत, और दक्षिणी अफ्रीका में 2 प्रतिशत भाग विश्व के कुल क्षय रोगियों का मौजूद है। भारत में बच्चों और महिलाओं की दशा क्षय रोग से सबसे बुरी तरह से प्रभावित है। गांवों में विभिन्न प्रकार की लकड़ियों को ईंधन के रूप में प्रयोग करने से

भारत में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने सराहनीय प्रयास किया है। खासकर सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास तथा रोजगार के संबंध में। आईसीएस कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं तथा अन्य महिलाओं के पोषण में सुधार किया गया, अल्पपोषक तत्वों की कमियों को दूर किया गया और लगभग सभी महिलाओं की स्वास्थ्य की जाँच की गयी जिससे 91 लाख माताओं को लाभ प्राप्त हुआ आज के तेजी से बदलते परिवेश में जबकि महिलाएं रोजगार के साधनों में लिप्त हैं तो कामकाजी महिलाओं को अत्यधिक सक्रियता युक्त, सुरक्षित और सस्ता आवास उपलब्ध कराने के लिए 917 कामकाजी महिला हॉस्टल चलाए जा रहे हैं जिनसे 57 हजार 264 महिलाएं लाभ प्राप्त कर रही है। पूर्वोत्तर पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पूर्वोत्तर की पांच सौ महिलाओं के लिए विशेष अवास गृह का निर्माण किया जा रहा है। राष्ट्रीय महिला कोष के अंतर्गत आय अर्जन गतिविधियां शुरू करने के लिए अल्प ऋण का प्रावधान किया गया है और इस योजना में बहुत भी हुआ है। सन् 2005 में 16 हजार 246 महिलाएं राष्ट्रीय महिला कोष के इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुई। 125 लाख महिला लाभार्थियों के लिए 5,070 जागरूकता विकास शिविरों का आयोजन देश के विभिन्न भागों में किया गया। इससे महिलाओं में जागरूकता का स्तर तो बढ़ा ही इस स्तर के बढ़ने का प्रमाण उनकी व्यापक भागीदारी में भी दिखा। एक विशेष कार्यक्रम 'स्टेप' के माध्यम से महिलाओं को समूहों में संगठित करना, उन्हें ..प्रशिक्षण, कौशल विकास, विपणन संपर्क जैसी सुविधाएं प्रदान की गयीं। स्टेप के माध्यम से अब तक यानि 2005-06 तक 19 हजार 2 सौ महिलाएं लाभान्वित हुई।

तालिका

क्र. सं.	मातृ मृत्यु के कारण	कुल मातृ मृत्यु दर का प्रतिशत
1.	रक्तस्राव	29.6 प्रतिशत
2.	पूरपरेल जटिलताएं	16.1 प्रतिशत
3.	अवरुद्ध प्रसव	9.5 प्रतिशत
4.	गर्भपात	8.9 प्रतिशत
5.	गर्भधारण की विषाक्तता	8.9 प्रतिशत
6.	रक्ताल्पता	19.0 प्रतिशत
7.	अन्य	8.4 प्रतिशत

महिलाओं में श्वास-जनित बीमारियां फैल जाती है। बलगम की जांच का मौका इन कामकाजी महिलाओं को लग नहीं पाता जिससे यह रोग दिन-ब-दिन फैलता जाता है। संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम भारत में मार्च 1997 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से अल्पावधि में क्षय रोग निवारण के लिए चलाया गया। इस नीति के तहत जिन क्षय रोगियों के बलगम में क्षय रोग की संभावना पायी गयी उनमें से 85 प्रतिशत रोगियों का इलाज किया जाए। और 70 प्रतिशत रोगियों को पता लगाने का प्रयास भी किया जाय। इन्ही सरकारी नीतियों का परिणाम रहा है कि आज क्षय रोग निवारण कार्यक्रम को सबसे तीव्र गति से कार्य करने वाले कार्यक्रम के रूप में मान्यता मिल चुकी है। देश की लगभग 95 प्रतिशत जनसंख्या को डॉट्स नीति के अंतर्गत लाया गया है। सन् 2004 तक 11 लाख 87 हजार रोगी उपचार के दायरे में आए। 88,5026 रोगियों की जान इस कार्यक्रम के अंतर्गत बचायी जा चुकी है। तीव्रता का आलम यह है कि जहां 2004 में कार्यक्रम में 70 प्रतिशत वैश्विक औसत को भी पीछे छोड़ दिया गया है। धीरे-धीरे ही सही रोग पर काबू पा लिया जाएगा।

आजकल देश में एड्स नामक बीमारी अपना भयावह रूप दिखा रही है। वास्तव में एड्स कोई एक बीमारी न होकर बीमारियों का समुच्चय है। देश में महिलाओं में एच.आई.वी एड्स का फैलना गहन चिन्ता का विषय है विशेषकर जब समुदाय के सर्वाधिक कमजोर वर्गों की महिलाएं संक्रमित पुरुष से महिलाओं में संक्रमण होना अब सिर्फ व्यावसायिक गतिविधियों से ही नहीं अपितु विवाहित जीवन में भी एड्स अपनी घुसपैठ कर रहा है। एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है अत: इन्हें मुख्यधारा में लाना सबसे बड़ी चुनौती है। महिलाएं एड्स से प्रभावित होने के बाद भावनात्मक उथल-पुथल की शिकार हो जाती हैं अत: इन्हें विशेषतौर पर भावनात्मक समर्थन देकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए और इनके स्वास्थ्य के लिए विशेष प्रबंध करना चाहिए और इनके स्वास्थ्य के लिए विशेष प्रबंध करना चाहिए। एड्स के लिए कहीं-न-कहीं देह व्यापार ज्यादा ही जिम्मेवार दिखता है। और इस व्यापार के पीछे महिला-पुरुष भेदभाव, निर्धनता, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की कमी, महिलाओं को रोजगार के कम अवसर और सबसे बड़ी बात आजीविका एवं स्वतंत्रता के विकल्पों का सीमित होना भी है। भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 'महिलाएं और एच.आई.वी' के माध्यम से विभिन्न मंचों पर एड्स के बारे में जागरूकता और चेतना लाने तथा समस्या के समाधान और सावधानी से सबंधित ज्ञान का प्रचार-प्रसार देश के विभिन्न भागों में किया है।

भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्र में ही नहीं अपितु अफ्रीका तथा एशिया के अन्य राष्ट्रों को भी महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी सुधार पर विशेष ध्यान देना होगा। क्योंकि महिलाओं में अशिक्षा और अज्ञान जैसी समस्या हमेशा से रही हैं। हांलाकि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी समस्याएं और व्यापक स्तर पर हैं जहां महिलाओं को दीवारों के बीच में कैद होकर जीवन जीना पड़ता है। कम उम्र में विवाह, कच्ची उम्र में मां बनना, जीवन साथी का कमाई के लिए बाहर जाना और एड्स जैसी बीमारी कमाकर साथ में लाना और न जाने कितनी समस्याएं हैं। जिससे महिलाओं को दो-चार होना पड़ता है। एक स्वस्थ और सभ्य राष्ट्र का निर्माण तथा हो सकता है जब उस राष्ट्र की महिलाएं और बच्चें स्वस्थ, सुशिक्षित और मानसिक रूप से सुदृढ़ हों। भारत जैसे देश के लिए यह बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इतनी विशाल आबादी गांवों में रहती है और इस आबादी में एक बड़ा भाग महिलाओं का भी है जो श्रद्धा की पात्र तो हैं ही अच्छे जीवन की हकदार भी हैं। ✸

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं)

लेखकों से

कुरुक्षेत्र के लिए मौलिक, अप्रकाशित लेखों का स्वागत है। रचना दो प्रतियों और सीडी **(Font - AA Text)** में टाइप की हुई हो और उसके साथ मौलिकता का प्रमाण-पत्र संलग्न हो। कुरुक्षेत्र में साहित्यिक रचनाएं प्रकाशित नहीं की जाती हैं। अस्वीकृत रचना लौटाने के लिए कृपया डाक टिकट लगा और अपना पता लिखा लिफाफा लगाएं। लेख संपादक, कुरुक्षेत्र कमरा नं. 655/661, 'ए' विंग, गेट नं. 5, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली-110011 के पते पर भेजें।

सुरक्षित मातृत्व : महिलाओं का अधिकार

हेना नकवी

कोई राष्ट्र सच्चे अर्थों में समृद्ध व स्वस्थ तभी कहा जा सकता है जब इसकी मूलभूत इकाई - माताएं स्वस्थ होंगी। महिला दिवस के अवसर पर यह एक छोटा सा प्रयास है सुरक्षित मातृत्व के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने और इस दिशा में समुचित जागरूकता निर्माण का। प्रस्तुत लेख सुरक्षित मातृत्व की दिशा में योगदान दे सकने वाले संभावित सहभागियों की भूमिका पर भी प्रकाश डालता है।

मातृत्व स्त्रीत्व की पूर्णता की पहचान है, स्त्री जाति को प्रकृति का सबसे क़ीमती तोहफा है। मगर अक्सर यह मातृत्व स्त्री के लिए जानलेवा भी साबित होता है। सुरक्षित प्रसव को सुगम बनाने वाले सहयोगी तत्वों जैसे- समुचित पोषण, स्वास्थ्य जांच या प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों के हाथों प्रसव के अभाव में अक्सर ज़च्चा या बच्चा या दोनों की जानें चली जाती हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तो यह एक सामान्य सी बात है कि लोगों में गर्भवती महिला की समुचित देखभाल के लिए न तो जागरूकता है, न ही उपलब्ध सेवाओं तक उनकी समुचित पहुंच है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वव्याप्त निर्धनता के कारण गर्भवती महिलाएं समुचित पोषण से वंचित रहती हैं। इन सभी अभावों और उपेक्षा का नतीजा मातृ-शिशु मृत्यु दर के रूप में सामने आता है।

मातृत्व को इस प्रकार के ख़तरों से दूर, पूरी तरह सुरक्षित होना चाहिए। ज़च्चा-बच्चा का सुरक्षित जीवन संयुक्त रूप से 'सुरक्षित मातृत्व' के रूप में जाना जाता है। सुरक्षित मातृत्व सभी सहयोगी सुविधाओं व कारकों के सामंजस्य व सक्रिय सहभागिता का परिणाम है जो मां और बच्चे के सुरक्षित जीवन के रूप में सामने आता है। दुर्भाग्यवश सुरक्षित मातृत्व आज भी हमारे देश में एक दिवास्वप्न है। हमारे वातावरण, हमारे तंत्र में ऐसी कमियां हैं जो कहीं न कहीं सुरक्षित मातृत्व के मार्ग में बाधा डालती हैं।

सुरक्षित मातृत्व दरअसल केवल सुरक्षित प्रसव का ही नाम नहीं है। यह एक ऐसी अवस्था है जो अनेक दूसरे कारकों पर निर्भर है। इस दिशा में उन सभी कारकों का दूर किया जाना आवश्यक है जो सुरक्षित मातृत्व के रास्ते में अड़चनें पैदा करते हैं। हमारे देश के विकास कार्यकर्ताओं व नीति निर्माताओं द्वारा सुरक्षित मातृत्व को महिलाओं के अधिकार के रूप में पहचान दिए जाने की मांग की जा रही है। इस मांग का एक वैधानिक आधार भी है- ''भारतीय राष्ट्रीय नीति-2001''। महिलाओं को भारतीय संविधान व दैनिक जीवन में समान सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व नागरिक अधिकार देने की बात करती है। इस नाते उनके जीवन के सबसे महत्त्वपूर्ण अंग मातृत्व को भी उनके अधिकार के रूप में पहचाने जाने की आवश्यक्ता है।

सुरक्षित मातृत्व की प्रक्रिया दरअसल गर्भावस्था से कहीं पहले शुरू हो जाती है। महिलाओं के जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से जुड़े निम्नलिखित तत्व सुरक्षित मातृत्व की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं :

गर्भावस्था के पूर्व

• वैधानिक उम्र के अनुसार विवाह, • विवाह का पंजीकरण, • परिवार कल्याण व नियोजन जैसे कार्यक्रमों में लैंगिक संवेदनशीलता का समावेश और, • परिवार नियोजन के लिए पति-पत्नी का संयुक्त निर्णय।

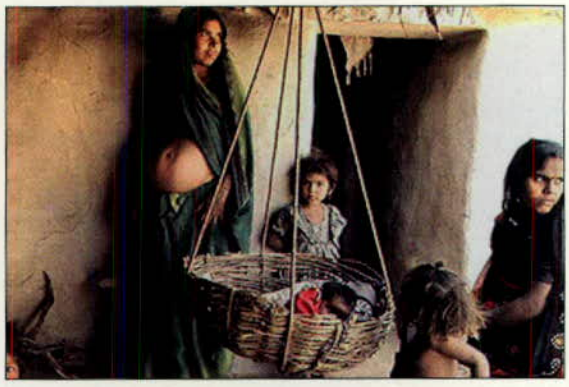

गर्भावस्था के दौरान

• गर्भावस्था का अनिवार्य रूप से पंजीकरण • तीन नि:शुल्क व अनिवार्य जांच • गर्भवती महिला के स्वास्थ्य व पोषण की समुचित देखभाल • सुरक्षित प्रसव में सहयोग देने वाली सुविधाओं व सेवाओं तक पहुंच • गर्भवती महिलाओं को टिटनेस टॉक्साइड के दो टीके व आयरन की 100 गोलियां देना • जोखिम भरे मामलों को उच्चतर स्वास्थ्य केन्द्र में संदर्भित किया जाना • जोखिम भरे मामलों को समय से चिकित्सकीय सहायता और, • सांस्थानिक व सुरक्षित प्रसव (यथासंभव प्रशिक्षित स्वास्थकर्मी के हाथों)।

प्रसवोपरान्त

• प्रसव के एक घंटे के भीतर स्तनपान की शुरूआत • नवजात शिशु को पीयूष-पान द्धप्रसवोपरांत स्तनों से निकलने वाला गाढ़ा दूध - कोलस्ट्रम पिलाना- • छ: माह तक बच्चे को केवल स्तनपान पर रखना • ज़च्चा-बच्चा की समुचित देखभाल • ज़च्चा की पोषण आवश्यक्ताओं की पूर्ति और, • समय से बच्चे का प्रतिरक्षण।

सहयोगी / अप्रत्यक्ष कारक

• दाइयों का प्रशिक्षण • दाइयों को 'दाइ-किट' का वितरण सुनिश्चित किया जाना • कम-से-कम गर्भावस्था के मामलों में झोला-छाप डॉक्टरों/ ओझा/ सोखा आदि की सेवाओं पर रोक।

दुर्भाग्यवश हम आज भी पूरी तरह से गर्भवती महिलाओं तक इन सभी सुविधाओं को नहीं पहुंचा पाए हैं। नतीजा है- उच्च मातृ-शिशु मृत्यु दर। यह दर शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक मातृ-शिशु मृत्यु दर वास्तव में निम्नलिखित अभावों और उपेक्षाओं का परिणाम है :

सुरक्षित मातृत्व के रास्ते में अड़चन बनने वाली इन कमियों को दूर कर उपर्युक्त कुचक्र को निम्नलिखित तरीक़े से तोड़ा जा सकता है :

परन्तु इस कुचक्र को तोड़ना अत्यन्त ही दुरूह कार्य है। इस कार्य के लिए मातृत्व में निम्नलिखित तत्वों का समावेश आवश्यक है-

• गर्भावस्था पर समुचित जानकारी तक पहुंच • गर्भ निरोधक साधनों तक पहुंच व प्रयोग का अधिकार • परिवार का आकार निर्धारित करने का अधिकार • मातृ-मृत्यु से जुड़े सभी मामलों का सामाजिक अंकेक्षण • प्रारंभिक उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व ज़िला अस्पताल में नि:शुल्क दवा की उपलब्धता • सभी सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों पर आपात्कालीन सुविधाओं जैसे- महिला डॉक्टर, ब्लड बैंक व नि:शुल्क एम्बुलेंस की सुविधा • सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर नि:शुल्क व सुरक्षित गर्भपात की सुविधा • दाई, ए.एन.एम., 'आशा', आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं अन्य समुचित सुविधाओं की निरंतर उपलब्धता

ये सभी तत्व कही न कहीं परिवार व समाज के स्तरों पर वैचारिक/ व्यवस्था परिवर्तन की ओर इंगित करते हैं। यह दरअसल एक प्रक्रिया है जिसकी सभी कड़ियां आपस में जुड़ी हैं। इसकी शुरूआत परिवार के स्तर पर होती है और अंत राष्ट्रीय स्तर पर होता है। परिवार के स्तर पर गर्भवती महिला

के परिवार विशेषकर उसके पति को इस दिशा में पहल करने की आवश्यकता है। संबंधित समुदाय के लिए यह देखना आवश्यक है कि सुरक्षित प्रसव से जुड़ी सभी सुविधाओं तक गर्भवती महिला की पहुंच है या नहीं। राज्य/ राष्ट्र स्तर पर संबंधित सरकारों के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि गर्भवती महिला की पहुंच सभी सुविधाओं व सेवाओं तक हो।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित बिन्दुओं पर भी ग़ौर किया जा सकता है जिनका समावेश कहीं-न-कहीं सुरक्षित मातृत्व की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा-

• समुचित व नियमित सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों का समुदाय द्वारा अनुश्रवण व पर्यवेक्षण • गर्भवती महिला तक समुचित सेवाएं पहुंचाने में पंचायती राज संस्थाओ विशेषकर ग्राम पंचायत की स्वास्थ्य समिति की सहभागिता • सरकारी पर्यवेक्षण एवं प्रचार एजेंसियों जैसे- क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय और राज्य सरकारों के सूचना एवं जनसंपर्क विभागों को सूचनाओं के प्रचार-प्रसार एवं जनता से प्राप्त फीडबैक को सरकार तक पहुंचाने की महत्त्वपूर्ण ज़िम्मदारी में सक्रिय सहभागी बनाना • बुद्धिजीवियों, छात्रों, पत्रकारों, जनमत नेताओं व स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से इस दिशा में समुचित वातावरण निर्माण हेतु पैरोकारी प्रक्रिया व अभियान चलाया जाना • परंपरागत लोक कलाओं जैसे कठपुतली, नौटंकी आदि के माध्यम से ग्रामीणजनों का जागरूकता निर्माण • पंचायती राज संस्थाओं व समुदाय की स्वास्थ्य कर्मियों के साथ आवधिक बैठकें और • शिकायत-निराकरण प्रणाली को अधिक सहभागी व मजबूत बनाने की आवश्यकता।

सच पूछा जाय तो इस दिशा में एक साझे प्रयास की आवश्यकता है। इतने बड़े पैमाने पर इस काम को अंजाम देना अकेले सरकारी तंत्र के लिए संभव नहीं है। सभी संबंधित भागीदारों को अपनी ज़िम्मेदारी संभालने के लिए क़दम बढ़ाने की आवश्यकता है। यह साझी ज़िम्मेदारी निश्चित रूप से सूक्ष्म स्तर से होकर व्यापक स्तर अर्थात् गांव से राष्ट्र स्तर पर सकारात्मक परिणाम लाने में सक्षम होगी। तभी होगा भारतीय महिलाओं का मातृत्व सुरक्षित और देश ख़ुशहाल। ●

(लेखिका पीटीआई में संवादाता हैं)

आदिवासियों का फाग उत्सव – भगोरिया

सुनील कुमार शर्मा और महेश कुमार परदेशी

भारतीय समाज कई प्रकार की जातियों एवं प्रजातियों का मिश्रण है। अनेक धर्म, भाषा, संस्कृति अस्मिताओं से युक्त यह देश अनेकता में एकता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस देश में प्रत्येक जाति की एक विशेष अस्मिता है, जो प्रत्येक जाति को चैतन्य बनाए रखकर अन्य समाज से विशेषीकृत कर पृथक दर्जा प्रदान करती है। यही वजह है कि जाति अपनी विशेष सभ्यता संस्कृति एवं परम्पराओं के कारण आज भी अपने मूलभाव को अक्षुण्ण बनाए रखे हुए है। प्रत्येक जाति को सुरक्षित बनाए रखने में महत्वपूर्ण इस विशिष्टता की विशेष भूमिका है।

मूलत: भाव का संबंध प्रेम से है इस प्रेम , लगाव, प्रेमशक्ति का सीधा संबंध दैनंदिनी जीवन के उतार-चढ़ाव , सफलता- असफलता जैसी अनेकानेक गतिविधियों से है। कर्म, संस्कार , नैतिकता, संस्कृति, परम्परा सभी इस प्रेम के वशीभूत है। किंतु प्रेम का भाव सीधे हृदय में बसता है और आधुनिक भारत के पाश्चात्य विकासवादी समाज में निरंतर आ रही आधुनिकता के चलते प्रेम में भाव की प्रधानता का ह्रास वर्तमान समय की बड़ी चुनौती है। सामाजिक संस्कृति में पर्वो का महत्व भी उसमें निहित भाव की नींव पर ही खड़ा है।

प्रस्तुत लेख मध्यप्रदेश के दक्षिण पश्चिम सीमा पर स्थित भीलाचंल झाबुआ जिले में फाग उत्सव भगोरिया की दशा और दिशा के वास्तविक तथ्यों पर आधारित है। मध्य प्रदेश का यह अंचल 6772 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में विध्यं पर्वत के छोटे-मोटे पठारों से आच्छादित है। धरातल उबड़-खाबड़ एवं पथरीला है। वर्षा की कमी वाले इस अंचल का प्रमुख व्यवसाय कृषि एवं मजदूरी है, इस अंचल के मूल निवासी भील, भीलाले, पटलिए हैं। जो अपनी विशिष्ट अस्मिता के लिए विश्वविख्यात है। यहां

के निवारी भोले-भाले, वचन के पक्के, तथा रूढ़िवादी परम्पराओं से बंधे होते हैं, प्रमुख अवसर पर सामूहिक भोज, मद्यपान, कपड़ों एव गहनों का आदान-प्रदान इनकी रोचक परम्पराएं है। अंचल में प्रमुख पर्व कई है किंतु भगोरिया जिसे तथाकथित रूप में 'प्रणयपर्व' के रूप में प्रचारित किया जा रहा है का आज भी विशेष महत्व है। भगोरिया पर्व का मूल भाव मस्ती, आनंद उमंग है। गरीबी, अभाव कर्ज से त्रस्त किंतु मेहनत करने में मस्त आदिवासियों में भगोरिया पर्व नयी ऊर्जा भर देता है । स्वयं स्थानीय जनसमुदाय के शब्दों में 'भूकलों तो भूकलो, सूकलो तो खरी'। अर्थात् चाहे भूखा सोता हूं भूखा उठता हूं पर सुखी तो हूं।

प्रतिवर्ष फाल्गुन मास में होली के सात दिन पूर्व आने वाला साप्ताहिक हाट (बाजार) गुलालिया हाट या भगोरिया कहलाता है। अंचल के सभी मूल निवासी चाहे कहीं भी मेहनत मजदूरी के लिए गए हों अथवा स्थाई रूप से पलायन कर चुके हों वे इस अवसर पर फाल्गुनी हवाओं की सुहानी यादों के साथ, टेसू के फूलों से लदे पलाश वृक्षों एवं आम के बौरों से झुके पेड़ों, तथा रसीले महुओं से लदे वृक्षों का मोह छोड़ नहीं पाते एवं अपनी मातृभूमि की ओर खींचे चले आते हैं । वर्षभर में कमा कर एकत्रित की गई धनराशि का उपयोग इस पर्व की चरम सीमा को अधिक बढ़ा देता है।

भगोरिया पर्व वाले दिन अंचल के सभी स्त्री-पुरुष अपनी पारंपरिक वेशभूषा सिर पर सफेद पीला गुलाबी साफा आधी बांहों की काली झुलड़ी सफेद ऊंची धोती पहनकर हाथों में चांदी या कथिर के कड़े कानों में मुरकी, कमर में करधनी पहने, हाथों में तीर कामठी लिए माथे पर गुलाल लगाए गबरू जवान नवयुवक मुह में पान की गिलोरिया चबाऐ

रंगीले नवयुवक एवं नवयुवतियों माथे के बीच में बोर, आस-पास सहकलियाँ कानों मे झेलें-झुमके गले में तामली-सॉकल हाथों में कड़े बाहों में बोस्टिया, पैरों में कड़े व बिंदिया अंगुलियों में मुंदरी आदि गहने लादे रंगीन घेरदार घाघर चुनडी व छींटदार चोली पहन गालों व ठोड़ी में गोदने मुदाय यह वयौवनायें, पुरुषों से होड़ करती हुई बंसी की धुन में मस्त होकर ढोल, मांदल की थाप पर समूह में नृत्य करते गीत गाते हैं:

मारा गाम मां ते गलालियां नि माये रे भाया।
इना हाटूं मां ते मनखू नि माये रे भाया।।
इना गलालियां हाटूं मां ते ढोल वागे रें ।
दित्यों बांहरा बगाड़े झीतू उभी नासे रें।।
मारा गाम मां ते गलालियां हाटु रे भाया।।

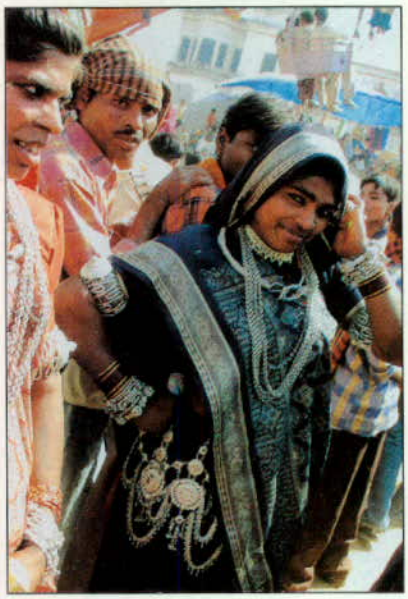

इस प्रकार इस पर्व में गरबा, पाली एवं घोर तीन प्रकार के नृत्य विशेष रूप से प्रचलित हैं। सिर्फ बेफ्रिक होकर मौज - मस्ती का आलम एवं आनंद ही वास्तविक रूप में भगोरिया पर्व की आत्मा है। मुस्कानों इशारों एवं छेड़खानी के इस उत्सवी माहौल को वर्तमान संचार के साधनों एवं समाचारपत्रों में प्रणव पर्व के रूप में तथाकथित रूप से गलत ढंग से प्रचारित किया जा रहा है। इसे इस उदाहरण से समझा जा सकता है। ऐसी भ्रांति फैलायी जा रही है की इस पर्व के दौरान नवयुवक अथवा नवयुवती अपने मनपंसद के साथी को माथे पर गुलाल लगाता है। यदि माथे से गुलाल पोछ दिया जाता है तो प्रणय प्रस्ताव अस्वीकार्य हो जाता है अन्यथा इसे प्रणय प्रस्ताव की पुष्टि माना जाता है। ऐसी ही भ्रांति एक दूसरे को पान खिलाने की है।

किन्तु वास्तविकता में सत्य तथ्य यह है कि आदिवायिों में आज भी हठ विवाह प्रचलन में है। अपने दैंनदिनी जीवन में रिश्तेदारों की पहचान के कारण अथवा गांव में आते-जाते रहने के कारण यदि कोई नवयुवक अथवा नवयुवती किसी को पंसद करने लगते हैं तो वे इस पर्व के समय इस पसंद की सूचना अपने किस मित्र-सहेली रिश्तेदार आदि को बताकर मनपसंद जीवन साथी के घर जाकर रहने लगते हैं। ऐसा प्रकरण होने पर समाज के सदस्य नवयुवक के घरवालों अथवा नवयुवक से 500 रुपये से 50 हजार तक का वधु मूल्य लेकर सामाजिक रूप से लेकर विवाह की स्वीकृति दे देते हैं। इसमें वधु मूल्य को चुकाने का करार अनिवार्य शर्त मानी जाती है। किंतु ऐसे प्रकरणों की संख्या लगभग न्यून होती है।

भगोरिया हाट(बाजार) के सातवें दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। होली के बाद आने वाला साप्ताहिक हाट उजाड़िया हाट(बाजार) कहलाता है। इस समय तक सभी आगन्तुक समुदाय अपने-अपने गतंव्य स्थलों की ओर कूच कर जाते हैं। एवं साप्ताहिक हाट (वीरान उजड़ा) दिखाई पड़ता है। ●

(लेखक द्वय शहीद चन्द्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झाबुआ से सम्बद्ध हैं)

सदस्यता कूपन

मैं/हम कुरुक्षेत्र का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/चाहती हूं/चाहते हैं।

शुल्क : एक वर्ष के लिए 70 रुपये, दो वर्ष के लिए 135 रुपये, तीन वर्ष के लिए 190 रुपये का (जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक ..... दिनांक ..... संलग्न है।

कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर *निदेशक, प्रकाशन विभाग* को नई दिल्ली में देय हो।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) .....

पता .....

..... पिन .....

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक

प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड-4, तल-7, रामकृष्णपुरम,

नई दिल्ली-110 066

सूरजकुंड मेला

जिल्ले रहमान

हस्त शिल्प और लोक कलाओं को प्रोत्साहित करने के मामले में सूरजकुंड मेला विश्व विख्यात मेलों में पांचवा स्थान रखता है। क्राफ्ट्स मेले में लोगों को पूरा मजा देने के लिए पर्यटन विभाग ने 21 वें सूरजकुंड मेले में भी इस साल कई प्रयास किए। 1 से 15 फरवरी तक चलने वाले इस मेले का इस बार थीम स्टेट रहा आंध्र प्रदेश। पंद्रह दिनों तक चले इस मेले मे देशभर के 300 से भी अधिक पुरस्कार विजेता क्राफ्ट्समैन के अलावा सार्क देशों के 20 क्राफ्ट कलाकारों ने भी हिस्सा लिया। सुबह 9.30 बजे से शाम 7.30 बजे तक यहां देशी-विदेशी पर्यटकों का तांता लगा रहा। खासकर सार्क देशों से आए क्राफ्ट्समैन की कलाकृतियों का भी सराहनीय योगदान था। थाईलैंड, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की स्टॉलों से लोगों ने जमकर खरीददारी की।

मेले में भारतीय हैंडलूम और क्राफ्ट प्रोडक्ट तो थे ही, विभिन्न प्रदेशों के सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखकर भली प्रकार से वहां की संस्कृति का आभास हो रहा था। डांस और म्यूजिक कार्यक्रम तो हुए ही यहां कलाकारों ने अपनी पेंटिग, स्कल्पचर मेले का थीम स्टेट था ठीक उसी तरह इस बार आंध्र प्रदेश को थीम स्टेट के रूप में चुना गया। भारत का कोहिनूर कहे जाने वाले आंध्र प्रदेश की पूरी झलक तो मेला में थी यहां की कला संस्कृति को भी प्रमुखता से शामिल किया गया। हर राज्य के पंरपरागत व्यंजनों तक पहुंचाने के लिए यहां पर्यटन विभाग ने सैकड़ों स्टॉल लगवाए थे ताकि कला संस्कृति, रहन-सहन के साथ ही वहां के लजीज व्यजंनों के बारे में लोग जान व स्वाद ले सकें। सूरजकुंड मेले में पूरा फ्लेवर देते हुए पर्यटन विभाग ने बेहतरीन प्रयास किए थे। इसमें कई राष्ट्रीय अवार्डी तो कई स्टेट अवार्डी थे। प्रशस्ति पत्र और राष्ट्रीय प्रशस्ति पत्र से सम्मानित दस्तकारों ने इसमें हिस्सा लिया। जिन राज्यों ने यहां प्रमुखता से हिस्सा लिया और उनमें आंध्र

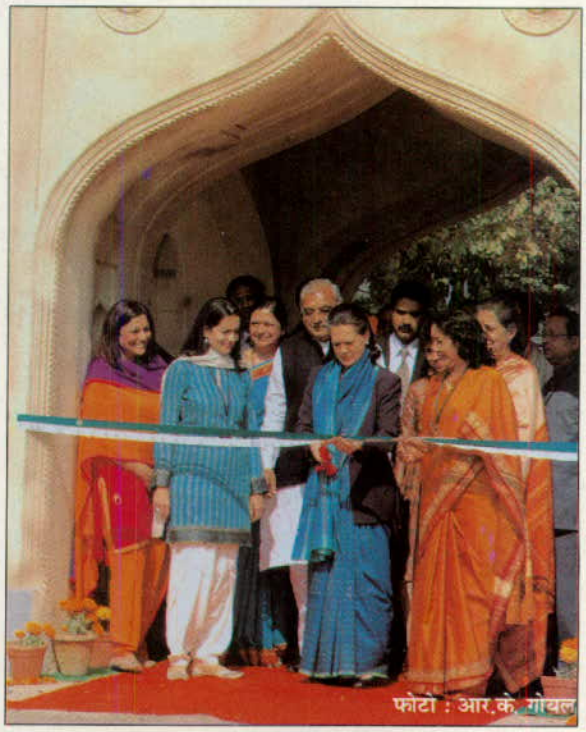

फोटो : आर.के. गोयल

प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, दिल्ली, हरियाण, जम्मू-कश्मीर, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश के अलावा भी कई राज्यों ने शिरकत की। राजस्थान के टाई एंड फाई कला के साड़ी निर्माता बादशाह, कश्मीर के दस्तकार, आंध्रा के वुडन इनले दस्तकारी, आंध्र प्रदेश से जुकुयर्ड बूटा साड़ी और ड्रेस मैटेरियल, कोल्हापुर के चप्पल के स्टाल खासे आकर्षण के केंद्र थे। साथ ही आकर्षण था कर्नाटक के तायप्पा अन्नप्पा काबले की कलात्मक लेदर चप्पल की स्टाल, जहां चार इंज की चप्पल को देखते ही हंसी छूट पड़ती थी। और यहां से जमकर बिक्री भी हुई। देश भर की संस्कृति की झलक दिखाने के उद्देश्य से देश के जोनल कल्चरल सेंटर के आर्टिस्टों ने भी कार्यक्रम पेश किए। कहीं लंगूर के भेष में बहुरूपिए के साथ हरियाणवी बीन की धुन पर लोग नाच रहे थे, तो कहीं राजस्थान की चक्री नृत्य में युवतियों का समूह झूम रहा था। राजस्थान के लोक गीत ये दुनिया देख ले रही है टरटर, आलू की सब्जी में टमाटर, बाबू जी जब सावन बैठे खोले क्वार्टर ने लोगों के पेट पकड़कर हंसने को मजबूर कर दिया। आदिवासियों के वेशभूषा में गुजराती बोलों पर

फोटो : आर.के. गोयल

यह नृत्य इतना मनमोहक रहा कि लोग उछलने लगे। आदिवासी की वेशभूषा में एक कलाकार के सिर से नारियल तोड़ने और रेंग कर 10 लोगों के पैरों के बीच से बाहर निकलने वाले डांस स्टेप ने दर्शकों ने दांतों तले अंगुलियां दबा ली।

हस्तशिल्प में हाथों का हुनर बखूबी पूरे मेले की हर स्टाल पर बदस्तूर दिख रहा था। ऐसा लगा जैसे पूरे हिन्दुस्तान की कौशल के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। बात चाहे कढ़ाई-बुनाई, जरदोजी, लकड़ी की धातु पर नक्काशी की हो या फिर चित्रकारी, कलमकारी, ब्लॉक पेंटिंग, बिदरी कामगारी चमड़े का काम, मधुबनी पेंटिंग, सीतलपट्टी, नारियल व जूट की हो सभी रंग बिखेरती नजर आईं। इसके बार दिखा आंध्र प्रदेश के कलाकारों द्वारा पेश की गई कोया आदिवासी नृत्य। इस नृत्य ने तो उद्घाटन समारोह में आयीं यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व पर्यटन मंत्री किरन चौधरी, अंबिका सोनी को भी थिरकने से नहीं रोक पाई। इस नृत्य मंडल में शामिल अचमा, दुर्गा, रघुमा और अंजुमा ने बताया कि यह क्षण उन्हें ताउम्र याद रहेगा। गेट से चौपाल तक के मार्ग के दोनों ओर अलग-अलग राज्यों के लोक कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन करते दिख रहे थे। इनमें सिद्धि गोमा, बंचारी की नगाड़ा पार्टी, कालबेलिया नृत्य, तेरह ताल, आंध्र प्रदेश का तप्पिशमुलु लोक नृत्य व वुन इनले मंत्रमुग्ध कर देने लायक था।

उद्घाटन समारोह के बाद सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त शिल्पियों के स्टॉलों का भ्रमण व खरीदारी भी की। कुछ शिल्पियों ने अपनी तरफ से सोनिया गांधी को उपहार भी दिए। अफगानिस्तान के शिल्पी मोहम्मद जावेद ने उन्हें वर्ष 1930 का बना एक कारपेट भेंट किया। नेशनल अवार्डी लखनऊ की नरगिस ने उन्हें चिकन एंब्रायडरी का एक टॉप गिफ्ट किया।

21 वें सूरजकुंड मेले में भी लोगों को घास के छप्पर, चारपाई और चौपाल, ऊंचे नीचे मिट्टी के टीले भी देखने को मिले। बीते साल की तरह इस साल भी थीम स्टेज को संवारा गया था और उसे नाम दिया गया अपना घर का। थीम स्टेट का आंध्र प्रदेश के एक परिवार के एक परिवार को रखा गया। ताकि इसके माध्यम से उसका रहन-सहन, खान-पान और वेशभूषा की पूरी-पूरी जानकारी मिल सके। अपना घर को देखकर ऐसा लगा कि आंध्र प्रदेश में भारतीय संस्कृति का अनमोल खजाना भरा पड़ा है। बस इन्हें तराशने की जरूरत है।

उद्घाटन समारोह में पहुंची सोनिया गांधी, किरण चौधरी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विभिन्न प्रदेशों से आए हुए कारीगरों एवं कलाकारों का हौसला भी बढ़ाया। उन्होंने इन कामगारों से कहा कि पश्चिमी संस्कृति की तरफ आकर्षित होने के बजाए अगर भारतीय कला संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए तो हमें किसी भी ऊंचाई को छूने में देर नहीं लगेगी।

पहली बार मेले में स्वास्थ्य विभाग पांच से कम उम्र के नौनिहालों को पल्स पोलियों की ड्राप्स पिलाने के लिए स्टॉल लगाए। सूरजकुंड मेले के पांच मुख्य गेटों पर पांच वर्ष के बच्चों को पोलियों खुराक पिलाने का काम भी किया। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बड़े-बड़े बैनर भी लगाए गए। सभी गेटों पर पोलियों की मार्किंग की गई। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग मेले में एचआईवी/एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए काउंसिलिंग व टेस्टिंग सेंटर भी स्थापित किए। यह सेंटर मेला समाप्ति तक खुला रहा। खास बात यह कि काउंसिलिंग व टेस्टिंग नि:शुल्क की गई।

दिल्ली से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सूरजकुंड टूरिस्ट कॉम्पलेक्स दक्षिण दिल्ली से सिर्फ 8 किलोमीटर है। यहां ठहरने की व्यवस्था तो उचित ढंग से की गई थी। सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम किया गया था। गेट से लेकर मंच तक सात सुरक्षा चक्र बने थे। साथ ही आईएसबीटी, सराय काले खां के अलावा बाबा खड़कसिंह मार्ग स्थित इम्पोरियम से भी यहां के लिए नियमित बस सेवा का प्रबंध किया गया था। कुल मिलाकर 21वां सूरजकुंड मेले में भी लाखों लोग घूमने आए, खरीददारी की और जमकर लुत्फ उठाया। ✹

(लेखक पत्रकार हैं)

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत हरियाणा को केन्द्रीय सहायता

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष (2006-07) के दौरान हरियाणा की फतेहाबाद तथा पानीपत जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को केन्द्रीय सहायता की दूसरी किस्त के रूप में 45.05 करोड़ रुपए मंजूर किए है। यह धनराशि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार मंजूर कार्यक्रमों पर खर्च की जाएगी। केन्द्र और राज्य सरकार क्रमश: 75 तथा 25 के अनुपात में वहन करेगी। अगले वर्ष यानि 2007-08 में पहली किस्त प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार /जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/ जिला परिषद को राज्य तथा जिला स्तर की निगरानी समिति की बैठकों का विवरण 31 मार्च, 2007 से पहले प्रस्तुत करना होगा। राज्य सरकार को अपना हिस्सा केन्द्रीय सहायता प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के अंदर जारी करना होगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को अपना रोजगार शुरु करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना ग्रामीण गरीबों को संगठित होकर स्वसहायता समूहों के रूप में कार्य करने के लिए सक्रियता से बढ़ावा देती है।

पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का क्रियान्वयन

आठ पूर्वोत्तर राज्यों - अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के 16 जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) लागू किया जा रहा है। असम के सात जिलों में यह अधिनियम लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्रामीण परिवारों की संख्या 10,65,007 है जिनमें से 4,26,427 परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। आठ राज्यों में 9,42,385 जॉब कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिनमें से 6,62,700 परिवारों ने रोजगार की मांग की है और 5,96,336 परिवारों को रोजगार दिया जा चुका है। पूर्वोत्तर राज्यों में 89 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को जॉब कार्ड उपलब्ध कर दिया गया है, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 64 प्रतिशत है। चालू वित्त वर्ष (2006-07) में पूर्वोत्तर क्षेत्र के जिए 206.83 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके है, जबकि इस क्षेत्र के लिए 697.43 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान कुल 398 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जो कुल प्रावधान का 57 प्रतिशत है। पूर्वोत्तर राज्यों में एनआरइजीए के तहत 15,490 कार्य शुरु किए गए हैं और 6,856 कार्य पूरे किए जा चुके हैं इस क्षेत्र में 3.66 करोड़ श्रम-दिवस का रोजगार उपल्ब्ध कराए गया, जिसमें से महिलाओं को 1.06 श्रम दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया जो उपलब्ध कराए गए कुल रोजगार का 29 प्रतिशत है।

आधी आदिवासी दुनिया की पूरी हकीकत

प्रांजल धर

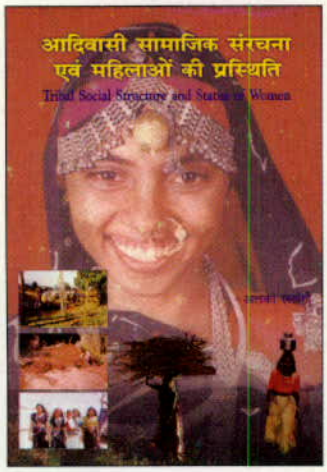

लेखिका : डा. अलका रस्तोगी
मूल्य : 350 रुपये
प्रकाशक : हिमांशु पब्लिकेशन्स, 464, हिरण मगरी, सेक्टर-11, उदयपुर-313 002

सहभागितामूलक लोकतंत्र, समतापरक समाज, आर्थिक प्रगति और स्वतंत्रता पर जारी बहसों के बीच उन समूहों को लेकर चर्चा का आयाम विस्तृत हुआ है जो विकास के कारण मिलने वाले लाभों में अपेक्षाकृत पीछे रह गए हैं। बात सिर्फ़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ही नहीं है कि इराक, ईरान या उत्तर कोरिया जैसे राष्ट्र अपनी संप्रभुता, संसाधनों या शक्ति के अर्जन को लेकर चिंताजनक सुर्खियां बने हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी गरीबों, बदहालों, नौनिहालों, ग्रामीण अंचलों या आधी दुनिया की सापेक्ष वंचना देखी जा सकती है। पर्यावरण और विकास के मानवीय संबंधों को रेखांकित किया जाना अभी बाकी है, जंगलों या बांधों की वजह से विस्थापितों और बनवासियों को मुख्यधारा में लाना जरूरी है और आदिवासियों या महिलाओं के समुचित अधिकारों की पहचान सुनिश्चित करना अभी शेष ही है। अलका रस्तोगी की पुस्तक 'आदिवासी सामाजिक संरचना एवं महिलाओं की प्रस्थिति' एक ऐसा ही रचनात्मक प्रयास करती है।

राजस्थान के दक्षिणी छोर का आदिवासी बहुल जिला बांसवाड़ा अपने ऐतिहासिक एवं वास्तुशिल्पीय स्मारकों के अलावा पुरातात्विक संस्कृति के लिए भी जाना जाता रहा है। जहां इस समय बांसवाड़ा है वहां पहले बांसों की झाड़ी हुआ करती थी। 'वागड़' शब्द या बाग्वर अंचल का शाब्दिक अर्थ भी यही है। यानी बांस की झाड़ी से रक्षित स्थान। यह पुस्तक डूंगरपुर और बांसवाड़ा के चार गांवों का एक क्षेत्रीय अध्ययन है। सामाजिक विज्ञान की तमाम आधुनिक प्रविधियों और मानविकी की अनेक विकसित तकनीकों के आधार पर किया गया यह अध्ययन एक तरह से मानवशास्त्रीय परंपरा के मुताबिक वैज्ञानिक और तुलनात्मक मूल्यांकन है। तुलनाएं दो जिलों के मध्य हैं, आदिवासी और अन्य समाजों के बीच हैं, ग्रामीण और नगरीय प्रभावों के बीच हैं और उदारीकरण या भूमंडलीकरण के आदिवासी महिलाओं पर पड़ रहे प्रभावों-अप्रभावों के बीच हैं।

महिलाओं का यह अध्ययन क्या मूल्यमुक्त है? महिला और जनजातीय आंदोलनों या नारीवादी विमर्श की पृष्ठभूमि में इस सवाल का उत्तर खोजना क्या जरूरी नहीं है? आज जब 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों और जनजातियों या महिलाओं की भूमिका पर शोध किए जा रहे हों तब यह सवाल और भी ज्यादा रोचक, महत्वपूर्ण, उपयोगी और प्रासंगिक हो जाता है। राजसत्ता की भेदन क्षमता, पंचायतीराज और हाशिए के लोगों तक योजनाओं के लाभ पहुंचाने को लेकर जारी कोशिशों के बीच महिला की प्रस्थिति सोचने-समझने का एक गंभीर विषय है। क्या यह सच नहीं है कि 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते', 'अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी', 'पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने' या 'नारी तुम केवल श्रद्धा हो' जैसे तमाम जुमलों के बावजूद उन्हें सशक्त और अधिकारसंपन्न बनाना शेष ही है जिन्होंने आधा आसमान सिर पर उठा रखा है, जिनका पृथ्वी के आधे संसाधनों पर पूरा हक है और जिसके बिना विकास वास्तविक या कल्याणकारी नहीं हो सकता?

अलका रस्तोगी के इस अध्ययन में कुछ ऐसे सवालों पर चर्चा तो है ही, पितृसत्तात्मकता या व्यावहारिक उलझनों का प्रभावशाली उल्लेख भी है। शायद इसीलिए कहा गया है कि नारी को अलग से एक वर्ग न मानकर विभाजित तरीके से प्रस्तुत किया गया है। कभी पाश्चात्य नारी, कभी परंपरावादी नारी, कभी महानगरीय नारी, कभी नगरीय, ग्रामीण, आधुनिक, उत्तरआधुनिक तो कभी जनजातीय नारी। पुस्तक आदिवासियों के साथ-साथ सभी नारियों को समग्रता में न्यायपूर्ण ढंग से देखने की जरूरत को रेखांकित करती है।

सात अध्यायों में विभक्त यह पुस्तक अनुसंधान पद्धति, बागड़ अंचल में भील जनजाति की महिलाओं की प्रस्थिति से लेकर सामयिक आदिवासी सामाजिक संरचना, नगरीय कारकों और सैद्धांतिकीकरण तक तथ्यों और विश्लेषणों का पूरा क्षितिज अनावृत करती है। तथ्य काफी गुणात्मक हैं, प्रश्नावलियां बारीक और वस्तुनिष्ठ हैं, संदर्भ-स्रोत व्यापक हैं, निष्कर्ष सारगर्भित हैं और भाषा-शैली प्रांजल है। यह बात अलग है कि कहीं-कहीं कुछ घिसे-पिटे तथ्य भी आ गए हैं लेकिन विश्लेषणों की गुणवत्ता इस कमी को पूरा कर देती है। कुछ चित्र काफी गूढ़ हैं, मसलन-आदिवासी देवरे में भेरु माता एवं धर्मराजा, बाल-विवाह, चूल्हे-चौके के प्रबंध के लिए ईंधन जुटाती स्त्रियों की

तस्वीरें या फिर पशुओं, चरागाहों और कृषि-कार्यों से संबद्ध आदिवासी महिलाओं के चित्र।

आदिवासी महिलाओं की गौण प्रस्थिति के अनेक कारण हैं। मसलन-बहुपत्नी प्रथा, अज्ञानता या घरेलू दायित्वों मे रमे रहने के कारण अपनी स्थिति के प्रति अनभिज्ञता। हालांकि आदिवासी परिवार स्त्रियों को आर्थिक रूप से काफी महत्वपूर्ण मानता है क्योंकि महिलाएं खेती-किसानी या मेहनत मजदूरी करके आय अर्जित करती है। लिंगानुपात, साक्षरता या जनसंख्या के अलावा कुछ दूसरी जनांकिकीय सारणियां भी गौर करने लायक हैं। जैसे, विवाह के समय आयु वितरण, प्रथम संतान के समय महिला की उम्र या व्यवसाय के अनुसार आबादी का अध्ययन। जिलों और उनकी स्थिति को मानचित्रों के माध्यम से समझाकर भौगोलिक प्रक्षेपण भी किया गया है जो काबिले-तारीफ़ है।

डूंगरपुर जिला आदिवासी जिला होने की वजह से पूर्ण साक्षर घोषित हो चुका है लेकिन पुस्तक में आदिवासी महिलाओं का बार-बार कहना है कि 'खाना-कपड़ा ही पूरा नहीं होता', इस अंचल की निर्धनता को ही बताता है। दक्षिणी राजस्थान के जनजातिय क्षेत्र के 61 फीसदी लोग गरीबी-रेखा से नीचे ही जीवनयापन करते हैं। डूंगरपुर के आदिवासियों का आधा हिस्सा सिर्फ दो सौ रुपये महीने में ही गुजर-बसर करने को विवश हैं। नब्बे फीसदी लोग कर्ज से दबे हैं और निरक्षरता का आलम भी चिंताजनक है। हालांकि कुछ सकारात्मक संकेत भी हैं। जैसे- भील लड़कियों पर पारिवारिक निर्भरता के कारण उन्हें स्कूल नहीं भेजा जाता था। लेकिन अब स्थिति सुधरी है। पुरुष द्वारा अपनी पत्नी पर प्रभुत्व, विवाहोपरांत कन्या का पिता से पति के घर में स्थानांतरण, हल्दी, आंटा-सांटा या सहपालन विवाह, रीति-रिवाज, धर्म और परंपराओं पर दी गई जानकारी अच्छी है।

दक्षिणी राजस्थान के जनजाति बहुल समाज में नारी एक वस्तु के रूप में देखी जा सकती है। किंतु बदलती सामाजिक गतिकी का यह पूरा यथार्थ नहीं है। यहां भी नारी अब प्रतिकार भावना से रूढ़िवादी सामाजिक व्यवस्था का विरोध कर रही है। हालांकि तंगहाल कृषक परिवार का फसल अच्छी न होने पर बाहर पलायन करना स्त्रियों को शोषण या अत्याचार के लिहाज से असुरक्षित बनाता है। स्त्रियों की अस्मिता को अंत में रुपये के लेन-देन से जोड़कर मामले को 'निपटा' देना स्त्रियों का शोषण है जिसे जनजातियां स्वयं के नियम के अंतर्गत उचित मानकर करती आईं हैं। क्या विकसित या भूमंडलीकृत कहे जाने वाले विश्व में ये सवाल चिंता के विषय नहीं?

आधी दुनिया की पूरी हकीकत जानने के लिए 'खंडित मानवशास्त्र' या 'एकांगी समाजशास्त्र' से ऊपर उठकर अलका रस्तोगी द्वारा किया गया यह प्रयास सराहनीय है। इसलिए भी कि बीच-बीच में सरल और सुबोध और पठनीय भी बनाया गया है। आज जब स्त्री का नाम सुनते ही पेज-थ्री के आभूषणों से लदे चित्र, बालीवुड की अंगप्रदर्शन कर रही कोई नायिका या जबरन ध्यान खींच रहा कोई विज्ञापन याद आना स्वाभाविक हो गया हो, तब यह प्रयास और भी ज्यादा जमीनी, रचनात्मक और प्रशंसनीय लगता है। ✹

(लेखक स्वतंत्र समीक्षक हैं और मासिक पत्र 'जनादेश' के संपादक हैं)

स्वयं पथ-प्रदर्शक बनी : गुरूर गांव की महिलाएं

महिलाओं ने सदा से ही सभी विषमता भरी परिस्थितियों में भी अपनी कुशलता का परिचय दिया है। संसार भर के साहित्यकारों और कवियों ने महिलाओं की इस विशेषता का बखान अपनी रचनाओं में किया है। इस विशेष गुण को सिद्ध करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के भारदा ब्लॉक के गुरूर गांव की अनुसूचित जाति की महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह लक्ष्मी बनाया है। स्वयं सहायता समूह की सभी 11 सदस्यों ने सामूहिक प्रयास के अंतर्गत अगरबत्तियां बनाने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार की ग्रामीण गरीबी उपशमन योजना जो कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) नाम से जानी जाती है, सहायता का स्रोत बनी। केंद्र की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रह निर्धनों के परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है ताकि वे अपनी बेरोजगारी की समस्या का निवारण कर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत बना सकें। इस तरह से देश के विकास में भी भागीदार बन सकेंगे।

इस योजना के अंतर्गत इस स्वयं सहायता समूह को बैंक ऑफ बड़ौदा की गुरूर शाखा ने 50,000 रुपये के शुरुआती ऋण को 27 जून, 2003 को मंजूरी दी थी। इस समूह के सदस्यों ने इस राशि की सहायता से अगरबत्तियों के निर्माण का कार्य शुरू किया है। इस समूह ने कम समय के अदंर ही लाभ कमाना शुरू किया है। इनकी तीव्र प्रगति को देखते हुए बैंक ने इन्हें और 50,000 रुपये की राशि का ऋण और तीन बार दिया जो कि कुल मिलाकर 2 लाख रुपये का ऋण बन गया। लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह ने इस ऋण की सहायता से अपनी उत्पादन क्षमता को तीन गुना कर काफी लाभ कमाया और ब्याज समेत पूरा ऋण सफलतापूर्वक वापिस किया। लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की सफलता से प्रभावित होकर आसपास के अन्य गांवों ने भी ऐसे प्रयास करना शुरू कर दिये हैं।

लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह की मुखिया श्रीमती बुद्धनबाई ने बताया कि उनका समूह औसतन 10 से 15 क्विंटल अगरबत्तियों के पैकेट प्रत्येक माह बेच रहा है जिससे उन्हें लगभग 40,000 रुपये की आय होती है। बुद्धनबाई आगे बताती हैं कि उत्पादन खर्चों के बाद बची आय को समूह के सभी सदस्यों में बांट दिया जाता है। यह एक उदाहरण है कि किस प्रकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उपशमन के लिए स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना मील का पत्थर साबित हो रही है।

(पत्र सूचना कार्यालय रामपुर से एकत्रित जानकारी पर आधारित)

RAU'S IAS

A name that Nation trusts

Amazing Success

Our 2005 Exam Results : Nine positions secured by our students in first 20 and 49 in first 100 with overall 203 total selections. As regards the past achievements, Study Circle has contributed nearly one-third of the total selections done for Civil Services by UPSC since 1953.

It is a well known fact that Rau's is the most trusted and recommended name all over the country for IAS & PCS coaching.

Unbeatable Strategy

Answers that matter : The most crucial fact about coaching is that it should improve the quality of your answers in the minimum possible time. It is precisely this training on which we focus on at Rau's to give an extra edge to the answers you give / write in the Civil Services Examination.

Be Sure

We have no branches or associates any where in India except Jaipur. Our name which has become a legend among students for the highest standards in teaching, and hence has been copied by a lot of people across India, but no one can match our quality.

Programme Highlights

Civil Services/PCS Exam - 2008

- Personal Guidance (English Medium) is available for -
  General Studies/ Essay, History, Sociology, Public Administration, Geography, Psychology, Law & Commerce.
- पर्सनल गाइडेंस (हिन्दी माध्यम) -
  सामान्य अध्ययन / निबंध, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र एवं लोक प्रशासन में उपलब्ध।

  Postal Guidance in English Medium available for -
  General Studies, History, Sociology, Public Administration and Geography.
- पोस्टल गाइडेंस (हिन्दी माध्यम) -
  केवल सामान्य अध्ययन, भारतीय इतिहास एवं भूगोल में उपलब्ध।
- Hostel facility arranged.

कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं ।
जीता वही जो डरा नहीं ।।

If you are taught by the stars, sky is the limit.

New batches for 2008 Exam, start from 1st June, 2007

Admission Open, Apply Now.

Contact personally or write for prospectus with a DD/MO of Rs. 50/- favouring

RAU'S IAS STUDY CIRCLE

Head Office : 309, Kanchanjunga Bldg., 18, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001
Phone : 23738906-07, 23318135-36, 32448880-81, 65391202, Fax: 23317153

Jaipur Centre : 701, Apex Mall, Lal Kothi, Tonk Road, Jaipur - 302015, Ph.: 0141-6450676, 3226167, 9351528027

For full details on fast-track log-on our website: www.rauias.com

The Original Rau's - Since 1953

KH-03/07/01

आर. एन./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)-05/3164/2006-08
आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)-55/2006-08

R.N./708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2006-08
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-55/2006-08
to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.

ग्रामीण महिला सरपंच

प्रकाशक और मुद्रक : वीना जैन, निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू-30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया-II, नई दिल्ली-110 020 : संपादक : स्नेह राय